लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५१, १९६१ / १८८२ (शक)

[२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१ / ९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

तेरहवां सत्र, १९६१ / १८८२ (शक)

(खण्ड ५१ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५१—अंक ११ से २०—२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१/९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७९, ३८१ से ३८३ और ४०३ . . . ९९७—१०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ से ३७२, ३८०, ३८४ से ४०२ और ४०४ से ४२५ . . . १०१८—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४५ से ५५७, ५५९ से ६१२ और ६१४ से ६८३ . . . १०६७—११३१

स्थगन प्रस्ताव—

कराची में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण . . . ११३१—३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११३४

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ११३६—३७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते की गोदियों में खुरचने और रंग करने वालों की हड़ताल . . . ११३७

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ११३८

विधेयक प्रस्तुत किये गये— . . . ११३८—३९

१. रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक १९६१

२. विनियोग विधेयक, १९६१

३. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . ११३९—४१

श्री तंगामणि . . . ११३९—४०

श्री विमल घोष . . . ११४०—४१

सामान्य आय व्ययक (१९६१—६२)—उपस्थापित . . . ११४१—६६

वित्त विधेयक, १९६१—पुरःस्थापित . . . ११६६

दैनिक संक्षेपिका . . . ११६७—७८

विषय सूची

	पृष्ठ
अंक १२—बुधवार, १ मार्च, १९६१/१० फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४३० और ४३२ से ४३५ . .	११७९—१२०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ और ४३६ से ४७२ . . .	१२०१—१९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८४ से ७०६, ७०८ से ७७७ और ७७९ से ७९८	१२२०—७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१२७३
राज्य सभा से सन्देश	१२७३
दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	१२७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . . .	१२७४—७६
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर में शुद्धि . .	१२७६—७७
विनियोग विधेयक १९६१—पारित किया गया . . .	१२७७
आय व्ययक (रेलवे)—सामान्य चर्चा	१२७७—१३०२
आदिवासियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा . . .	१३०२—०७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—	
सततरवां प्रतिवेदन	१३०७
दैनिक संक्षेपिका	१३०८—१५
अंक १३—गुरुवार, २ मार्च, १९६१/११ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ से ४८३	१३१७—४०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१३४०—४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ और ४८४ से ५१५ . . .	१३४३—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९९ से ८९१	१३५९—९९
सदन में शिष्टाचार का पालन	१३९९—१४००
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आसाम में रहने वाले बंगालियों को मतदाता सूचियों में दर्ज करना	१४०१—०२

विषय सूची पृष्ठ

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . १४०२–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४--शनिवार, ४ मार्च, १९६१/१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५१९, ५२१, ५२२, ५२४, ५४३ और ५२५ १४४१–६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या . . . १४६४–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५२०, ५२३, ५२६ से ५४२ और ५४४ से ५६१ १४६६–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९३७, ९३९ से ९६२ और ९६४ से ९७३ १४८५–१५२२

स्थगन प्रस्ताव--

उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश . १५२२-२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२४–२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

पटसन के मूल्यों में वृद्धि १५२५

सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना . १५२६

सभा का कार्य १५२७

रेलवे आय-व्ययक --सामान्य चर्चा . . . १५२७–४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

सतत्तरवां प्रतवेदन . . . १५४१

धार्मिक पूजा स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध संबंधी--संकल्प . . १५४१–५४

सरकारी कर्मचारियों की कार्मिक संघ की कार्यवाहियों संबंधी संकल्प . १५५४–५९

दैनिक संक्षेपिका . १५६०–६६

अंक १५--सोमवार, ६ मार्च, १९६१/१५ फाल्गुन १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ५६८, ५७०, ५७१, ५७४, ५७६ से ५८० और ५८२ से ५८७ १५६७–९५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ १५९५–१६००

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९, ५७२, ५७३, ५७५, ५८१ और ५८८ से ६०४ १६०१—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७४ से ११०६ १६१२—७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १६७६–७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

कांगों के लिये भारतीय सैनिक १६७७—७९

अनूदानों की अनूपूरक मांगें (उड़ीसा) १९६०–६१ १६७९

राज्य सभा से सन्देश १६७९

समिति के लिये निर्वाचन——

दिल्ली विकास प्राधिकार की परामर्श परिषद १६७९

रेलवे आय व्ययक——सामान्य चर्चा . . १६८०–१७०१

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव १७०१–१७

खंड २ से ४ तथा १ . १७१७

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१७

दैनिक समवाय (संशोधन) विधेयक . . १७१७–२३

विचार करने का प्रस्ताव १७१७–२२

खंड २ से ९ तथा १ . . १७२२

पारित करने का प्रस्ताव १७२२–२३

अनुदानों की अनूपूरक मांगें——रेलवे १९६०–६१ . . १७२३–२५

सभा का कार्य . . . १७२५–२६

दैनिक संक्षेपिका . . १७२७–३५

अंक १६——मंगलवार, ७ मार्च, १९६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन संबंधी उल्लेख १७३७–४३

दैनिक संक्षपिका १७४४

अंक १७——बुधवार, ८ मार्च, १९९६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ से ६६२, ६६४ से ६६६, ६६८ से ६७२, ६७४, ६७५, ६७८ और ६७९ १७४५–६९

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६४९, ६५१ से ६५८, ६६३, ६६७, ६७३, ६७६, ६७७ और ६८० से ६९० . . . . १७७०–१८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ से १२१८ और १२२० से १३०१ . १८०४–८३

स्थगन प्रस्ताव

सिमलाबहल और बद्रचक कोयला खानों में हुई दुर्घटनायें . १८८३–८६

पंडित गोविन्द बल्लभ के निधन पर प्रधान मंत्री का सन्देश . १८८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

अठत्तरवां प्रतिवेदन . . . १८८८

पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर आक्रमण के संबंध में वक्तव्य . . १८८८

रेलवे दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य १८८८–८९

औषधीय तथा प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित १८८९

सभा का कार्य १८८९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६०–६१ . . . १८९०–९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा संबंधी संकल्प . . १८९६–१९०४

दैनिक संक्षेपिका . १९०५–१६

अंक १८--गुरुवार, ९ मार्च, १९६१/१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९२, ६९४ से ७००, ७०४, ७०६, ७०९ और ७११ १९१७–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७०१ से ७०३, ७०५, ७२० और ७१२ से ७२८ . . . १९४३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०२ से १३९९ . . . १९५५–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १९९४–९५

आंध्र प्रदेश में गुड़ के भाव में गिरावट के बारे में वक्तव्य . . १९९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १९९५

राज्य सभा से सन्देश १९९५

विनियोग (रेलवे) विधेयक--पुरस्थापित १९९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा--संबंधी संकल्प . . . १९९६–२००६

आतिशबाजी के सामान के कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . . १९९९

विषय सूची	पृष्ठ
उड़ीसा के बारे में अनुदानो की अनुपूरक मांगें . . .	२००७—२२
अनुदानों की मांग (रेलवे) १९६१–६२ . . .	२०२३—६०
दैनिक संक्षेपिका . . .	२०६१—६७

अंक १९—शुक्रवार, १० मार्च, १९६१/१९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७३७	२०६९—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ से ७६५ और ६५० . . .	२०९०—२१०२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०० से १४९३ . . .	२१०२—४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण मृत्यु	२१४१
तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के अनुपूरक प्रश्नों के बारे में . .	२१४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

धागर नदी में बाढ़ . . .	२१४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१४३—४५
सभा का कार्य	२१४५
उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरस्थापन स्थगित . . .	२१४५–४६
विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६१—पारित . . .	२१४७
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२	२१४७—७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठत्तरवां प्रतिवेदन	२१७२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—

(१) श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, १९६१ . . .	२१७२
(२) श्री केशव का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ४ का संशोधन)	२१७३
(३) श्री अरविन्द घोषाल का राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक, १९६१ श्री अरविन्द घोषाल का ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक	२१७३
प्रस्ताव करने का विचार (अस्वीकृत) . .	२१७३—८५

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	२१८६
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा (नये अध्याय ५क का रखा जाना) . . .	२१८६
विचार करने का प्रस्ताव	२१८६
दैनिक संक्षेपिका	२१८७—९४
अंक २०—सोमवार, १३ मार्च, १९६१/२२ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६६, ७७८, ७६७ से ७६९, ७७३ से ७७७, ७७९, ७८३ से ७८५, ७८७ और ७९२ . . .	२१९५—२२२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ७७२, ७८० से ७८२, ७८६, ७८८ से ७९१ और ७९३ से ८०३	२२२०—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १५४०, १५४२ से १५५६, १५५८ और १५५९ .	२२३०—६०
स्थगन प्रस्ताव—	
१. चलती रेलगाड़ी से गिरने के कारण श्री के० रामाराव की मृत्यु .	२२६०—६२
२. रुद्रसागर में कथित दुर्घटना . .	२२६२–६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अदीस अबाबा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतें .	२२६३–६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२६५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ आठवां प्रतिवेदन . . .	२२६५
लोक लेखा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन .	२२६६
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति . . .	२२६६
उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित .	२२६६–६७
कार्य मंत्रणा समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	२२६७
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२	२२६७—२३२२

विषय	पृष्ठ
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित . . .	२३२२
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३२२—२४
दैनिक संक्षेपिका	२३२५—३०

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LSIII—2292(Ai) LS—15-4-61—125

लोक-सभा

शनिवार, ४ मार्च, १९६१

१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय फिल्मों में अश्लील दृश्य और गीत

+

*५१६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे कुछ अभ्यावेदन और प्रस्ताव आदि मिले हैं जिन में भारतीय चलचित्रों के कथानक-दृश्य और गीतों की अश्लीलता पर चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(ग) क्या सेन्सर बोर्ड के नियमों को अधिक कड़ा करने का विचार है अथवा बोर्ड को किसी अन्य रूप में अधिक प्रभावशाली बनाने की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) हाल में सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायतें या प्रस्ताव नहीं आये हैं। पिछले वर्ष इस प्रकार की कुछ शिकायतें सरकार को मिली थीं । मुझे उन लोगों से जिन्होंने इस प्रकार की शिकायतें भेजी थीं, बातचीत करने का अवसर भी मिला था ।

(ख) तथा (ग). जनता की इस प्रकार की शिकायतों पर सरकार हमेशा बड़े ध्यानपूर्वक विचार करती है । सदा ही यह प्रयास किया जाता है कि सेन्सर करने का कार्य अधिकाधिक उपयोगी, जहां तक संभव हो एकसा तथा डायरेक्टिवस के अनुसार हो । आदेशों की एक प्रति २२ मार्च, १९६० को सभा की मेज़ पर रखी गई थी ।

साधारणतया यह कहा जा सकता है कि इस बात की सर्वदा कोशिश जारी रहती है कि सेन्सरशिप के कार्य को बहतर बनाया जाय । इस बारे में कई और बातों और व्यवहारिक दिक्कतों

†मूल अंग्रेजी में

2148 (Ai) LSD,—1

को भी ध्यान में रखना होता है, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि सेन्सर के कार्य में लगातार सुधार हो रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मंत्री महोदय को इस प्रकार की जानकारी है कि आचार्य विनोबा भावे ने सिनेमा के अश्लील पोस्टरों के खिलाफ एक अभियान आरम्भ किया हुआ है और वह अब बहुत व्यापक रूप धारण करता जा रहा है ? उस अभियान की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रकार का प्रयत्न किया जाएगा कि चलचित्रों में इस प्रकार के दृश्य ही न आएं कि जिनके पोस्टरों के विपरीत इस प्रकार का आन्दोलन करना पड़े ?

डा० केसकर : आवसीन पो टरों का मामला सिनेमा सेन्सरशिप से कुछ अलग है। बल्कि अधिकांश शिकायत यह है कि ऐसे पोस्टरों में वही दृश्य लगाने की टेंडेंसी है जिनको कि सेंसर काट देता है। इस मामले पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है क्योंकि पोस्टरों के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाना गृह मंत्रालय का काम है। जल्द ही इस बारे में कदम उठाये जायेंगे।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार यह महसूस करती है कि भारत में समाज में नैतिक स्तर गिरता जा रहा है और इस बारे में किसी न किसी प्रकार सिनेमा को बहुत कुछ कहना है। क्या सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि इन आदेशों का पालन किया जाय और सिनेमा फिल्मों का नैतिक स्तर उठाने के लिये ठोस कार्यवाही की जाये ?

†**डा० केसकर :** सरकार निरन्तर इस बात पर ध्यान दे रही है कि 'सेन्सर' किस हद तक इन आदेशों का पालन करते हैं। यह भी याद रखना है कि 'सेन्सर' की कठिनाइयां भी बहुत बड़ी हैं। प्रत्येक मामले में उन्हें यह निर्णय करना पड़ता है कि क्या किसी चीज ने सुन्दरता और नैतिकता की सीमा का उल्लंघन किया है। उन्हें कानूनी और अन्य बातें और निचले न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री म० ला० द्विवदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फिल्मों में ऐसे गन्दे चित्रों और दृश्यों के सम्बन्ध में जब न्यायालयों में मामले गये तो वे बरी हो गये, क्या सरकार कोई इस किस्म का कानून बनाने की बात सोचती है कि जिससे ये गन्दे चित्र और दृश्य न दिखाये जा सकें और सेन्सर बोर्ड दक्षता से काम कर सके ?

डा० केसकर : इस मामले पर विचार हो रहा है। अगर ऐसी जरूरत समझी जायगी तो इस प्रकार का कदम उठाया जायगा जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं।

श्री त्यागी : यह जरूरत उनको कौन समझायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या सरकार फिल्म निर्माता और फिल्म प्रदर्शकों पर इस विषय में एक एच्छिक संहिता बनाने के बारे में प्रेरणा देने का प्रयत्न कर रही है ?

डा० केसकर : संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसी एक ऐच्छिक संहिता है और इस दिशा में प्रयत्न किया गया था। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वर्ष १९५२–५३ में सरकार ने इस उद्योग को उस पर ही छोड़ दिया था। उसके बड़े गलत परिणाम निकले। अतः हमें एक संहिता लागू करनी पड़ी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दुरुस्त है कि बहुत से फिल्मों के गाने इतने शर्मनाक होते हैं कि उनको घर में चलाना और सुनना नागवार होता है, और क्या यह भी दुरुस्त है कि सेन्सर बोर्ड ने जब ये गाने पास कर दिये तो उसके बाद आल इंडिया रेडियो को उनको अपनी लाइब्रेरी से हटाना पड़ा ?

†**डा० केसकर :** गानों की शिकायत आयी है । इस बात को देखते हुए अब पिछले ६ महीने से यह तरीका अख्तियार किया है कि गाने अलग से गौर से देखे जाते हैं और पास किये जाते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या सरकार को यह भी मालूम है कि अश्लील गानों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनसे जनता में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं ?

डा० केसकर : जहां तक अपराध सम्बन्धी कथानक वाले चित्रों का सम्बन्ध है, हम इस मामले में दृढ़ता से ध्यान देते हैं । जिन चित्रों में अपराधों को प्रेरणा मिलती है या अपराधों में वृद्धि हो सकती है, उन्हें इजाजत नहीं दी जाती है ।

भारत–श्रीलंका वार्ता

+

*५१७. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-श्रीलंका सम्बन्धी विषयों पर अधिकारी-स्तर पर वार्ता के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ये वार्तायें कब और कहां होंगी ?

(ग) इन वार्ताओं के दौरान किन-किन विषयों पर चर्चा होगी; और

(घ) ये वार्तायें किस स्तर पर होंगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (घ). भारत और श्रीलंका से संबद्ध मामलों पर इधर कुछ वर्षों में सरकारी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है और दो महीने हुए जब श्रीलंका की प्रधान मंत्री भारत आई थीं, तब भी उनके साथ कोई विशेष बातचीत नहीं हुई । भारत-श्रीलंका की समस्या पर कुछ मामूली जिक्र आया था और यह सुझाव दिया गया था कि इस मामले पर बाद में बातचीत की जाये । इसके आगे कोई और बात नहीं हुई है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : सीलोन में जो भारतीय नागरिक हैं उन को विस्थापित करने के लिए कुछ वर्षों से बराबर प्रयत्न चल रहे हैं और यह समस्या बहुत गम्भीर है । क्या प्रधान मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में सीलोन की प्रधान मंत्री महोदया जो भारत आयीं थीं उन से क्या चर्चा हुई और उन्होंने क्या आश्वासन दिए, और भविष्य में इस समस्या के सुलझाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अभी कहा गया सवाल के जबाब में कि चर्चा उनसे नहीं हुई, वही आप फिर पूछते हैं कि चर्चा हुई कि नहीं.

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : उत्तर में कहा गया है कि हलकी चर्चा हुई ...

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ चर्चा उसकी हुई थी और बाकी चर्चा कभी और होगी लेकिन मैं ने इस को पहले ही साफ करने की कोशिश की कि वहां भारतीय नागरिकों का सवाल नहीं है । सवाल है और लोगों का जिनको कि निस्बत हम कहते हैं कि सीलोन के नागरिक होने चाहिएं । वह कहते हैं कि हम नहीं बनायेंगे यह पेंच है । भारतीय नागरिकों का सवाल अलग है और वह दूसरे ढंग का सवाल है । उस से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि भविष्य में इसकी चर्चा कब तक उठने की सम्भावना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जल्दी होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

†**श्री प्रजित सिंह सरहदी :** क्या सरकार को सीलोन में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या के बारे में पता है जिन्हें अभी सीलोन में नागरिकता अधिकार प्राप्त करने हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : समय समय पर आंकड़े दिये गये हैं। पूरे ठीक आंकड़ों का पता नहीं है । यह लगभग ७ लाख है, भारतीय राष्ट्रजन नहीं परन्तु सीलोन में भारतीय उद्भव के व्यक्ति ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान वाणिज्यिक फ़र्मों के कर्मचारियों पर हाल में १००० रुपये और ४०० रुपये के प्रतिबन्ध लगाये जाने से सीलोन में छोटे भारतीय व्यापारियों की बड़ी संख्या पर पड़े प्रभाव की ओर आकृष्ट किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया था और संसद् में एक प्रश्न पूछा गया था कि जिसका हम ने उत्तर दे दिया है ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या सीलोन अधिकारियों द्वारा वीसा पुनः जारी करने की इन्कारी को ध्यान में रखते हुए सीलोन से भारतीय उद्भव के व्यक्ति बड़ी मात्रा में भारत आये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** भारतीय राष्ट्रजनों और अन्य लोगों के ऐसे कई मामले हैं जिन में वीसा की अवधि समाप्त हो गयी है और उनका नवीकरण नहीं किया गया है । मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा कितने व्यक्तियों के बारे में हुआ ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह सेवाओं में लंकावासियों को नियुक्त करने की नीति के कारण है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उनकी यह निश्चित नीति है कि सरकारी सेवाओं और अन्य सेवाओं में लंकावासियों को नियुक्त किया जाये । अतः वे उन के वीसा का पुनर्नवीकरण नहीं करते जिन्हें वे पराया समझते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी जो कामनवेल्थ कान्फ्रेंस होने जा रही है तो प्रधान मंत्री जी वहां पर इस प्रश्न को सुलझाने के लिए कुछ चर्चा करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वहां इस सवाल की कोई चर्चा या जिक्र नहीं होगा । जहां तक मैं समझता हूं कभी ऐसा होता नहीं है, दस्तूर नहीं है ऐसे सवालों के उठाने का ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या सरकार छोटे भारतीय व्यापारियों को होने वाली कठिनाई के बारे में श्रीलंका सरकार को बताने के बारे में कार्यवाही करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस बारे में श्री लंका सरकार से बात चीत की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ये मामले पूर्णतः श्रीलंका सरकार के ऊपर हैं । स्पष्टतः यदि इस कारण भारतीय राष्ट्रजनों को कोई कठिनाई होती है तो हम वह बात श्रीलंका सरकार के ध्यान में लाते हैं । दिन प्रतिदिन ऐसा होता है । उच्च आयुक्त इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करता है और यह आशा की जाती है कि इस से या तो उनकी प्रक्रिया में संशोधन किया जायेगा अथवा उस में कुछ ढील दी जायेगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सच है कि भारतीय नागरिकों के लंका जाने में बहुत सी कठिनाइयां या प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, यदि हां, तो भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है कि अनधिकृत रूप से जो लोग वहां जाते हैं वे इस तरीके से न जा सकें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कैसे लोग न जा सकें ?

श्री म० ला० द्विवेदी : अनधिकृत लोग, इल्लीगली लोग न जा सकें ....

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस शब्द का अनुवाद कर दिया जाय तो मैं समझूंगा ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या भारतीय नागरिकों को सीलोन में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है और जो बिना पारपत्रों के गैर-कानूनी रूप से प्रवेश कर रहे हैं, क्या भारत सरकार द्वारा उनको किसी प्रकार ऐसा करने से रोका जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया महज रोकती नहीं है बल्कि सिपाही हैं जहाज हैं रोकने के लिए हर तरकीब है फिर भी वह छिप कर चले जांय तो फिर लाचारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय का निर्यात

+

†*५१८. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री यादव नारायण जाधव
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :
श्री पांगरकर :
श्री हेमराज :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय के निर्यात में निरन्तर कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसका कारण फसलों का कम होना है अथवा चाय बागान को उर्वरकों का कम संभरण किया जाना है ; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

चाय के निर्यात के आंकड़ों में हर वर्ष अन्तर होता रहा है। वर्ष १९६० में निर्यात की मात्रा पहले वर्षों में निर्यात की मात्रा से कम थी। इस बात के लिये कोई दृढ़ चीज नहीं है जिस से यह पता चले कि हमारे निर्यात में कमी हो रही है। वर्ष १९६० में निर्यात में कमी मुख्यत: वर्ष १९६०–६१ के मौसम में प्रारम्भिक महीनों में पूर्वोत्तर भारत में सूखा पड़ने के कारण उत्पादन में कमी होना है। धीरे धीरे चाय बागानों को नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक बड़ी मात्रा में दिये जा रहे हैं।

चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :

१. चाय बोर्ड ने विभिन्न प्रदेशों के लिये एक निर्यात संबर्द्धन समिति की स्थापना की है ।

२. भारत, अमरीका, कनाडा, पश्चिम जर्मनी और आयरलैण्ड में स्थापित चाय परिषदों में भाग लेता है ।

३. भारत ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किये हैं जिन में चाय को निर्यात की वस्तु रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. भारतीय चाय के हितों की देख भाल के लिये अमरीका, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब गणराज्य और ब्रिटेन में चाय संवर्द्धन पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। पश्चिम जर्मनी और इराक में भी ऐसे पदाधिकारी भेजने के लिये कार्यवाही की जा रही है । काहिरा में एक चाय केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

निर्यात के लिये भारतीय चाय की मात्रा में वृद्धि करने और इसकी किस्म सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

१. चाय बोर्ड ने कुल २ करोड़ रुपये के खर्च से किराया खरीद आधार पर मशीनों और उपकरणों को देने की योजना लागू की है ।

२. चाय मशीनों की मरम्मत कराने, उन्हें बदलने और उनका नवीकरण कराने के लिये कछार, त्रिपुरा, कांगड़ा और मंडी में चाय बागानों को ऋण देने की एक मुख्य योजना मंजूर की गयी है ।

३. विदेशी मुद्रा की कठिनाई के बावजूद भी चाय बागानों को उर्वरकों के संभरण में वृद्धि करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

४. चाय बोर्ड द्वारा कछार और त्रिपुरा में ३०० एकड़ तक के सभी चाय बागानों को उर्वरक राज-सहायता दी जा रही है ।

५. दक्षिण भारत में छोटे उत्पादकों को सहायता देने के ख्याल से चाय बोर्ड ने नीलगिरि में चाय उत्पादन सहकारी समिति को कारखाना लगाने की लागत के लिये एक ऋण मंजूर किया है ।

६. चाय बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों में छोटे चाय बागानों को प्रविधिक सहायता देने की व्यवस्था कर रहा है ।

७. चाय बोर्ड चाय बागानों में वृद्धि करने की आज्ञा मुक्त रूप से दे रहा है।

८. दुबारा लगाये गये पौधों वाले क्षेत्रों से झाड़ों को उखाड़ने की अवधि ३ वर्ष से बढ़ा कर आठ वर्ष कर दी गयी है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** सरकार को यह पता चला है कि चाय पर तीन प्रकार कर लगाये जाते हैं जिस से यह पूर्व अफ्रीकी और श्री लंका की चाय के मुकाबले में अलाभ-प्रद स्थिति में हो जाती है ? यदि हां, तोक्या वह इन सब करों के बजाय एक इकट्ठा कर लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** उस पर पश्चिमी बंगाल प्रवेश कर लगता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** आसाम सड़क कर भी।

†**श्री सतीश चन्द्र :** जहां तक मुझे पता है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद आसाम सड़क कर नहीं लगाया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल प्रवेश कर लगता है । जिसका सड़क कर से कोई मतलब नहीं । इन करों के समेकन के लिये एक प्रस्ताव है । राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि सरकार मशीनों के बदलने और नये पौधे लगाने के लिये जरूरतमन्द चाय बागानों के मामलों में धन देने अथवा बैंकों को गारन्टी देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? क्या यह मामला अभी विचाराधीन है अथवा यह मामला छोड़ दिया गया है ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** इन सब मामलों पर निरन्तर विचार किया जा रहा है और भारत के रक्षित बैंक और राज्य बैंक से परामर्श किये गये हैं और चाय बागानों को अधिक ऋण सुविधायें दी जा रही हैं। परन्तु ऋण सुविधायें केवल उचित जमानत पर ही दी जा सकती हैं।

†**श्री नंजप्प :** चाय बागानों को उनकी मांग के विरुद्ध कितने उर्वरकों का संभरण किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस वर्ष दिये गये उर्वरक की मात्रा चाय उद्योग की मांग के लगभग बराबर ही है । उदाहरणतः पूर्वोत्तर भारत में ७३,००० टन की मांग के विरुद्ध चाय उद्योग को ७८,००० टन नाइट्रोजन का आवंटन किया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** विदेशों में भारतीय चाय के कम बाजारों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशों में भारतीय चाय के प्रचार के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं और देश में चाय की किस्म सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

†**श्री सतीश चन्द्र :** उत्पादन बढ़ाने के लिये कई प्रयत्न किये गये हैं और वास्तव में उत्पादन बढ़ भी रहा है । देश में खपत में भी वृद्धि हो रही है । माननीय सदस्य . . . .

†**श्री हेम बरुआ :** मैंने देश में खपत के बारे में प्रश्न नहीं पूछा है ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं बता रहा हूं कि यह सब उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर करता है और प्रतिवर्ष उत्पादन में वृद्धि होती रही है। दुर्भाग्यवश, इस वर्ष के आरम्भ में पूर्वोत्तर भारत में सूखा पड़ने के कारण यह वर्ष खराब रहा है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या सरकार को इस बात का पता है कि चाय पर प्रस्तावित नये कर लगा कर वे अप्रत्यक्ष रूप से नये क्षेत्रों में उदाहरणतः पूर्व अफ्रीका में हमारे प्रतिद्वन्द्वियों की सहायता कर रहे हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** वास्तव में हम जिस भारतीय चाय का निर्यात कर रहे हैं उसका सामान्य किस्म की अफ्रीकी चाय से कोई मुकाबला नहीं है । कठिनाई यह है कि भारत में घरेलू एक बड़ा मार्केट है और सामान्य किस्म की चाय की यहां खपत हो जाती है और सामान्य किस्म की चाय में हम पूर्व अफ्रीका से मुकाबला नहीं कर सकते । परन्तु जहां तक बढ़िया किस्म की और बीच की किस्म की चाय का सवाल है, उनकी बिक्री बहुत अच्छी होती है और जो कुछ फालतू चाय बिकती है, वह विदेशी मंडियों में बेच दी जाती है । यह प्रश्न अधिक उत्पादन का है न कि निर्यात में कठिनाई का ।

†**श्री अमजद अली :** प्रश्न के भाग (क) और (ग) के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विशेषतः आसाम में उर्वरकों की अनुपलब्धता के बारे में शिकायतें मिली हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

और उस कारण चाय के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार का आसाम या उसके आस पास एक उर्वरक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुख्य प्रश्न का भाग (ग) इस बारे में है ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैंने बताया कि इस वर्ष आसाम और बंगाल के चाय बागानों को उनकी मांग से भी अधिक उर्वरक दिये गये हैं । बात केवल यह है कि समूची मांग को अमोनियम सल्फेट के रूप में संभरण करना सम्भव नहीं हो सका है परन्तु समूची मात्रा अमोनियम सल्फाइड नाइट्रेट और उरिया के रूप में संभरित की गयी है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** सूखा के अतिरिक्त, क्या यह भी विश्वास किया जा सकता है कि पिछले वर्ष आसाम के चाय बागानों के राज्य में झगड़ों के कारण भी इस वर्ष निर्यात व्यापार को हानि पहुंची है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जी, नहीं । कुछ खास हद तक नहीं ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या यह सच है कि हाल ही में जापान ने उर्वरकों अथवा कुछ मशीनों के वस्तु-विनिमय में कुछ लाख टन चाय लेने का प्रस्ताव किया है; और यदि हां, तो वह प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** मुझे ऐसे प्रस्ताव का पता नहीं है । यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें, तो मैं राज्य व्यापार निगम से पूछताछ करूंगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** विवरण से पता चलता है कि विभिन्न विदेशों में चाय संवर्द्धन पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं । क्या वे इस बात का पता लगाने के लिये मंडियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं कि उन विदेशों में किस प्रकार की चाय की खपत है । उदाहरणत: इराक में जहां आप एक चाय केन्द्र खोलना चाहते हैं, वहां मुख्यत: हरी चाय पी जाती है । क्या मंडियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ताकि हम ठीक किस्म की चाय का निर्यात कर सकें ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इराक काफी मात्रा में काली चाय का आयात कर रहा है । इराक उन देशों में से है जिनको चालू वर्ष में चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है । हम ने इन पदाधिकारियों को वहां इसलिये लगाया है ताकि वे उन देशों में ब्लैण्डरों और पैकरों पर निगाह रख सकें और उनको भारतीय चाय की मात्रा उपलब्ध होती रहे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या यह सच है कि चाय की खराब किस्म के संभरण के कारण, जो कि नमूनों से भिन्न हैं, विदेशों में हमारे मार्केट खत्म हो रहे हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं फिर कहता हूं कि हम चाय की मंडियां खो नहीं रहे हैं । निर्यात योग्य सभी फालतू चीज के लिये मंडियां हैं । प्रश्न चाय के अधिक उत्पादन का है, यदि हम निर्यात बढ़ाना चाहते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** औचित्य प्रश्न पर । पहले दिन वित्त मंत्री महोदय ने बताया था कि जहां तक विश्व की मंडियों का सम्बन्ध है, हमारे चाय व्यापार को हानि हो रही है जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय होती है और यहां पर मंत्री महोदय ने अपने आय-व्ययक भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से भिन्न वक्तव्य दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । जब आय-व्ययक पर चर्चा हो तो माननीय सदस्य यह बात उठा सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का कहना है कि वित्त मंत्री महोदय ने कुछ बात कही है और अन्य मंत्री महोदय ने कुछ अन्य बात कही है । ऐसा क्यों है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह बात बिल्कुल ठीक है । इस समय हम घरेलू खपत को घटाना और निर्यात बढ़ाना चाहते हैं । उस कार्य के लिये निर्यात-शुल्क में कमी की जा रही है और घरेलू खपत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है । अतिरिक्त शुल्क से आन्तरिक खपत में कमी होगी और निर्यात के लिये अधिक चाय उपलब्ध होगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** वह मैं समझता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका इस समय फैसला नहीं हो सकता ।

†**श्री हेम बरुआ :** वित्त मंत्री महोदय के इस वक्तव्य के बारे में क्या बात है जिसमें उन्होंने कहा था कि चाय की मंडियों में कमी हो गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जो भी हो । इस मामले पर आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान विस्तार से चर्चा की जा सकती है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या अब भी सरकार का यह विचार है कि भारतीय चाय स्वयं बिकेगी ? हमें सीलोन के बारे में पता चलता है कि सीलोन लन्दन और न्यूयार्क में, उदाहरणतः वहां पर जहां से हमने स्वयं को निकाल लिया है, बहुत बड़े प्रचार केन्द्र चला रहा है । अतः क्या अब भी सरकार का यह ख्याल है कि भारतीय चाय स्वयं बिकेगी जब कि हम देखते हैं कि चाय की बिक्री कम हो रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि हमने इस वर्ष न्यूयार्क, काहिरा और सिडनी समेत विदेशों में चार या पांच कार्यालय खोले हैं । हम चार विदेशी चाय परिषदों के भी सदस्य हैं । चालू वर्ष में कई संवर्द्धनात्मक का किये गये हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** उपमंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि चाय के निर्यात में कोई खास कमी नहीं हुई है । यदि कोई खास कमी नहीं हुई है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि चाय के नि ति में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस वर्ष के आरम्भ में आसाम और बंगाल के क्षेत्रों में फसल खराब हो जाने से निर्यात में कमी हुई है । यही कारण है जिससे पूर्वोत्तर भारत में चाय का उत्पादन ३८० लाख पौण्ड कम हुआ । इस वर्ष निर्यात में ३२० लाख पौण्ड की कमी रही । इन सब बातों पर विचार किया जाना है । यह एक असामान्य परिस्थिति है जो इस वर्ष चाय के निर्यात में इस कमी के लिये जिम्मेवार है ।

†**श्री कमलनयन बजाज :** मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार चाय की आन्तरिक खपत कम करना चाहती है और इसीलिये वित्त मंत्री महोदय ने चाय पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदयों ने चाय खपत में स्वयं भी कमी करने और देश में एक उदाहरण स्थापित करने का फैसला किया है ?

†**एक माननीय सदस्य :** उपमंत्री महोदयों समेत।

†**श्री सतीश चन्द्र :** जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं कभी चाय नहीं पीता।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** यह बताय गया है कि चाय पर आन्तरिक शुल्क में कमी की गयी है। मैं समझता हूं कि यह मामला नहीं है। जब कुछ मामलों में शुल्क में कमी क गयी है तो अन्य मामलों में इसमें वृद्धि की गयी है। आन्तारक उपभोग के लिये केवल चाय के पैकेटों पर शुल्क में कमी की गयी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

नेहरू-नून करार

+

†*५१६. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री सूपकार
श्री नवल प्रभाकर
श्री हेम बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कालिका सिंह :
श्री वाजपेयी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच इलाके की अदला बदली के बारे में नेहरू-नून करार के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या भारत और पूर्व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो क्या नई सीमा का मानचित्र उपलब्ध हो सकता है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) विवाद १ और २ पर बागे पंचाट के अधीन इलाकों की अदला बदली १५ जनवरी, १९५९ को हुई। अन्य क्षेत्रों के हस्तांतरण के बारे में अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है।

(ख) और (ग). भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के २५१६ मील में से १६१३ मील में खम्भे लगा कर सीमांकन-कार्य पूरा कर लिया गया है। बाकी क्षेत्र में यह कार्य किया जा रहा है। सीमांकन पूरा किये जाने के बाद ही सीमा का मानचित्र तैयार किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** औचित्य प्रश्न पर। सभा में सामान्यतः यह प्रथा है कि जब आप 'अगला प्रश्न' पुकारते हैं तो आप प्रश्न में प्रथम सदस्य का नाम पुकारते हैं। यदि वह अनुपस्थित

†मूल अंग्रेजी में

हो, तो अन्य सदस्य का नाम पुकारा जाता है । इस प्रश्न के बारे में आपने किसी भी सदस्य का नाम नहीं पुकारा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** तीनों सदस्य, जिनके नाम यहां हैं, अनुपस्थित हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह बात आप के ध्यान में ला रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने मुझे यह पता लगाने में मेरी सहायता की है कि सर्वश्री श्री नारायण दास, राधा रमण और सूपकार अनुपस्थित हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** सामान्यतः आप प्रथम नाम पुकारते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** भविष्य में भी यह बात देखी जाये कि माननीय सदस्य स्वयं यह देखें कि क्या वे सदस्य जिनके नाम प्रश्न में उनसे पूर्व हैं, उपस्थित हैं या नहीं और यदि वे उपस्थित नहीं हैं, तो वे स्वयं उठ कर प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि बेरुबाड़ी का जो एरिया ट्रांस्फ़र होने जा रहा है, उस में जो लोग आबाद हैं, उन को फिर से आबाद करने का क्या इन्तज़ाम किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जो लोग वहां आबाद हैं और उन में से जो लोग इधर आने की इच्छा रखते हैं, हमारा इरादा है कि वे वहां आस-पास आबाद किये जायेंगे—यानी एक तो बेरुबाड़ी के उस हिस्से में, जो हमारे साथ रहेगा, और इधर उधर जो यूनियन्ज़ हैं, वहां जांच करवाई गई और मालूम हुआ कि वहां इस की गुंजाइश है । वहां उन के लिये मकान बनवाये जायेंगे और ज़मीन भी मिल जायगी ।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या बेरूबाड़ी के सम्बन्ध में भारतीय संघ और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने में कोई कठिनाई है ? विस्थापित व्यक्तियों को बसाने की जिम्मेवारी किसकी होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अभी सीमांकन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है । अतः मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई कठिनाई होगी या नहीं । इस समय हम किसी अन्य क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं । पंजाब में कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हुई है । बेरूबाड़ी में भी कुछ कार्य किया गया है । अगला कदम पदाधिकारियों के जरिये सीमांकन कराना होगा । जनगणना और कुछ अन्य बातें इस बीच आयीं । पुनर्वास की जिम्मेवारी पश्चिमी बंगाल सरकार की होगी परन्तु जहां तक खर्च का सम्बन्ध है, यह जिम्मेवारी अधिकांश भारत सरकार की होगी ।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या विस्थापितों को पुनर्वासित करने में कोई विलम्ब होगा या उन्हें जल्दी बसाया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह आशा है कि यह कार्य बहुत जल्दी किया जायेगा । यह भी एक कारण है जिसकी वजह से हम ने अभी तक वास्तविक तिथि "नियुक्त दिवस" तै नहीं किया है क्यों हम ये सब बातें नियुक्त दिवस से पूर्व करना चाहते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी :** नेहरू-नून समझौते के अनुसार बेरूबाड़ी संघ को भारत और पाकिस्तान के बीच बराबर बराबर बांटना है। यह विभाजन दिगन्तसम[1] होना है। क्या इस खंड की व्याख्या के बारे में कोई नई कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** "दिगन्तसम" शब्द बड़े व्यापक रूप में प्रयुक्त होता है अर्थात् यह दिगंशवृत्त[2] नहीं होना है। यह गणित की दिगन्तसम रेखा नहीं है। यदि इस प्रकार कोई प्रयत्न किया जाये तो उसमें कठिनाई होगी। पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक और अगर आप चाहें तो उत्तर से दक्षिण तक एक उचित रेखा खींची जायेगी। कोई खास कठिनाई नहीं हुई है परन्तु छोटी बातें उठ सकती हैं। मुख्य बात यह है कि यह आधा आधा होना है और लाईन ऐसी होनी चाहिए जिससे दोनों पक्षों को सुविधा मिले। मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई ऐसी रेखा नहीं खींच सकते जो किसी क्षेत्र को काट दे। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अतः यह सुझाव दिया गया कि यह दिगन्तसम हो। खैर "दिगन्तसम" एक अच्छा शब्द नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** बेरूबाडी संघ के हस्तांतरण के विरुद्ध जनता की राय को ध्यान में रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार बेरूबाडी के हस्तांतरण के बारे में पाकिस्तान सरकार से नेहरू-नून समझौते का मित्रतापूर्वक संशोधन करने के लिये कहेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सभा ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है और बड़े बहुमत से इस मामले के बारे में एक अधिनियम पास किया है और सरकार को संसद के आदेश का पालन करना है।

†**श्री बर्मन :** क्या यह सच है कि कठिनाई इस कारण हो रही है कि यह आठ वर्ग मील का हिस्सा पाकिस्तान के भीतर है जिसका केवल एक फर्लांग भाग भारत में है ? अब क्योंकि आधे-आधे का सिद्धान्त मंजूर कर लिया गया है, क्या भारत सरकार इस बारे में पाकिस्तान सरकार से परामर्श करेगी क्या वह इसे दिगन्तसम नहीं परन्तु दिगंशवृत्त रूप में विभाजित कराना चाहती है ताकि उनको ५० प्रतिशत क्षेत्र मिल जाये और इस प्रकार पाकिस्तान को एक पूरा ब्लाक मिल जायेगा और बाकी भारत में रह जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सीमांकन का समूचा प्रश्न दोनों पक्षों की सहमति पर होगा। यह पाकिस्तान सरकार को कहने का प्रश्न नहीं है क्योंकि इस कार्य के लिये पाकिस्तान के प्रतिनिधियों और हमारे प्रतिनिधियों की बैठक होगी। यदि "दिगन्तसम" या "दिगंशवृत्त" शब्द कहे जाते हैं तो ये शब्द अच्छे नहीं हैं। परन्तु जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, यदि हम विभाजन दिगंशवृत्त करें तो कूच बिहार का इलाका जो हमें मिलेगा, वह भारत से अलग हो जायेगा। अतः इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यदि दोनों पक्ष इस पर सहमत हो जायें तो रेखा के बारे में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी। यह कोई विधि नहीं है यह गणित की दिगन्तसम रेखा नहीं है।

जनगणना और अन्य बातों के फलस्वरूप अब हमारा यह विचार है कि इस में लगभग ५ हजार व्यक्ति ग्रस्त होंगे।

†**श्री कालिका सिंह :** इस समय कुल बेरूबाड़ी संघ का क्षेत्र, जिसका विभाजन पाकिस्तान और भारत के बीच होगा, आठ वर्ग मील है और कुल जनसंख्या १२,००० है। इस में से कुल १०० व्यक्ति मुसलमान हैं। फिर पांच हजार व्यक्तियों के विस्थापित होने का प्रश्न कहां है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Horizontal.

[2]Vertical.

वे पाकिस्तान में रहें और हम इसके लिये जनरल अय्यूब खां से प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वे वहां अपने अन्य हिन्दू भाईयों के साथ शांतिपूर्वक रह सकें।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य एक सुझाव दे रहे हैं। श्री बर्मन।

†**श्री कालिका सिंह :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर का कोई प्रश्न नहीं है। वह तो एक सुझाव दे रहे हैं।

†**श्री बर्मन :** सिद्धान्त रूप से अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि बेरूबाड़ी को आधा आधा बांटा जायेगा और आधा हिस्सा हमें मिलेगा। मेरा प्रश्न यह है कि जब यह बात मंजूर कर ली गयी है, आधा बेरूबाड़ी और उस इलाके को जो हमारे क्षेत्र में है एक पूरा ब्लाक माना गया है, पाकिस्तान पश्चिम और पूर्व की ओर का पचास प्रतिशत भाग ले ले अर्थात् बेरूबाड़ी का पूर्वी हिस्सा और वह क्षेत्र जो हमारे क्षेत्र में है, पूर्व की ओर भारत को मिल जाये ताकि पाकिस्तान को अपने बड़े राज्य-क्षेत्र के साथ साथ एक समूचा हिस्सा मिल जायेगा और बाकी आधा हमारे लिये प्रशासन और शरणार्थियों के पुनर्वास की दृष्टि से लाभप्रद होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** बंगाल के सभी माननीय सदस्य अपने अपने सुझाव प्रधान मंत्री को दे दें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, नहीं। वे हमारे पास हैं। उन्हें दुबारा भेजने की जरूरत नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री त्यागी** नागरिकता के बारे में एक प्रश्न। मैं नागरिकता के अधिकार के बारे में जानना चाहता था . . .

†**श्री राधेलाल व्यास :** एक महत्वपूर्ण प्रश्न . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। मुझे खेद है। अगला प्रश्न।

अणु शक्ति उत्पादन केन्द्र

\+

*५२१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री कोडियान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री राम गरीब :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अ० मु० तारिक

क्या **प्रधान मंत्री** १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अणुशक्ति उत्पादन केन्द्र स्थापित

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के जिन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा था, उन के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : इस विषय में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या प्रधान मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि कोयले की खानों की दूरी की वजह से उत्तर प्रदेश में खास कर पश्चिमी इलाकों में उद्योग धंधों को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस कारण से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव रखा है कि एक एटोमिक एनर्जी जेनरेटिंग सैंटर बनाया जाये ? क्या इस बारे में खास तौर से विचार किया जायेगा और कुछ प्राथमिकता दी जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां, यह ध्यान में आया है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह सत्य है कि पिछले दिनों दिल्ली कारपोरेशन के बिजली विभाग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एलान किया था कि दिल्ली में भी इस तरह का जेनरेटर लगाया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे याद नहीं कि दिल्ली कारपोरेशन ने कोई ऐसा प्रस्ताव किया है या नहीं । माननीय सदस्य कहते हैं तो ऐसा प्रस्ताव हुआ होगा । लेकिन दिल्ली कारपोरेशन को यह बनानी नहीं है, एटोमिक एनर्जी, और न उत्तर प्रदेश की सरकार को बनानी है और न ही किसी और गवर्नमेंट को । महज़ कोयला न होने की वजह से यह नहीं बनता है । और भी जरूरतें होती हैं जो पूरी होनी चाहियें । यह काफी पेचीदा सवाल है । यह समझना कि नक्शे में यहां वहां नुक्ते दे दें और यहां वहां वह बन जाये, तो वह हो नहीं सकता है । इसमें काफी कठिनाई है । उससे ज्यादा आसान, मेरे विचार में, यह होगा कि उत्तर प्रदेश में तेल मिलें औ गालिबन वह मिलेगा । मेरा खयाल है कि बहुत पहले से इसकी खोज की जा रही है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन केन्द्रों की संख्या के बारे में कोई अनुमान या कुछ आवंटन किया गया है और इन अणुशक्ति प्रतिष्ठानों से लगभग कितनी बिजली तैयार होने की संभावना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मुझे ठीक याद नहीं है कि तीसरे प्लान में इसका किस तरह से ज़िक्र हुआ है । लेकिन मेरा खयाल है कि कुछ न कुछ ज़िक्र है और कुछ इस बात का विचार है कि उत्तर प्रदेश--दिल्ली के आस पास में, किसी इलाके में, हो सके तो ऐसा स्टेशन रखा जाये ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या अणुशक्ति आयोग ने इस उद्देश्य से किसी क्षेत्र विशेष की जांच की है और यदि हां, तो किन क्षेत्रों की ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस ने बहुत क्षेत्रों की जांच की है । मुझे समझ में नहीं आया कि जांच से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है । यह व्यापक सर्वेक्षण है कि कौन स्थान उपयुक्त होंगे । मैं ठीक से नहीं कह सकता कि वे जांच करने के लिये वहां गये थे, किन्तु वे इस के बारे में कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

समय से बात कर रहे थे और मैं मानता हूं कि उन्होंने सम्भव स्थानीय जगहों को भी देखा है ।

†**श्री कोडियान :** केरल कोयला निक्षेपों से बहुत दूर है इसे ध्यान में रखते हुए क्या वहां एक केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे मालूम नहीं, किन्तु पहली बार नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो कहा उस के लिये धन्यबाद देते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कब तक विचार किया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : गालिबन जब तक फैसला नहीं होता है ।

†**श्री कालिका सिंह :** समाचार पत्रों में पहले यह समाचार आया था कि विदेशी कंपनियां तथा सरकारें जो भारत में जो अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने में सहयोग देना चाहती हैं, उन्होंने भारत सरकार से यह आश्वासन मांगा है कि वे ऐसी कोई चीज तैयार नहीं करेंगे जिस से अणु बम तैयार हो सकते हों। क्या यह आश्वासन दे दिया गया है या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य की बात बिल्कुल ठीक नहीं है । अणुबमों के बारे में आश्वासन देने का कोई प्रश्न नहीं है और न ही किसी ने यह आश्वासन मांगा है । जहां तक मुझे विदित है, भारत ही एक ऐसा देश है जिस ने बार बार, पक्की तरह और जोर दे कर यह घोषणा की है कि वह इस नई अणु शक्ति का प्रयोग शस्त्र बनाने के लिये नहीं करेंगे । किन्तु प्रश्न कुछ परित्राणों के बारे में उठा है, जो कुछ राष्ट्रों ने उठाया है । प्रविधिक शब्द 'सेफगार्ड' या 'परित्रणों' का प्रयोग किया गया है । हम कुछ अन्य देशों के इन विचारों से सहमत नहीं हैं। इस मामले पर अभी चर्चा जारी है ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या यह सच है कि पश्चिमी देश अणुशक्ति के मामलों में भारत की सहायता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के नियंत्रण का अधिकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है । यदि ऐसी बात है तो भारत क्यों नियंत्रण का अधिकार मानने को तैयार नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में दो प्रश्न हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जैसा कि मैं ने कहा है, यह कुछ परित्राणों का प्रश्न है जो वे उन देशों के लिये निर्धारित करना चाहते हैं, जिन का उन से संबंध पड़ता है, न मानने का प्रश्न नहीं है, हमें प्रयाप्त सहायता मिली है । हमें सहायता मिल रही है, किन्तु मामला विशेष में, मतभेद है जिस के बारे में अब तर्क किया जा रहा है । मुख्य बात यह है कि दो, तीन चार शक्तियां जो इस समय अणुशक्ति के प्रयोग के प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ नियम बनाना चाहते हैं कि अन्य राष्ट्र आगे न बढ़ें और केवल उन के साथ ही चलें । इस लिये परित्राणों का प्रश्न आता है । हम इस तर्क को स्वीकार नहीं करते। इस में कोई सन्देह नहीं कि हम ने यहां काफी उन्नति की हुई है और अन्ततो-

---

†मूल अंग्रेजी में

गत्वा हम इसे स्वयं कर सकेंगे । इस में केवल दो या तीन वर्ष और लगेंगे । हम इसे रोकना चाहते हैं और संभव है कि इन में से कुछ राष्ट्रों के साथ हमारा समझौता हो जाएगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†*५२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के सिलसिले में मुख्यत: इन बातों, (एक) संगठन का रूप, (दो) मूल्य नीति, और (तीन) संसद् को जबाव देही, के बारे में अंतिम रूप से विचार कर लिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ पहलुओं पर कृष्ण मेनन की सिफारिशें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस सभा को चार महीने से पहले बताया गया था कि इस पूरे प्रश्न का निर्णय होने वाला है और यह मंत्रिमंडल के समक्ष है । इन चार महीनों में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने ठीक यही कहा है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं मानता हूं कि इस के विलम्ब में अंशत: मेरा दोष है । वास्तव में मंत्रीमंडल ने इस पर विचार किया है । विचार आरम्भ हो चुका है और जारी है । इस विषय में एक बड़ा प्रतिवेदन है और हम इस पर अच्छी तरह ध्यानपूर्वक विचार करना चाहते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या स्थायी समिति संबंधी इस प्रश्न पर लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति ने अग्रतर चर्चा की है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पहले मंत्रिमंडल को फैसला करना पड़ता है और उसके बाद सब आवश्यक औपचारिकताएं की जाएंगी ।

†**श्री कासलीवाल :** माननीय मंत्री ने कहा है कि जब उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रसिद्ध अनुभवी विद्वान श्री रौवसन द्वारा दिये गये वार्ता में सभापतित्व का अवसर मिला था, जब कि संसद् के प्रति उत्तरदायित्व के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उनका यह मत था कि संसद् को प्रतिवेदन भेजे जाने से पूर्व प्राधिकृत लेखापालों और अर्थशास्त्रियों की तालिकाओं द्वारा उसका परीक्षण किया जाना चाहिये । क्या मंत्रालय ने इस पर विचार किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम ने इस विषय पर खूब विचार किया है । हमारे सब प्रतिवेदनों का परीक्षण प्राधिकृत लेखापालों द्वारा किया जाता है । उस भाषण में मैंने यह कहा था कि इन परियोजनाओं के कार्य की कुशलता लेखापरीक्षा की जानी चाहिये । हम यह कर रहे हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या इस मामले पर प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर भी मंत्रिमंडल में विचार किया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सरकारी उपक्रमों की समस्याओं का एकत्रीकृत एवं समन्वीकृत हल है। आवश्यक नहीं कि इस विशिष्ट समिति की केवल सिफारिशों पर ही, अपितु इस से संबंधित सब बातों पर मंत्रिमंडल विचार करेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज में नौकरियों की भरती के लिये क्या कोई इस प्रकार के सुझाव विचाराधीन हैं कि यह भरतियां उसी प्रकार हों जिस प्रकार पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट में होती हैं? यदि नहीं तो क्या इस विचार को कैबिनेट के सामने रक्खा जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : मैं ने इस बारे में यहां पर कई दफा जवाब दिया है और किस-किस तरीके से अलग-अलग किस्म के जो पोस्ट्स हैं वे भरी जाती हैं इस का भी अहवाल मैं ने हाउस के सामने रक्खा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या अभी हाल ही में रूस के उप प्रधान मंत्री ने प्रोत्साहन तथा वेतन-क्रमों के बारे में हमारे सरकारी उपक्रमों को चलाने के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं, और यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस मामले पर योजना आयोग ने उस के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की है और उन्होंने कुछ बड़े मूल्यवान सुझाव दिये हैं ; जिन में से उपक्रमों को और अधिक प्राधिकार दिया जाना अर्थात् सरकार का उन के कामों में जहां तक संभव हो हस्तक्षेप न करना तथा उस में—यह माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में है—नियुक्तियों आदि के बारे में, उन को पर्याप्त स्वतंत्रता देना और लोक सेवा आयोग की कठिन प्रक्रिया में से न गुजरना आदि शामिल हैं। सरकार के पुराने प्रशासकीय ढांचे के साथ सरकारी उपक्रम अच्छी तरह नहीं चलाये जा सकते।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री अमरीकी अधिकारियों तथा रूस के उप प्रधान मंत्री के कुछ सुझावों को मिला रहे हैं। मैंने विशेष रूप से उत्पादन के लिये कुछ प्रोत्साहनों और वेतन-क्रमों के बारे में पूछा था ।

†**श्री मनुभाई शाह :** श्री कोसीगिन ने हमें प्रोत्साहनों की बातें बताईं। मैं ने पिछले एक साल में कई बार सभा के समक्ष इस बात का उल्लेख किया है । हमारे पास पहले से दो रूसी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का परीक्षण किया है । वे हमारी प्रार्थना पर परिणामों के आधार पर वेतन की योजना तैयार करने का विचार कर रहे हैं ।

†**डा० मा० श्री० अणे :** क्या प्रधान मन्त्री यह बतायेंगे कि उनके इस कथन का क्या अभिप्राय था, कि लोक सेवा आयोग द्वारा नौकरियों के लिये लोग चुनना कठिन है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, हां। प्रशासनिक काम के लिये एक विशेष दृष्टि कोण की जरूरत होती है। जो लोक सेवा आयोग द्वारा अच्छी तरह दी जाती है। किन्तु औद्योगिक उपक्रमों में नियुक्ति आदि के लिये भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण की जरूरत होती है, उदाहरण के लिये सेवा की वरिष्ठता की अपेक्षा योग्यता का अधिक महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा होता है, उसे सीधे ऊंचा पद दिया जा सकता है, जो प्रशासनिक सेवा में सामान्यतया नहीं दिया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विदेशियों के सुझावों के अतिरिक्त, इस सुझाव के बारे में बहुत से सदस्यों ने सभा में अपने विचार प्रकट किये हैं। विदेशियों ने इस बारे में कोई नई बात नहीं कही है।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि सभा ने इस बारे में अधिक उत्सुकता दिखाई है कि सरकारी उपक्रमों के संचालन में अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिये।

संयुक्त राज्य अमरीका से रुई का आयात

\+

†*५२४. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री उस्मान अली खां :
डा० विजय आनन्द :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को रुई की और ३ लाख गांठों के सम्भरण के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के बीच अभी हाल ही में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा इस मात्रा में माल खरीदने का आदेश शीघ्र जारी किये जाने की आशा की जाती है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : में समझती हूं कि अमरीका के राज्य विभाग ने भारत सरकार से उन राशि के बारे में जिसकी खपत होने की सम्भावना है कुछ सूचना मांगी है। क्या उन्हें वह सूचना दे दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां।

†**श्री मुरारका** : भारत में आने पर आयातित रुई का अनुमानित मूल्य क्या होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह कहना कठिन है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा अमरीकी बाजार में इस वस्तु के मूल्य के अनुसार तथा हमारे द्वारा आयात की जाने वाली रुई के गुण प्रकार के अनुसार मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि प्रत्येक आयातक को राजकीय व्यापार निगम को ४०० पौण्ड की प्रति गांठ के लिये १२० रुपये से लेकर १६० रुपये तक प्रीमियम देना होगा; यदि हां, तो इतना अधिक प्रीमियम लेने के लिये यह निगम क्या काम करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सर्वथा सच नहीं है । जैसाकि माननीय सदस्य को पूरी तरह विदित है और सभा को पता है यह प्रीमियम सूती कपड़े के निर्यात से बंधा हुआ है । जो इस विदेशी कपास को खरीदते हैं उन सब को कुछ प्रीमियम देकर निर्यात संवर्धन की योजना के द्वारा किसी न किसी रूप में सहायता करनी पड़ती है । पिछले तीन वर्षों से देश में यह हो रहा है ।

†**श्री मुरारका :** कल वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना आज के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि लाइसेंस दिये जाने से पूर्व, प्रार्थी को यह दर्शाने वाली एक रसीद लगानी होगी कि उसने राजकीय व्यापार निगम को प्रति कैंडी १२० से १६० रुपये तक दे दिये हैं, तभी और उसके बाद लाइसेंस दिया जाएगा । निगम को दी जाने वाली यह राशि कपास की कीमत के १० प्रतिशत से अधिक है । इस रूई पर इतना भारी कमीशन लेकर यह निगम क्या सेवाएं प्रदान करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रीमियम आगे कर दिया जाएगा जैसा कि माननीय सदस्य को भली भांति विदित है, और मैं आशा करता हूं कि इन चीजों को और पेचीदा नहीं किया जाएगा । यह निर्यात संवर्धन योजना का एक अटूट अंग है । विदेशी रूई की कुल उपलब्धता भारत से बाहर निर्यात किये जाने वाले कपड़े से सम्बद्ध है क्योंकि हमारे कपड़े को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करना होगा । मैंने कई बार यह बताने का प्रयत्न किया है कि यह मिली हुई योजना है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या इस विदेशी रूई के आयात का स्थानीय रूई के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है ? क्या यह सच है कि मिलों की यह नीति है कि पहले स्थानीय रूई का उपयोग न करके केवल विदेशी रूई का उपयोग किया जाए ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सच नहीं है । वास्तव में, रूई के मूल्यों में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है जब मौसम होता है मूल्य कम होता है, किन्तु रूई का आयात कपड़े का उत्पादन बढ़ाने और भारतीय रूई की कमी को पूरा करने के लिये किया गया है ।

†**श्री मुरारका :** क्या राजकीय व्यापार निगम द्वारा ली जाने वाली यह राशि पृथक् खाते में रखी जाएगी और कपड़े के निर्यात में सहायता देने के लिये उपयोग में लाई जाएगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ऐसा नहीं कहता और मैं इस मामले का अधिक स्पष्टीकरण करना नहीं चाहता । मैं कई बार बता चुका हूं कि इसका उपयोग मिली हुई योजना के रूप में किया जाएगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** रूई के आयात पर राजकीय व्यापार निगम को कितने प्रतिशत कमीशन लेने का अधिकार है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** बहुत कम । वास्तव में इनमें से अधिकांश चीजों पर हम बहुत थोड़ा कमीशन लेते हैं जो १/४ प्रतिशत से कम होता है ।

†**श्री कमलनयन बजाज :** क्या अमरीका से रूई का आयात प्रायः बिल्कुल बन्द कर दिया गया है और केवल मैंगनीज़ अयस्क के साथ पारस्परिक विनिमय के आधार पर आयात होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, नहीं, यह पी० एल० ४८० के अन्तर्गत मिली हुई योजना है, जिसमें वाणिज्यिक वचन पूरे करने होते हैं और इसमें से संभरण पी० एल० ४८० के अन्तर्गत आते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कमलनयन बजाज** : क्या यह वस्तु विनिमय केवल राजकीय व्यापार निगम के द्वारा ही किया जाएगा अथवा अन्य अभिकरणों को भी यह करने दिया जाएगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वस्तु विनिमय केवल राजकीय व्यापार निगम के द्वारा होता है ।

†**श्री कमलनयन बजाज** : इस वस्तु विनिमय के द्वारा मैंगनीज अयस्क के बदले में कितना माल मिलेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका वास्तव में सिद्धान्त से सम्बन्ध है । इस रूई आयात के द्वारा मैंगनीज अयस्क का निर्यात भी बढ़ेगा । जैसा कि सभा को विदित है, प्रायः इस प्रकार २ लाख टन का विनिमय हुआ है ।

†**श्री कमलनयन बजाज** : देश में आयात की गई रूई की खपत काफी है, किन्तु क्या रूई का आयात इस बात पर निर्भर नहीं होगा कि हम कितना मैंगनीज अयस्क बाहर भेजते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं ।

†**श्री कासलीवाल** : यदि यह गैर सरकारी लोगों को दिया जाए तो क्या कमीशन अधिक होगा या कम ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बहुत अधिक ।

†**श्री अमजद अली** : जब श्री बजाज प्रश्न पूछते जा रहे थे तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें मना नहीं किया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कभी कभी पूछते हैं और जब उन्हें किसी विषय में दिलचस्पी होती है तो उन्हें अवसर देता हूं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : रूई की देश की आवश्यकता कितनी है तथा देश में उत्पादन कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस वर्ष हमें ४५ लाख से ४८ लाख गांठों की आशा है किन्तु आवश्यकता लगभग ५५ लाख गांठों की है ।

लाओस

\+
†*५४३. **श्री हेम बरुआ** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजा सावंग वत्थन के १० फरवरी, १९६१ के वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कम्बोडिया, बर्मा और मलाया से इस बात को देखने के लिये कि लाओस किसी देश के लिये खतरा नहीं है और उसकी एकमात्र आकांक्षा शान्ति है । उस देश में जाने के लिये एक आयोग बनाने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां । राजा सावंग वत्थन ने इस आशय का वक्तव्य १९ फरवरी, १९६१ को दिया था ।

(ख) भारत सरकार को प्रस्तावित आयोग में शामिल होने का निमन्त्रण नहीं दिया गया है अतः इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या कुछ देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग लाओस के बारे में एक व्यापक संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है जिसका प्रधान मन्त्री ने यहां उल्लेख किया है और यदि हां, तो हमारी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमने प्रस्ताव किया । यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो हम इसके अनुसार काम करेंगे । इसकी केवल यह स्वीकृति महत्वपूर्ण है कि जनेवा सम्मेलन के दो सभापति अर्थात् इंगलिस्तान और रूस के विदेश मन्त्रियों को सहमत होना चाहिये । जब तक वे सहमत नहीं होते हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या रूस ने यह प्रस्ताव किया है कि आयोग को फिर से स्थापित करने से पूर्व दोनों सह-सभापतियों के बीच एक बैठक होनी चाहिये, यदि हां, तो हमारी सरकार की प्रतिक्रिया इस बारे में क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस प्रस्ताव का पता नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि राजा आयोग का स्वागत करने को तैयार नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं राजा की ओर से उत्तर नहीं दे सकता ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में दास

\+

†*५२५. **श्री आचार** :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में मुक्त करवाये जाने वाले दासों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है ; और

(ग) सरकार का इन दासों को कब तक मुक्त करवाने का विचार है ?

†**वैदेशिक -कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारीका)** : (क) और (ख). यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि नीफा में अभी कितने दासों को मुक्त करना शेष है क्योंकि लोग यह सूचना नहीं देना चाहते । उपलब्ध सूचना के आधार पर उन दासों की संख्या ३०० के लगभग है जो अभी तक मुक्त नहीं किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यह फैसला किया गया है कि नीफा के सब विदित दासों को ३१ मार्च, १९६३ तक मुक्त कर दिया जाएगा ।

†**श्री आचार** : इन लोगों के काम की शर्तें क्या हैं ? यदि यह संविधान के विरुद्ध है, तो क्या किसी मुक्ति की आवश्यकता है ? क्या उन्हें विधि द्वारा स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : माननीय सदस्य २१ दिसम्बर, १९६० को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखें, जिसमें दासों की स्थिति तथा अन्य चीजों का ब्योरा दिया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार दासों के मालिकों को कोई प्रतिकर देने का विचार करती है, यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस प्रति कर को दासों के मालिकों के लिये कल्याण या पुनर्वास अनुदान कहा जा सकता है और यदि हां तो इसे यह नया नाम क्यों दिया गया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हमने व्यक्तिगत दासों की मुक्ति के लिये प्रतिकर देने का फैसला किया है तभी न केवल दास ही पुनर्वास कर सकें किन्तु मालिकों का भी पुनर्वास हो जाए ।

†**श्रीहेम बरुआ** : यह दासों के मालिकों के लिये प्रतिकर है । मुझे इससे कोई झगड़ा नहीं है । किन्तु बात यह है कि इस प्रतिकर को कल्याण या पुनर्वास अनुदान क्यों कहा जाता है । प्रतिकर को प्रतिकर क्यों नहीं कहा जाता ? यह नया नाम क्यों होना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है । डा० राम सुभग सिंह ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या ये दास स्थानीय लोग हैं या वे मैदानी लोग हैं और क्या उन्हें मुक्ति के बाद कोई भूमि दी जाएगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे स्थानीय लोग हैं और कुछ लोग संभवत: विभिन्न स्थानीय आदिम जाति या उसी आदिम जाति से संबंध रखते हैं । आप को स्मरण होगा कि नीफा में सामाजिक तथा अन्य हालात बहुत पुराने हैं । वहां सामान्य विधियां आदि लगाना आसान नहीं है, जो इस क्षेत्र में हैं ।

इस प्रकार की दासता वहां बहुत देर से विद्यमान है और अचानक कुछ करने के किसी प्रयत्न के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो सकती है, किन्तु अब यह समाप्त हो रही है और सब प्रकार के नियम और विनियम बनाये गये हैं, उन में से एक यह है कि कोई व्यक्ति दास नहीं हो सकता, जो १५ अगस्त, १९४७ के बाद पैदा हुआ है । फिर कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी बन जाए, दास नहीं रह सकता । इसे रोकने के लिये और भी कितने ही नियम हैं, जिनका उद्देश्य है कि अगले चौदह या पन्द्रह महीनों में यह समाप्त हो जाए ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इन को कोई भूमि दी जा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मुझे पता नहीं । यह हालात पर निर्भर है । इस के लिये कोई विशेष नियम नहीं है ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : मुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी क्या यह विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा होगी या कार्य पालिका के प्रशासनिक आदेश के द्वारा ? मुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी ? आप उनको कैसे मुक्त करोगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: उस जिले का राजनीतिक अधिकारी इस मामले का प्रभारी है । इस के लिये कोई विधि पारित नहीं की जाएगी । संबद्ध व्यक्तियों को सूचना दे दी जाती है ।

अल्प सुचना प्रश्न और उत्तर

राष्ट्र मण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. { **श्री बाजपेयी :** / **श्री ब्रजराज सिंह :** / **श्री नाथ पाई :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मार्च, १९६१ में हो रहे राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे किस तिथि को लन्दन जा रहे हैं और वे वहां कितने दिनों तक रहेंगे ;

(ग) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार वे कब तक वापस आ जायेंगे ;

(घ) क्या राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रीय सम्मेलन के लिये कोई कार्यावलि तैयार की गयी है और क्या उसमें दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रमण्डल से सदस्यता समाप्त कर देने का प्रश्न भी सम्मिलित है ;

(ङ) सम्मेलन में और किस किस विषय पर विचार किया जायेगा ; और

(च) क्या प्रधान मंत्री इस अवसर पर किसी और देश का भी दौरा करने का विचार हैं रखते और यदि हां, तो किस किस देश का ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (च). मेरा विचार तो कल ही लन्दन चले जाने का था, परन्तु फिलहाल उस इरादे को एक दिन के लिये स्थगित कर दिया है अर्थात मैं संभवत: परसों रात को भारत से चलूंगा । मैं कह नहीं सकता कि मैं वहां कब तक रहूंगा । मेरा इरादा तो यही था कि मैं वहां १८ या १९ तारीख तक रहूंगा । परन्तु संभव है कि यह अवधि कम भी हो जाये ।

इस सम्मेलन के लिये कोई भी औपचारिक कार्यावलि तैयार नहीं की जाती । इनके लिये कुछ एक सामान्य शीर्षक होते हैं जैसेकि "यूरोप, मध्य एशिया आदि में सामान्य राजनीतिक स्थिति" । 'निशस्त्रीकरण' का शीर्षक भी हो सकता है । उन सामान्य शीर्षकों के अधीन ही विभिन्न विषयों पर विचार किया जाता है ।

जहां तक दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि वह किस रूप में और किस शीर्षक के अधीन आयेगा । दक्षिण अफ्रीका के सम्बध में मैं एक बात यह बता देना चाहता हूं कि यद्यपि यह घोषित किया गया है कि उन्होंने मतगणना के द्वारा गणतंत्र के पक्ष में निर्णय कर लिया है, तथापि वे अभी वैसे नहीं बने हैं । संभवत: वे आगामी मई में वैसे बनेंगे । अत : मैं कुछ कह नहीं सकता कि वह प्रश्न किस रूप में आयेगा ।

लन्दन जाते समय या वापस आते समय किसी भी और देश का दौरा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैं जल्दी ही वापस आना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री वाजपेयी**: राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में राष्ट्र मण्डल के भविष्य के प्रश्न पर विचार करने के लिये वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गयी थी। क्या इस समिति ने कोई सिफ़ारिश की है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। दो तीन दिनों तक तो उस समिति की बैठकें लन्दन में होती रही और उसके बाद पत्र व्यवहार चलता रहा। राष्ट्रमण्डल के भविष्य से तात्पर्य यह था कि पराधीन राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित करने के प्रश्न के बारे में निर्णय करना। सभा को संभवत: उन दस बीस छोटे छोटे स्थानों का पता नहीं है जहां ब्रिटिश उपनिवेश हैं---वे छोटे छोटे द्वीप हैं। इस समिति ने इन पराधीन क्षेत्रों के बारे में विचार किया है और इस बारे में एक रिपोर्ट पेश की है।

†**श्री दिनेश सिंह** : क्या सर राय वेलेन्सकी भी इस सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं और यदि हां, तो किस हैसियत में?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां सर राय वेलेन्सकी ने इस सम्मेलन में भाग लिया है और उनसे पहले उनके पूर्वाधिकारी जो कि बाद में लार्ड मेलबर्न बने, गत दस वर्षों से सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, भावार्थ यह कि रोडेशिया से कोई न कोई व्यक्ति अवश्य इस में भाग लेता रहा है, परन्तु सदस्य के रूप में नहीं अपितु एक प्रेक्षक के रूप में। वे मत प्रदान नहीं कर सकते थे, अपितु कभी कभी उनसे किन्हीं विशेष विषयों पर अपने विचार प्रकट करने के लिये कहा जा सकता था। रोडेशिया का भाग लेना इस सम्मेलन के सामान्य नियमों से बाहर की बात है क्योंकि इस में केवल स्वाधीन देश ही भाग ले सकते हैं। रोडेशिया स्वाधीन नहीं था और स्वाधीन नहीं है, परन्तु फिर भी क्योंकि यह रीति सी चल पड़ी थी, इसलिये वह रीति अभी तक जारी है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : प्रधान मंत्री को स्मरण होगा कि १९४९ में राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में राष्ट्रमण्डल के सभी सदस्यों ने एक औपचारिक घोषणा की थी जिस में उन्होंने भारत को एक गणतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया था और यह स्वीकार किया था कि गणतंत्र होने के बावजूद भी भारत बिना किसी निष्ठा के राष्ट्रमण्डल के एक सदस्य के रूप में रहेगा? क्या यह सच नहीं है कि दक्षिणी अफ्रीका के गणतंत्र स्टेट्स के सम्बन्ध में निर्णय कर लेने पर भी अब सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों को इस बारे में अपना निर्णय देना होगा और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत का रुख क्या होगा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां, किसी न किसी रूप में यह प्रश्न सम्मेलन के सामने आयेगा। परन्तु यह कब आयेगा, मैं यह कह नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि मैं ने पहले बताया है, अभी तक दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य नहीं बना है. हो सकता है कि इस वर्ष में अभी कुछ मास और लग जायें। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने सूचित कर दिया था कि हमारी संविधान सभा ने एक संविधान बना दिया है जिस में गणराज्य व्यवस्था है, हमने उन्हें सूचित कर दिया था कि हम गणराज्य होने के बावजूद भी राष्ट्रमण्डल में रहने के लियै तैयार हैं और उस के जवाब में राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन ने हमें यह उत्तर दिया था कि हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में बाद में भी रह सकते हैं। हमारे वहां रहने के बाद फिर इस बारे में चर्चा प्रारम्भ हो गई क्योंकि हमारा सर्व प्रथम देश था जोकि गणराज्य होने के बावजूद भी उस का सदस्य था। अत: दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति पर भी विचार किया जायेगा, परन्तु कह नहीं सकता कि किस समय विचार किया जायेगा। यह तो दक्षिणी अफ्रीकन सरकार पर निर्भर करता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जहां तक गणराज्य की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि हम किसी भी देश के गण-राज्य बनने पर आपत्ति नहीं कर सकते । वास्तविक प्रश्न जातीय भेदभाव का प्रश्न है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री एनक्रूमा इस सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका की भेदभाव पूर्ण नीति पर चर्चा प्रारम्भ करने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो क्या भारत से इस बारे में परामर्श किया गया था ? इस सम्बन्ध में भारत का रुख क्या होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे यह ज्ञात नहीं है कि प्रधान मंत्री एनक्रूमा क्या करने का विचार रखते हैं । परन्तु भारत तो सदा ही जातीय भेदभाव का निराकरण करता रहा है और राष्ट्र-मण्डल में सब से अधिक भारत ही इस नीति का विरोध करता रहा है और पिछले कई वर्षों से हम ने दक्षिणी अफ्रीका से अपने सम्बन्ध तोड़ दिये हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या प्रधान मंत्री दक्षिण अफ्रीका से हाल में आये हुए प्रतिनिधि-मण्डल के दौरे को ध्यान में रखते हुए इस मौके पर कोई निश्चित दृष्टिकोण अपनायेंगे जिस का यह आशय हो कि यदि दक्षिणी अफ्रीका किसी तरीके से राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा तो भारत के लिये उस का सदस्य बना रहना असम्भव होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं मैंने उनसे यह नहीं कहा । मैंने उन्हें बताया कि मैं तो यह कहूंगा कि हम किसी भी रूप में जातीय भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे । परन्तु उस सिद्धान्त को किस प्रकार से लागू किया जायेगा और उसके लिये क्या कार्यवाही की जायेगी—इस सम्बन्ध में सम्मेलन प्रारम्भ होने से पहले कुछ कहना उचित नहीं है ।

†**श्री वाजपेयी** : 'डेली वर्कर' नामक पत्रिका के अनुसार ब्रिटिश सरकार राष्ट्रमण्डल के प्रधान मंत्रियों पर कथित जोर दे रही है कि वे दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रमण्डल में रहने देने की बात मान लें । यदि इस रिपोर्ट में कोई सचाई है तो क्या हमारे प्रधान मंत्री पर भी ऐसा जोर दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने तो ऐसा कोई ज़ोर महसूस नहीं किया है । वास्तव में किसी भी विषय के सम्बन्ध में अपने अपने मत अभिव्यक्त किये जाते हैं । इन सभी वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने किसी भी विषय के बारे में हम पर जोर नहीं दिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चाय सम्बन्धी कार्यकारी दल

†***५२०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय सम्बन्धी तीसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय उसे ध्यान में रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ब्रिटेन को निर्यात

†*५२३. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्तुओं पर प्रशुल्क अधिमान सम्बन्धी करारों में परिवर्तन करने के लिये ब्रिटेन के अनुरोध के सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् ब्रिटेन को भारत से होने वाले निर्यात पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मूंगफली का तेल

†*५२६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६० से अब तक मूंगफली के तेल की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) १९६० के दौरान मूंगफली के तेल का कितना निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) दिसम्बर, १९६० से मूंगफली के तेल की कीमतें बम्बई मार्केट में लगभग १५० रुपये प्रति टन बढ़ गई हैं ।

(ख) जनवरी से नवम्बर, १९६० तक १६१२ टन तेल का निर्यात किया गया था ।

औषधियों की कीमतें

†*५२७. **श्री कोडियान :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि एक ही मार्के की पेटेन्ट औषधियां विभिन्न औषधि विक्रेताओं द्वारा प्रायः भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेची जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में इस फर्क को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या औषधियों की कीमतों को कम करने और उन का प्रमापीकरण करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

सामान्यतया अधिकांश औषधियां मार्केट में मुकाबलतन कीमतों पर ही बिकती हैं और सरकार सदा इस बात का ध्यान रखती है कि औषधियां उचित मूल्यों पर ही बिकें । फिर भी कभी-कभी विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनी हुई विभिन्न मार्के की कुछ वस्तुएं विभिन्न मूल्यों पर बिकती हैं ।

पाकिस्तान को क्षेत्रों का हस्तान्तरण

†*५२८. **श्री सूपकार :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पश्चिम पाकिस्तान के बीच कुछ इलाकों के विनिमय सम्बन्धी करार के फलस्वरूप पंजाब में कितने परिवार विस्थापित हुए ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या प्रबन्ध किये गये और उन्हें प्रारम्भिक अवस्थाओं में क्या सुविधायें प्रदान की जायेंगी ; और

(ग) क्या इस विनिमय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इलाके देने पड़े जिन का अनुमान करार करते समय नहीं लगाया गया था ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १६९३ ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा सम्मिलित है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]**

(ग) जी, नहीं ।

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

†*५२९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर प्रदान करने में अब तक इस नीति का पालन किया जाता रहा है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के क्वार्टरों की तुलना में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों को दूरस्थ स्थानों पर बनाया जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार की नीति यह है कि यदि भूमि उपलब्ध हो, तो जहां तक हो सके कर्मचारियों के क्वार्टर कार्य के स्थल के निकट ही बनाये जायें।

नागा

†*५३०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोहिमा के उपनगरों में २० अंगारी नागा पकड़े गये हैं, जिन में श्री फिजो की भतीजी भी शामिल है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) और (ख). जनवरी के पहले सप्ताह में कोहिमा और उस के आसपास के क्षेत्रों से नागाओं की अंगारी जाति के २६ व्यक्ति पकड़े गये थे जिन में श्री फिजो की भतीजी भी सम्मिलित है। उन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में मुख्यतया ये आरोप हैं---हिंसा और अव्यवस्था के लिये आन्दोलन करना, सरकार और सरकार की सुरक्षा सेनाओं के विरुद्ध ग़लत प्रचार करना और भोले भाले नागा ग्रामीणों में शरारत से पूर्ण और खतरनाक प्रचार करना।

छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता

†*५३१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने भारत सरकार से छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता आदि देने की एक सरल और सामंजस्य पूर्ण योजना तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन की क्या कठिनाइयां थीं; और

(ग) उन के अनुरोध पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जी, हां।

छोटे पैमाने के उद्योगों के नमूनों और उन्हें प्रविधिक, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने की प्रक्रिया पर समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। इन पुनरीक्षणों के परिणामस्वरूप आवश्यक स्थलों पर संभव सीमा तक सहायता के कार्य को सरल बनाने और इसे गति देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में दर्मियाने मशीनी औजारों का कारखाना

†*५३२. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उन राज्यों में से एक है, जहां दर्मियाने दर्जे के मशीनी औजार बनाने का एक नया कारखाना खोलने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये राजस्थान का विचार न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारखाने के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). दूसरे मशीनी औजार कारखाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मकारों की छंटनी

†*५३३. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मकारों के एक रजिस्टर्ड कार्मिक संघ ने दिल्ली नगर निगम को कुछ कार्यों के हस्तान्तरण पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मकारों की कथित अनियमित छंटनी के बारे में एक औद्योगिक विवाद उठाया था;

(ख) यदि हां, तो यह विवाद किन बातों पर था;

(ग) क्या विवाद की इन बातों पर मैत्रीपूर्ण समझौता हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो समझौते की शत क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो कार्मिक संघ द्वारा उठायी गयी बातों के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, नई दिल्ली ने (जिस की मान्यता कुछ समय पहले समाप्त कर दी गयी थी) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को सम्बोधित २ और १३ दिसम्बर, १९६० के अपने दो पत्रों में यह लिखा है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्योगिक निदेशालय और उत्तर विद्युत् विभाग के उन लगभग ३५० कर्मचारियों को, जोकि उन कार्यों में लगे हुए थे जोकि दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किये गये हैं, छंटनी के लिये जारी किये गये नोटिस

†मूल अंग्रेजी में

अवैध और दुर्भावनापूर्ण हैं और यदि किन्हीं की छंटनी करनी भी थी तो उन त्रिभागों के कनिष्ठ कर्मचारियों की छंटनी करनी चाहिये । संघ ने यह निवेदन किया है :

(१) कि नोटिस कैंसिल कर दिये जायें ।

(२) कि निगम को हस्तान्तरित किये जाने वाले कार्यों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाये कि क्या वे निगम को स्थानान्तरण चाहते हैं; या नहीं; और

(३) यदि हस्तान्तरण के बाद कुछ कर्मचारी अतिरिक्त रह जाते हैं, तो सब से कनिष्ठ कर्मचारियों को दिल्ली नगर निगम में स्थानान्तरित किया जाये ।

(ग) से (ङ). इस बीच यह निर्णय किया गया है कि कर्मचारियों की छंटनी वरिष्ठता के आधार पर की जाये और बाद में आने वालों को पहले निकाला जाये ।

कोयला खानों में कार्मिक शिशुगृह

†*५३४. **श्री मुहम्मद इलियास:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री जह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी कोयला खानों ने उन स्थानों पर, जहां महिला श्रमिक काम करती हैं, १ फरवरी, १९६१ से कार्मिक शिशुगृह नियमों में किये गये नये संशोधन के अन्तर्गत शिशुगृह खोलना स्वीकार किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : क्योंकि जिन खानों में महिला श्रमिक काम करती हैं वहां पर कार्मिक शिशुगृहों की व्यवस्था करना खान कार्मिक शिशुगृह (संशोधन) नियम, १९६१ के अधीन आवश्यक है, उन सभी कोयला खानों में जहां कार्मिक शिशुगृह बन्द कर दिये गये थे, ये शिशुगृह फिर से खोलने पड़ेंगे । सिवाय उन मिलों के, जहां गत बारह महीनों में कोई भी महिला काम में न लगायी गयी हो और न ही इस समय कोई महिला काम कर रही हो ।

आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने की सुविधा

*५३५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली निवासियों के लिये कोई ऐसी योजना बनाई है जिस से कि वे अत्यल्प खर्च पर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन सकें;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के अन्य भागों में यह सुविधा उपलब्ध करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र

†*५३६. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की बहुत सी फर्मों ने पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र की स्थापना और संचालन करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय और विदेशी पूंजी का अनुपात क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). दुर्गापुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना और संचालन के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार और अमरीकन फर्मों के एक संघ के बीच बात चीत चल रही है। अभी तक किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

तारापुर अणुशक्ति स्टेशन

†*५३७. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री गोरे :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणुशक्ति के शान्तिमय प्रयोग के लिये भारत और सोवियत रूस के बीच सहयोग का प्रस्तावित समझौता किस प्रक्रम पर है;

(ख) क्या इस में बम्बई के निकट तारापुर में ३०० एम डब्ल्यू नाभिकीय शक्ति वाले प्रस्तावित स्टेशन का निर्माण भी शामिल होगा; और

(ग) इस परियोजना के लिये किन देशों से टेंडर प्राप्त हुए हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) से (ग). इस बारे में इस समय चर्चा करना लोक हित में नहीं है।

मूल अंग्रेजी में

कनाडा-भारत रिएक्टर

†*५३८. श्री वोडयार :
श्री अगाड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-कनाडा रिएक्टर बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ;

(ग) इस पर कुल कितनी पूंजी लगी है; और

(घ) इस का वार्षिक आवर्तक व्यय कितना है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) भारत कनाडा रिएक्टर सर्वप्रथम जुलाई, १०, १९६० को चालू किया गया था। वह सितम्बर, १९६० तक लगातार चलता रहा, परन्तु उस के बाद हजर्डस मूल्यांकन समिति द्वारा अपेक्षित आपातशीत जल व्यवस्था और वर्तमन व्यवस्था में संशोधन करने के लिये उसे चार सप्ताहों के लिये बन्द कर दिया गया था। संशोधन कार्य पूरा हो जाने के बाद उस रिएक्टर को पुनः नवम्बर, १९६० में चालू कर दिया गया था और वह अभी तक चल रहा है।

(ख) सामान्य चालू अवधि में विभिन्न लघु संशोधनों, ईंधन की छड़ों को हटाने के लिये इंटरलाकों अलार्म सिस्टम और ट्रिप सर्किटों का परीक्षण करने के लिये रिएक्टर को कई बार बन्द करना पड़ता है ।

(ग) इस पर भारत की कुल पूंजी लगभग ५.६० करोड़ रुपये है । कनाडा ने भी लगभग उतनी ही पूंजी लगायी है ।

(घ) निरन्तर पूर्ण विद्युत उत्पादन के आधार पर रिएक्टर के चलाने पर लगभग २० लाख रुपये का वार्षिक आवर्तक खर्च होता है जिस में आवश्यक यूरेनियम की लागत सम्मिलित नहीं है ।

कच्चे रेशम का आयात

†*५३९. **श्री त्यागी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में कुल कितने कच्चे रेशम का आयात किया गया और १९६१ में इस का कितना आयात करने का विचार है; और

(ख) इस के वितरण की विधि क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

१९६० में ४६.०४ लाख रुपयों की कीमत की २.३८ लाख पौंड और १९६१ में लगभग ८० लाख रुपयों की कीमत की ३.५ लाख पौंड रेशम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कच्चा रेशम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा वास्तविक प्रभोक्ताओं को बांटा जाता है और यह कार्य राज्य सरकारों, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं और प्राधिकृत नियति कर्ताओं के माध्यम से किया जाता है ।

पत्र संवाददाता सम्मेलन

†*५४०. **श्री मो० ब० ठाकुर**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६१ में कितने समाचार सम्मेलन[1] और पत्रकार सम्मेलन हुए हैं;

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा आयोजित समाचार सम्मेलनों में किन सम्वाददाताओं को बुलाया गया :—

(एक) विश्व बैंक के प्रतिनिधि ;

(दो) रेलवे मन्त्रालय के प्रवक्ता; और

(तीन) योजना आयोग के प्रवक्ता ;

(ग) क्या प्रैस एसोसियेशन द्वारा इस बारे में पत्र सूचना कार्यालय को कोई अभ्यावेदन भेजा गया है और क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) इन सम्वाददाता सम्मेलनों में अंग्रेजी के समाचार पत्रों को अधिक महत्व देने के क्या कारण हैं;

(ङ) समाचार सम्मेलनों और सम्वाददाता सम्मेलनों के बारे में क्या सामान्य नीति अपनायी जाती है; और

(च) सूचना मन्त्रालय द्वारा इस बात के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये ?

†**सूचना और प्रसारण मत्री (डा० केसकर)** : (क) जनवरी, १९६१ में पांच पत्रकार सम्मेलन और तीन समाचार सम्मेलन किये गये थे ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) से (च). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

सूत के दाम

*५४१. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हथ-करघा उद्योग में काम आने वाले सूत के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो दामों को गिराने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Psess Briefings..

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

इस बारे म दिल्ली के हथ-करघा बुनकरों की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा २१-१२-१९६० को लोक सभा में की गयी घोषणा के पश्चात, भारतीय कपड़ा मिल संघ ने १ जनवरी, १९६१ से सूत के दामों में और भी कमी करने की घोषणा की है । मोटे तौर पर यह कमी २ से ४ प्रतिशत तक की गयी है और ज्ञात हुआ है कि सभी मुख्य बाजारों में इन कम दामों पर साधारणतः सूत उपलब्ध है ।

कांगो

†*५४२. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति ने भारत सरकार से लिखित अनुरोध किया है कि कांगों में लुम्मुम्बा समर्थक स्टेनलेविल सरकार को मान्यता दी जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार स्टेनलेविल सरकार को मान्यता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ) : (क) से (ग). विभिन्न देशों से, जिनमें संयुक्त अरब गणराज्य सम्मिलित हैं, सुझाव आए हैं कि भारत सरकार श्री गिजेंगा के नेतृत्व में स्टेनलेविल सरकार को मान्यता दे । भारत सरकार ने यह विचार व्यक्त किया है कि अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह कांगो में किसी विशेष सरकार को मान्यता देने का नहीं है बल्कि यह है कि सुरक्षा परिषद ने कांगो पर हाल में जो प्रस्ताव पास किया है उसका समर्थन किया जाए और उस प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई का समन्वय किया जाए ।

दिल्ली में भूमिगत पानी

†*५४४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने दिल्ली में भूमिगत पानी की सतह को नीचे लाने के लिये भारत सरकार से ठेका किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ठेके का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

नई दिल्ली के क्षेत्र में २८७ पम्प स्टेशन बनाने के लिये राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से एक ठेका कर लिया है । ये पम्प स्टेशन उन २८७ नलकूपों के द्वारा पानी निकालने के लिये हैं जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भूमिगत जल अनुभाग द्वारा लगाये गये हैं ।

यह कार्य इस निगम को बातचीत करने के बाद प्राक्कलित लागत से ऊपर १५.५६ प्रतिशत की दर से दिया गया है । यह दर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भूमिगत जल को प्राप्त सब से कम

---

†मूल अंग्रेजी में

टेण्डर से १ प्रतिशत कम है। इस ठेके की कुल लागत ३,१८,५८७.३६ रुपये है। इसकी निर्धारित अवधि २० जनवरी १९६१ से तीन मास की अवधि है ।

रेडियो आदि का कालाबाजार

†५४५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ रेडियो निर्माता उपभोक्ता आयातकों के नाम लाइसेंस लेकर रेडियो और उसके पुर्जे काले बाजार में बेच देते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस कालेबाजार को रोकने के कोई उपाय सोचे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं। सरकार के देखने में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

जनता के आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटाया जाना

†*५४६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
डा० विजय आनन्द :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों में जनता से प्राप्त आवेदनपत्रों के निपटाये जाने के लिये समय-सीमा निश्चित करने वाला कोई विशेष निदेश जारी किया है;

(ख) इस निदेश का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या हिदायतें दी गयी हैं; और

(ग) इसे प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). सरकार द्वारा कोई निदेश जारी नहीं किया गया है। संगठन और रीति विभाग के निदेशक द्वारा मन्त्रालयों को यह सुझाव दिया है। सुझाव यह दिया गया है कि विभागों के प्रमुख अधिकारी परिस्थितियों को देखते हुए काम के लिये काल सीमा-निर्धारित कर दे। इस सीमा के सम्बन्ध में सभी को अच्छी प्रकार से सूचित कर दिया जाये। मन्त्रालयों द्वारा इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान २८ फरवरी, १९६१ को तारांकित प्रश्न ४१३ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकृष्ट करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में छत के पंखे

†*५४७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली के दो कमरों वाले सरकारी क्वार्टरों में छत का दूसरा पंखा लगाने के प्रश्न के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मामला अभी विचाराधीन है ॥

अशोक होटल में परोसा जाने वाला गोमांस

*५४८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री मो० ब० ठाकुर :
पंडित ब्रजनारायण 'ब्रजेश' :
श्री वाजपेयी :
श्री बि० चं० सेठ :
श्री म० ना० सिंह :
श्री महावीर त्यागी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के अशोक होटल में गोमांस परोसा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि होटल के अधिकारियों ने आगामी वर्ष में गोमांस के सम्भरण के लिये टेन्डर मांगे हैं और गाय के प्रत्येक अंग के मांस के लिये अलग-अलग टेन्डर मांगे गये हैं;

(ग) क्या गोमांस दिल्ली से ही लिया जायेगा अथवा किन्हीं अन्य राज्यों से भी मंगाया जायेगा;

(घ) सरकार ने उक्त होटल को गोमांस परोसने की अनुमति किन कारणों से दी है ;

(ङ) क्या दिल्ली और नई दिल्ली के कुछ अन्य होटलों को भी गोमांस पकाने और खिलाने की अनुमति है; और

(च) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (च) अशोक होटल में ठहरने वाले लोगों में से ९० प्रतिशत विदेशी होते हैं। उनमें से अनेक गोमांस से बने व्यंजन परोसा जाना पसन्द करते हैं। ये व्यंजन उन लोगों में काफी लोकप्रिय से हैं। इसलिये अशोक होटल में दिल्ली के अन्य होटलों की भांति, गोमांस से बने व्यंजन परोसे जाते हैं, किन्तु केवल उन्हीं लोगों को, जो उनके लिये आर्डर देते हैं। गोमांस दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। सदा की भांति

†मूल अंग्रजी में

गोमांस की आवश्यक मात्रा के सम्भरण के लिये टेंडर मांगे गये हैं। दिल्ली में गोमांस के प्रयोग की न तो सांविधिक रूप से और न कार्यपालिका के किसी आदेश द्वारा मनाही है इसलिये दिल्ली में किसी भी होटल को इस बात के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

मशीनी औजारों के कारखाने

†*५४९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मशीनी औजारों के दो और कारखाने स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर ;

(ग) उनकी क्षमता कितनी होगी ;

(घ) क्या यह सच है कि पूर्व जर्मनी ने सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में कुछ मशीनी औजार उद्योग स्थापित करने में सहायता देना स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी उद्योग क्षेत्र में मध्यम किस्म के मशीनी औजारों के दो और कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। इन कारखानों की स्थापना के लिये परियोजनायें तैयार करने का कार्य हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को सौंपा गया है। लागत के प्राक्कलन, स्थान का चुनाव आदि के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा जांच की जा रही है।

जर्मन गणराज्य ने एक मशीनी औजार कारखाने की स्थापना में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है। सहयोग की शर्तों के बारे में एक करार का प्रारूप तैयार किया गया है। उस करार पर एक भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा लाइपजिग का मेला जिसमें उसे जर्मन गणराज्य के मशीनी औजार उद्योग के उत्पाद एवं कार्यकरण देखने को मिलेंगे घूम लिये जाने के पश्चात् पूर्व जर्मनी में हस्ताक्षर किये जाने का विचार है। वह शिष्टमण्डल उन उपकरणों का चुनाव भी करेगा जिनका जर्मन गणराज्य के सहयोग से बनाए जाने वाले नए भारतीय कारखाने में उत्पादन किया जाएगा।

मेसर्स नोआखाली मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता, जिन्हें मशीनी औजार बनाने का लाइसेंस दिया जा चुका है, ने भी खरादों के निर्माण के लिये जर्मन गणराज्य के मेसर्स वेब वेमा के साथ, जिसका प्रतिनिधित्व लाइमेक्स करेगा, प्रविधिक समझौता करने का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर कारों की कीमतें

†*५५०. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित कारों की कीमतों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समय समय पर कितनी वृद्धि की मंजूरी दी गयी ; और

(ग) क्या इन वाहनों की किस्म की जांच करने के लिये सरकार के पास कोई व्यवस्था है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में सरकार ने कारों के मूल्यों में निम्नलिखित वृद्धियों की अनुमति दी है ;

कार का नाम	अनुमति दी गई वृद्धि की राशि (रुपये)	वृद्धि की अनुमति की तारीख
१. हिन्दुस्तान एम्बेसेडर . .	३००	जनवरी १९५९
	३०	मार्च १९५९
	१०००	मार्च १९६०
२. फिएट '११००' . .	२८	मार्च, १९५९
	१०००	मार्च, १९६०
३. स्टेंडर्ड '१०' . .	३०	मार्च, १९५९
	१०००	मार्च, १९६०

नोट : (१) समस्त कारों के मूल्यों में २८ रुपए/३० रुपए और १००० रुपए की वृद्धि की अनुमति क्रमशः टायरों और मोटरगाड़ियों पर लगाए गए उत्पादन-शुल्क के कारण दी गई थी।

(२) फरवरी, १९६० में स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंण्डिया, मद्रास को स्टैण्डर्ड '१०' कार का एक डीलक्स मॉडल बनाने की अनुमति दी गई जिसमें कुछ अतिरिक्त सामान होगा तथा जिसका मूल्य मूल मॉडल से ७०० रुपए प्रति कार अधिक होगा।

(३) मई, १९६० में फिएट '११००' और स्टैण्डर्ड '१०' के मूल्य में निर्माताओं ने स्वेच्छा से २०० रुपए कम कर दिये थे।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नहीं, श्रीमान् । कार निर्माताओं के पास स्वयं मोटरगाड़ियों की कारखाना छोड़ने के पूर्व किस्म की परीक्षा करने के लिये पर्याप्त सुविधायें हैं ।

दिल्ली में भूमिगत जल की सतह का ऊंचा होना

†*५५१. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भूमिगत जल की सतह के ऊंचे हो जाने से नई दिल्ली की कुछ मौजूदा इमारतों को खतरे की संभावना हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) नहीं, श्रीमान् । परन्तु नई दिल्ली की कुछ इमारतों की नीवों और ऊपरी ढांचों के निचले भागों में कुछ सीलन देखी गई है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर (१) प्रभावित क्षेत्रों में भूमिगत जल को पम्प करके निकालने के लिए लगभग ३०० नलकूप खोदने, (२) सेंट्रल विस्टा के लॉनों के लिए विशेष भूमिगत नालियों के निर्माण, (३) भूमि के ऊपर की नालियों के सुधार के लिए लॉनों तथा खुले स्थानों के पुनर्वर्गीकरण, (४) सिंचाई के लिए बिना साफ किए हुए पानी के उपयोग में मितव्ययता, (५) स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य जल-निस्सारण व्यवस्था में सुधार आदि के लिए कदम उठाए गए हैं । अभी उपलब्ध परिणामों का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी परन्तु सामान्य संकेत संतोषजनक हैं ।

वस्तु-विनिमय समझौते के अन्तर्गत मैंगनीज अयस्क का सम्भरण

†*५५२. **श्री विद्याचर शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तु विनिमय समझौते के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को सम्भरण किये जाने वाले मैंगनीज अयस्क की कीमतों के बारे में बातचीत पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कीमतें बताना निगम के व्यापारिक हित में नहीं होगा ।

बांकुरा, वीरभूम और मिदनापुर के शिविरों के शरणार्थी

†*५५३. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प सख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांकुरा वीरभूम और मिदनापुर के शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों को शिविरों से निकल जाने का नोटिस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) ३१ दिसम्बर १९६० को बांकुरा, बीरभूम और मिदनापुर जिलों के शिविरों में रह रहे ४,९५१ परिवारों में से १,२०७ परिवारों को पश्चिम बंगाल सरकार ने दण्डकारण्य में जाकर बस जाने अथवा शिविर छोड़ कर चले जाने का नोटिस दिया है ।

(ख) आशा थी कि पश्चिम बंगाल के शिविरों के खेतिहर परिवार स्वेच्छा से दण्डकारण्य में जाकर बस जायेंगे । जब ऐसा नहीं हुआ तो उन परिवारों को पुनर्वास के लिए उपलब्ध स्थान के अनुसार दण्डकारण्य चले जाने का आदेश जारी किया गया । यह कदम राज्य सरकार की सलाह से उठाया गया है ताकि शिविरों में रहने वाले परिवार दण्डकारण्य चले जायें ।

सरकारी कर्मचारियों को निवास स्थान का आवंटन

†*५५४. **श्री तंगामणि :**
चौ० रणवीर सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे बहुत से कर्मचारियों को, जिन्हें नई दिल्ली में नौकरी करते हुए दस वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी तक सरकारी निवास स्थान नहीं मिला है ;

(ख) क्या सरकार ने पहले यह निश्चय किया था कि उन सभी कर्मचारियों को जिन्हें नई दिल्ली में नौकरी करते हुए दस वर्ष हो चुके हैं ; उनकी बारी आने से पहले ही सरकारी निवास स्थान दे दिया जाये ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को भी, जिन्हें १ जनवरी, १९६१ को नौकरी करते हुए दस वर्ष हो चुके हैं, उन नई बस्तियों में, जो बन कर तैयार होने वाली हैं, उनकी बारी आने से पहले ही निवास स्थान दे दिया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी नहीं, सरकारी निवास स्थान के लिए हकदार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है ?

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

लांगजू के निकट चीनी गढ़ी

†*५५५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री आसर :
श्री शि० ना० रामौल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चीनी लांगजू के उत्तर में दो मील के फासले पर एक नई गढ़ी का निर्माण कर रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : हमें कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कपड़े का उत्पादन

†*५५६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों में कपड़े के उत्पादन का क्या कार्य-क्रम है और इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) १९५७ से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) कपड़े का उत्पादन कार्यक्रम वार्षिक आधार पर नहीं निश्चित किया जाता है । परन्तु तीसरी पंच वर्षीय योजना में ९३००० लाख गज सूती कपड़े का लक्ष्य रखा गया है ।

यह लक्ष्य निम्नलिखित कदम उठाकर प्राप्त करने का विचार किया जा रहा है ।

(१) मिल क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार ।

(२) विकेन्द्रित क्षेत्र में सघन कार्यकरण ।

(३) २२,५०० लाख पौंड सूत, जिसकी ९३००० लाख गज कपड़े के उत्पादन के लिए आवश्यकता होगी, के संभरण के लिए कताई क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार ।

(ख) १९५७ से १९६० तक की अवधि के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े निम्नांकित है :

	मिलें	हथकरघा	लाख गजों में शक्ति चालित करघा	योग
१९५७	५,३१७४.२	१,६७८०.३	३०३०.०	७२९८४.५
१९५८	४,९२६९.७	१,८२०४.०	३३१०.०	७०७८३.७
१९५९	४,९२५४.३	१,९१८३.७	३५१०.०	७१९४८.०
१९६०	५,०४४१.९(अ०)	२,१८९४.६(अनु०)		७२३३६.५

अ० = अस्थायी

अनु० = अनुमानित

ऊन के गोलों का उत्पादन

*५५७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना के उद्योगपतियों का एक शिष्टमंडल ऊन के गोलों का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में सरकार से मिला था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उक्त शिष्टमंडल ने ऊन के गोलों के निर्माण के लिए ऐसे किसी सहकारी कारखाने की स्थापना के संबंध में बात चीत की थी जिसकी उत्पादन क्षमता ५० लाख पौंड हो ;

(ग) क्या ऐसे कारखाने की स्थापना में सरकार भी कुछ सहयोग देने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार ने कुछ समय पहले उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लुधियाना की एक सहकारी समिति को प्रति वर्ष ५० लाख पौण्ड ऊन के गोले बनाने का लाइसेंस देने का निश्चय किया था । चूंकि प्रस्तावित समिति के उपनियमों में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत थी, इसलिये लाइसेंस जारी नहीं किया जा सका । इस बारे में कई बार बातचीत की जा चुकी है । ज्ञात हुआ है कि समिति की रजिस्ट्री हो चुकी है पर अब भी कुछ औपचारिक काम पूरे किये जाने हैं जिनके बाद ही लाइसेंस जारी करने तथा अन्य विस्तृत बातों के बारे में अंतिम निर्णय किया जायेगा ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा क्षति के दावे

†*५५८. **श्री मुरारका :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ने संयंत्र और मशीनों की स्थापना में विलम्ब के लिये इटली के मांटी सैटिनी से क्षत्ति के रूप कितनी रकम का दावा किया है; और

(ख) संयंत्र और मशीनों की स्थापना में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी हानि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९,५०,००० रुपये ।

(ख) कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा किये गये आकलनों के अनुसार स्थापना में विलम्ब के कारण उत्पादन में हुई हानि निम्न प्रकार है :

	टन
यूरिया	५२५०
डबल साल्ट	३०,०००

कोरबा कोयला क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सुविधायें

†*५५९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के कोरबा कोयला क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से उन के शिविरों में उचित सुविधाओं के अभाव के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन की शिकायतों को दूर करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर इस्पात, खान और इंधन मंत्री द्वारा बाद की तारीख में दिया जायेगा क्योंकि यह विषय उन के क्षेत्र में आता है ।

आकाशवाणी की पुर्तगाली यूनिट

†५६०. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के पुर्तगाली यूनिट की एक महिला एनाउन्सर अपने विशेषज्ञ गोआनी सहयोगियों द्वारा तैयार की गई टिप्पणियों को 'एनाउन्स' करने से इन्कार करती है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं और उस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने आकाशवाणी को यह हिदायत दी है कि सालाजार हकूमत की गतिविधियों की आलोचना प्रसारित न की जाये और केवल गोआ पर ध्यान केन्द्रित किया जाये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री केसकर)**: (क) और (ख). माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की शिकायतों का उल्लेख किया है वैसी कुछ शिकायतें आई हैं और मैं इस मामले की जांच करा रहा हूं । विभिन्न एककों में काम करने वाले अधिकारियों को कुछ नियमों और विनियमों तथा एक अनुशाशन संहिता का पालन करना होता है और यदि नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है तो उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

(ग) नहीं श्रीमान, यह सही नहीं है ।

बाल और रोलर बीयरिंग परियोजना

†*५६१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती ईला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाल और रोलर बीयरिंग की ८ करोड़ रुपये की परियोजना का, जिसे अन्तिम रूसी ऋण से वित्तपोषित करने की प्रस्थापना थी, विचार छोड़ दिया गया है क्योंकि रूसी ऋण विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : चूंकि सोवियत संगठन इस समय अपने बाल और रोलर बीयरिंग संयंत्रों के आधुनीकिकरण में लगा हुआ है,इसलिये सोवियत प्रतिनिधियों ने इस परियोजना पर

---

†मूल अंग्रेजी में

विचार किये जाने का ऐसे समय तक स्थगित कर देने का सुझाव दिया था जब तक सोवियत संगठन हमारे साथ सहयोग करने की स्थिति में न हो जाये ।

पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्र

†८९२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में अभी तक भारतीय नागरिकों से अपने संबंधियों, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, से मिलाने के लिये पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्रों के लिये कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने प्रार्थना पत्र मंजूर किये गये हैं ।

(ग) कितने प्रार्थना पत्र अभी तक विचाराधीन हैं; और

(घ) कितने प्रार्थना पत्र ना मंजूर हुए हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) :** (क) ६७,४१४ ।

(ख) ४७,३२१ ।

(ग) १९,९७६ ।

(घ) ३१७ ।

नोट : उपरोक्त आंकड़ों में (जो ३१-१-१९६१ तक के हैं) आसाम, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल राज्यों से संबंधित सूचना सम्मिलित नहीं है ।

पंजाब में शिक्षित बेरोजगार

†८९३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में जुलाई-दिसम्बर, १९६० में रजिस्टर्ड बेरोजगार ग्रेजुएटों, इन्टरमीजिएटों और मैट्रीकुलेटों में से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

†**श्रम मंत्री (श्री आबिद अली) :**

श्रेणी	**जुलाई-दिसम्बर में रोजगार में लिये गये व्यक्तियों की संख्या**
१	२
मैट्रिकुलेट	४,५८९
इन्टरमीजिएट	४२५
ग्रेजुएट	१,०८८
योग	६,१०२

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनायें

†८९४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में १९६० में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाओं में क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : एक विवरण जिस में दिल्ली के नगर निगम द्वारा मार्च, १९५९ के बाद, जब कि यह कार्य उसे हस्तान्तरित किया गया था, निर्मित की गयी/क्रियान्वित की गई गन्दी बस्तियों की सफाई की परियोजनाओं का ब्यौरा और इन परियोजनाओं में वर्ष १९६० में हुई प्रगति दी गई है, संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]** इस के अतिरिक्त निगम ने ३७ गन्दी बस्तियों (जिस में १३ बस्तियों में विद्युत् सुविधा का उपबन्ध भी सम्मिलित है) और १५ कटरों में सुधार कार्य भी प्रारम्भ किया।

अखबारी कागज

†८९५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर से १९६० से अभी तक—

(१) इंडियन एक्सप्रैस ग्रुप के समाचार पत्रों;

(२) टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप;

(३) हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप ;

(४) स्टेट्समैन ग्रुप; और

(५) हिन्दू

को कितना अखबारी कागज आयात करने की अनुमति दी गई है ?

(ख) प्रत्येक को उपरोक्त अवधि के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ग) उपरोक्त में से प्रत्येक को उपरोक्त अवधि में नेपा से कितना संभरण प्राप्त हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान ७ सितम्बर, १९६० को दिये गये उनके अतारांकित प्रश्न संख्या २२५९ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जिस में १९६०–६१ के पूरे वर्ष के बारे में सूचना दी गई है। अखबारी कागज के कोटों का आवण्टन वार्षिक आधार पर वर्ष के प्रारम्भ में किया जाता है, इसलिये १ सितम्बर, १९६० से आयात की अवधि के पृथक आंकड़े देना संभव नहीं है।

पंजाब में अल्प आय वर्ग आवास योजना

†८९६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण आवास, और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य का अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी राशि दी गई थी ;

(ख) क्या उस राशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है ; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में वास्तव में कितनी राशि (जिलेवार) व्यय की गई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत अपने दूसरी योजना के ३२६.४५ लाख रुपये के आवण्टन में से पंजाब

†मूल अंग्रेजी में

सरकार सरकार ने योजना के पहले चार वर्षों में २७४.७६ रुपये लिये ह जबकि उनको योजना के अन्तर्गत ४४.०० लाख रुपये की अन्य राशि १९६०–६१ के लिये आवंटित की गई है।

(ख) और (ग). एक विवरण जिसमें राज्य सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक व्यय किये गये ऋणों की राशियां दी गई हैं; संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

पंजाब को मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण

†८९७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अभी तक कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में वास्तव में कितनी राशि (राज्यवार) व्यय की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) १०४.८५ लाख रुपये ।

(ख) आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में वास्तुकला विभाग

†८९८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के वास्तुकला विभाग में सरकारी स्वामित्व के और सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के निर्माण कार्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं और यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की कमी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के वास्तुकला सेक्शन में उस कार्य के अनुसार कर्मचारी रखे जाते हैं जो केन्द्रीय लोक कर्म विभाग द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रमुख निर्माण कार्य अभिकरण के रूप में सामान्यत: किये जाने की आशा की जाती है। अन्य संगठनों को भी मांगे जाने पर, यथासंभव सहायता दी जाती है।

व्यापार प्रतिनिधि मंडल और करार

†८९९. **श्री पांगरकर :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आये तथा कितने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेश गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६०-६१ में फरवरी के मध्य तक किन-किन देशों के साथ व्यापार करार किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) दिसम्बर, १९६० से फरवरी १९६१ तक तीन विदेशी व्यापार/आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल भारत आये। इस अवधि में भारत से कोई भी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल सरकार की ओर से विदेश नहीं गया ।

(ख) १ अप्रैल, १९६० और १४ फरवरी, १९६१ के बीच भारत सरकार और चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, नेपाल, रुमानिया और ट्यूनीसिया की सरकारों के बीच व्यापार करार/प्रबंध हुए।

महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†९००. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने छोटे पैमाने के उद्योगों को लघु उद्योग सेवा संस्थाओं से (जिलेवार) सहायता मिल रही है ; और

(ख) वे कौन-कौन से कारखाने हैं तथा उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बम्बई की लघु उद्योग सेवा संस्था ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित ८५० छोटे औद्योगिक एककों को प्रविधिक सहायता दी है। यह संख्या इतनी ज्यादा है कि इस विवरण में समस्त कारखानों के नाम नहीं दिये जा सकते हैं। दी गई सहायता निम्नलिखित के सम्बन्ध में है :—

(क) नक्शों तथा डिजाइनों का संभरण ;

(ख) मशीनों और उपकरण सम्बन्धी सुझाव ; और

(ग) निर्माण क्रिया में सुधार ।

इन उद्योगों में डीजल इंजन गढ़ाई और सांचे ढालना, मोटर के पुर्जे, मिल स्टोर और पाइप, कपड़े की मशीनों के पुर्जे, साइकिल और साइकिल के पुर्जे, खेती के औजार आदि सम्मिलित हैं।

आसाम में चाय उत्पादन

†९०२१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में वर्ष १९५८ से १९६० तक (वर्षवार) चाय का कितना उत्पादन हुआ तथा उस का मूल्य कितना है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में चाय की खेती के अन्तर्गत कितना क्षेत्र था; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में आसाम से कितनी चाय का निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य कितना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क)

वर्ष	उत्पादन लाख पौडों में	अनुमानित मूल्य करोड़ रुपयों में	
१९५८	३७७३	*९७.३५	मोटा अनुमान
१९५९	३७७२	९८.४५	
१९६० (अनुमान)	३४०५	९१.९६	

*आसाम में उत्पादित चाय का कुल मूल्य संबंधित सीजनों में कलकत्ता और लन्दन के नीलामों में बेची गई आसाम की चाय के प्रति पौंड सम्मिलित औसत मूल्य पर आधारित है ।

(ख)

वर्ष (३१ मार्च को)	क्षेत्र (एकड़ों में)
१९५८	३९३,५२२
१९५९	३९६,३१४
१९६०	३९६,३५५

(ग) आसाम से चाय के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि चाय का लदान कलकत्ता पत्तन से उत्पादन के राज्य का भेदभाव किये बिना किया जाता है ।

आंध्र प्रदेश का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†९०२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश प्रौद्योगिक--आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम रूप में तैयार किया जा चुका है ; और

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद् द्वारा आन्ध्र सरकार के अनुरोध पर तैयार किया जा रहा है तथा अभी तक तैयार नहीं हो सका है ।

आंध्र प्रदेश में मिट्टी के बर्तन आदि तैयार करने वाला सरकारी कारखाना

†९०३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में गुडूर में स्थित मिट्टी के बर्तन आदि तयार करने वाले सरकारी कारखाने के विस्तार का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) विस्तार के पश्चात् कारखाने की क्षमता क्या होगी ;

(ग) विस्तार कार्यक्रम किन उत्पादों के लिये बनाया गया है ; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगमंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) गुडूर स्थित वर्तमान मिट्टी के बर्तनों के सरकारी कारखाने का सारभूत विस्तार करने के लिये उद्योग (विस्तार तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अनुमति के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ग). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होते ।

दूध के पाउडर की चोरबाजारी

†१०४. **श्री कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यू एस एल ७७११ ट्रक, जिस में दूध का पाउडर ले जाया गया था, के ड्राइवर को गवाही देने के लिये नहीं बुलाया गया था ;

(ख) क्या जांच के दौरान ग्राम कल्याण समाज ताजपुर के सचिव को गवाही देने के लिये बुलाया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्राम कल्याण समाज के सचिव ने यह बताया है कि दूध के पाउडर के २०० डिब्बे चोर बाजार में बेचे गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या किसी स्वतंत्र व्यक्ति को अग्रेतर जांच के आदेश दिये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) मुझे कोई जानकारी नहीं है । परन्तु जो लोग गवाही देने आये थे उन के नामों की सूची का विवरण संलग्न किया जाता है ।

(ग) यह आरोप लगाया गया था कि दूध-पाउडर के २०० डिब्बे चोर बाजार में बेचे गये थे । शिकायत श्री अब्दुल रहीम अन्सारी ने की थी ।

(घ) इस मामले पर सघन क्षेत्र समिति, तेज़पुर, जो समिति पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध है, द्वारा अथवा चोर बाजार में बेचे गये कथित दूध पाउडर के दाताओं द्वारा अन्तिम निर्णय किया जा सकता है । परन्तु फिर भी आवयश्यक कार्यवाही के लिये इस की सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई है ।

विवरण

१. श्री अब्दुल रहीम अन्सारी, ताजपुर

२. श्री मुहम्मद शहीद, पुत्र अजीमुल्ला, निवासी ताजपुर

३. श्री अब्दुल सत्तार, पुत्र श्री अली बक्श अन्सारी, निवासी ताजपुर

४. श्री सगीर अहमद, निवासी ताजपुर

५. श्री सरदार सम्पूर्ण सिंह, प्रधान गांव सभा ताजपुर

६. मुंशी शब्बीर अहमद अन्सारी, निवासी ताजपुर

७. डा० भरत सिंह, निवासी ताजपुर

८. पंडित राजकृष्ण, कर्मचारी और दूध का रिकार्ड रखने वाला

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में अम्बर चरखा

†९०५. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजनावधि में अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में अम्बर चर्खा के प्रचार के लिये वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) अब तक कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ग) अब तक कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ख) रिपोर्टों से पता चला है कि दिसम्बर १९६० के अन्त तक उत्तर प्रदेश राज्य में ३०२.२५ लाख वर्ग गज अम्बर खादी का निर्माण हुआ है।

(ग) अम्बर चर्खा कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में दिसम्बर १९६० के अन्त तक ४८६ उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं।

संघ प्रशासनों को आवास योजनाओं के लिए ऋण

†९०६. **श्री कुम्भार :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक विभिन्न संघ प्रशासनों को मध्यम और अल्प आय वर्ग के अधीन प्रत्येक वर्ष कितना ऋण दिया गया है,

(ख) इन दोनों वर्गों के अधीन अब तक कितने व्यक्तियों ने ऋण लिया और मकान बनाये; और

(ग) इन योजनाओं के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन आवंटित किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) संघ प्रशासनों से जानकारी मंगाई गई है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) तृतीय पंचवषीय योजना पर अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद इसकी जानकारी होगी ?

लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश का 'विप्लव' अखबार

९०७. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि लखीमपुर खेरी (उत्तर प्रदेश) से लगभग छः मास से "विप्लव" नामक अखबार प्रकाशित होता है ;

(ख) क्या इसकी सूचना समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को मिल चुकी है; और

(ग) क्या यह सच है कि सूचना मिलने के बाद भी उक्त समाचार-पत्र को अभी तक कोई नम्बर नहीं दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). "विप्लव" के मुद्रक और प्रकाशक के डिक्लेरेशन की प्रमाणित प्रतियां प्रेस रजिस्ट्रार के पास जिला मजिस्ट्रेट की मार्फत अगस्त, १९६० में आई थीं। लेकिन पत्र को इसलिये नम्बर नहीं दिया जा सका कि प्रेस-रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित फार्म में मांगी गयी कुछ जानकारी दिसम्बर, १९६० तक नहीं भेजी गयी थी। पूरा ब्यौरा भेजने पर रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया गया है।

पंजाब में नये उद्योग

†९०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में नये उद्योगों की स्थापना और विकास के निर्धारण में प्रगति के और ब्यौरे क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : पंजाब सरकार के कहने पर अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा इसके बारे में बनाया गया प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं है। इसके शीघ्र ही तैयार होने की आशा है।

औद्योगिक शिक्षण केन्द्र

९०९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास केन्द्रों के निकट कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में मन्त्रालय द्वारा विचार किया गया है जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले किसान, अल्प रोजगारी लोग, महिलायें और अन्य व्यक्ति कोई उद्योग सीख कर उत्पादन कार्य में लग सकें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये कार्य की रूपरेखा क्या है और ये केन्द्र कब तक खोले जायेंगे और कब तक कार्य आरम्भ करेंगे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या मन्त्रालय ने ऐसा कोई सुझाव दिया है कि सामुदायिक विकास केन्द्रों के निकट काम करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छोटे पैमाने की आधुनिक मशीनें तथा उपकरण उपलब्ध करने की सुविधा दी जाये ताकि देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोग भी आधुनिक ढंग से उत्पादन करके राष्ट्रीय सम्पत्ति और अपनी आय बढ़ा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) इस काम के लिये बनायी गयी विशेष समिति द्वारा और बाद को मई १९६० में श्रीनगर में हुये राज्य विकास आयुक्तों के सम्मेलन में इस प्रश्न की जांच की गयी थी। राज्य सरकारों ने विभिन्न ग्रामीण दस्तकारियों और उद्योगों में स्थान पर जाकर शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिये ५ सामुदायिक विकास खण्डों के लिये एक केन्द्र बनाने तथा घूम कर काम करने वाले प्रदर्शन एककों के लिये सामूहिक किस्म की प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ राज्यों ने इस प्रकार की योजनाओं को अपनी १९६१-६२ की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया है। इसके अलावा

†मूल अंग्रेजी में

रेशम के कीड़े पालने, दस्तकारियों, लघु उद्योगों तथा खादी और ग्रामोद्योगों ने प्रशिक्षण देने के लिये सारे देश में अनेक प्रशिक्षण या प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र पहले से ही चल रहे हैं और उनमें से अनेक सामुदायिक विकास खण्डों में स्थित हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ). ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों में जिनके खोले जाने का प्रस्ताव है, सुधरे हुये पर्याप्त औजार तथा मशीनें रहेंगी ताकि देहाती कारीगर उनका अध्ययन करके उत्पादन के अच्छे तरीकों को अमल में ला सकें। वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों में भी इस प्रकार के सुधरे हुये औजार तथा मशीनें पर्याप्त संख्या में हैं। राज्य सरकारों द्वारा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

कच्चे लोहे का निर्यात

९१०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने अब तक कितने कच्चे लोहे का निर्यात किया और इस व्यापार से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा विदेशों से मिली;

(ख) इस धन में से कितना नकद देश में आया और कितना विदेशी विनिमय की कमी को पूरा करने में उपयोग किया गया ;

(ग) विदेशी विनिमय के रूप में व्यय होने वाले उपरोक्त धन के बदले में क्या माल भारत आया और उस माल के आयात पर क्या व्यय हुआ; और

(घ) अब इस व्यापार का भार राज्य व्यापार निगम की एक विशेष शाखा के सुपुर्द करने से क्या लाभ होगा क्या यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एक विवरण में दी गयी है जो सभा की मेज़ पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]** कोई कमी पूरी नहीं की जानी है।

(घ) इस काम के लिये विशेष शाखा बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चम्बा में बम विस्फोट

†**९११. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर १९६० के तीसरे सप्ताह के अन्त में जम्मू से लगभग ५० मील दूर चम्बा में कहा जाता है कि पाकिस्तानियों द्वारा एक स्कूल भवन में रखे गये दो बमों के फटने से इस स्कूल भवन को अत्यधिक क्षति हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र से पुलिस को एक बिना फटा बम भी मिला था ;

(ग) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार से कोई प्रतिवेदन इसके बारे में मिला है; और

(घ) यदि हां तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रधान तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). दिसम्बर २४ को अखनूर से १९ मील दक्षिण-पश्चिम में तथा युद्ध विराम रेखा के ४ मील हमारे क्षेत्र में छम्ब स्थान पर एक स्कूल के भवन में दो विस्फोट हुए। जिसके फलस्वरूप भवन की दो खिड़कियां तथा कई

†मूल अंग्रेज़ी में

शीशे टूट गये। उसी दिन स्विच लगा हुआ एक प्लास्टिक का बम पाया गया जिसको फटने से रोका गया। यह बम निश्चित रूप से पाकिस्तानी तोड़ फोड़ करने वालों ने यहां पर रखे थे। सौभाग्यवश कोई व्यक्ति नहीं मरा।

(ग) और (घ). जम्मू और काश्मीर पुलिस ने जांच के लिये मामला दर्ज कर लिया है।

आसाम में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

†९१२. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण बहुत सी औपचारिकताओं के बाद दिया जाता है और इस कारण वहां के विस्थापित व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को ऋण के भुगतान में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कुछ जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या परिणाम निकले हैं और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) जी नहीं। आसाम में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण आसाम विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास ऋण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दिये जाते हैं।

(ख) से (घ) आसाम सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। मिलने पर जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

†९१३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में किन देशों से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** भारत सरकार ने अफ्रीका के सभी देशों, जो १९६०–६१ में स्वतन्त्र हुए हैं तथा राष्ट्रसंघ में प्रवेश हुए हैं, को मान्यता दी है। सरकार ने साइप्रस और मडगास्कर के गणतन्त्रों को भी मान्यता दी है।

नंगल उर्वरक कारखाना

†९१४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २१ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल उर्वरक कारखाने की अधिक आक्सीजन के मितव्ययी उपयोग करने का तरीका खोज निकाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). अधिक आक्सीजन के मितव्ययी उपयोग के कई विकल्प जो नीचे संक्षेप में दिये जाते हैं पर विचार किया गया था :—

(१) एक दबाव संयंत्री स्थापित किया जा सकता है जिससे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए सिलेण्डरों में आक्सीजन भरी जा सके। इस प्रकार थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जा सकेगा। सिलेण्डरों में बिक्री के लिये बातचीत की जा रही हैं।

(२) कुल आक्सीजन को तरल बनाने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है जिससे कुछ विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जा सके। परन्तु यह तरीका मितव्ययी नहीं पाया गया।

(३) आक्सी थेरमिक पद्धति से कैल्सियम कारबाइड बनाने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है। अन्य कच्ची सामग्रिओं की कमी के कारण उपयुक्त पदार्थ बनाना सम्भव नहीं है।

(४) एकेटाइलीन और एकेटाइलीन पर आधारित कुछ आरगनिक वस्तुयें बनाने पर विचार किया जा रहा है। यदि इस क्षेत्र में पर्याप्त प्राकृतिक गैस मिल जाये तो एकेटाइलीन बनाई जा सकेगी।

(५) अधिक आक्सीजन और प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके नंगल में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाना भी सम्भव है ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस की जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवन-गाथा

९१५. श्री भक्त दर्शन : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "बिल्डर्स आफ माडर्न इंडिया" की ग्रन्थमाला में सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवन-गाथा प्रकाशित करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और यह पुस्तक कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): इस जीवनी के उपयुक्त लेखक के मिल जाने पर कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

ऊन विकास परिषद्

९१६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊन विकास परिषद् की सिफारिशों पर क्या निश्चय किये गये हैं और उन निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण साथ में रखी हैं ।

विवरण

३-२-१९५९ को हुई ऊन उद्योग की विकास परिषद् की बठक में की गयी सिफारिशें	की गयी कार्यवाही
१ परिषद् ने सिफारिश की कि चूंकि हथकरघे की चीज़ें आम तौर से बिक्री कर से मुक्त रहती हैं, इसलिये यह लाभ गलीचों और कम्बलों के लिये भी लागू किया जाना चाहिये ।	वस्त्र आयुक्त ने इस मामले को अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के पास भेजा है जो इस प्रश्न पर पहले से विचार कर रहा था ।
२ दूसरी और तीसरी योजना की अवधियों में उत्पादन के लक्ष्य तैयार किये जाने चाहियें तथा परिषद् की अगली बैठक में उनकी जांच की जानी चाहिये ।	इस मामले पर परिषद् ने ७ जुलाई, १९५९ को हुयी अपनी बैठक में और भी विचार किया ।
३ बाजार की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजा जाये । जिसमें ऊन उद्योग के प्रतिनिधि हों ।	१९६० में एक प्रतिनिधि मण्डल ने कई देशों का दौरा किया । इस प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट पर विकास परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।
४ परिषद् ने ऊनी माल के लिये एक संशोधित निर्यात संवर्द्धन योजना की सिफारिश की ।	सुझाई गयी संशोधित योजना पर विचार किया गया और वह अमल में लाई गई ।
५ कुटीर उद्योग के क्षत्र के बारे में परिषद् ने सिफारिश की थी कि काम में लगे हुए हथकरघों की संख्या, ऊनी कपड़े, गलीचों और कम्बलों के उत्पादन, कच्चे माल की आवश्यकताओं, काम में लगे हुए आदमियों की संख्या इत्यादि के विषय में नयी जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिये ।	वस्त्र आयुक्त ने इस बारे में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड से मिल कर काम शुरू कर दिया है ।

टीन के डिब्बे

†९१७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मैटल बाक्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा भारत में बनाये गये (१) बिना छपे हुए तथा (२) छपे हुए टीन के डिब्बों की कितनी प्रतिशतता खाद्यान्नों के डिब्बों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में इस फर्म को (१) देसी तथा आयात की गई टीन प्लेटों का कितना कोटा दिया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सम्बद्ध है।

विवरण

(क) निर्माता खाद्यान्नों के डिब्बों का निर्माण अलग नहीं बताते हैं। मैसर्स मैटल बाक्स कम्पनी, टीन के सभी प्रकार के डिब्बों का उत्पादन, देश के टीन के डिब्बों के उत्पादन का लगभग ३५ प्रतिशत करती है।

(ख) एक सार्थ के बारे में यह सूचना बताना लोकहित में नहीं होगा।

सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के कर्मचारियों की आय

†९१८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० वर्ष में सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में नियुक्त १. प्रवीण, २. अर्द्ध प्रवीण और ३. अप्रवीण कर्मचारियों की औसत प्रति व्यक्ति मासिक आय १९५५–१९५६ के इन्हीं आंकड़ों की तुलना में क्या है; और

(ख) १९५९–६० में इन कम्पनियों द्वारा नियुक्त प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठा करना बड़ा कठिन है। परन्तु यदि माननीय सदस्य को किसी कारखाने अथवा किसी विशेष श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो मैं सहर्ष यह जानकारी उनको बताने को तैयार हूं।

फिरोजाबाद कांच उद्योग

†९१९. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले दोनों वर्षों में वर्षवार फिरोजाबाद कांच उद्योग पर लागू उद्योग विकास तथा अधिनियम १९५१ का कार्यवहन किस प्रकार का है ;

(ख) १९५९–६० तथा १९६०–६१ वर्षों में अब तक नई यूनिटों को लाइसेंस देने के बारे में विकास खण्डों को कितने आवेदन पत्र मिले हैं;

(ग) उनमें से कितनों को लाइसेंस दिये गये थे और लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक फैक्टरी की फैक्टरी वार क्षमता क्या है ; और

(घ) क्या विकास खण्डों ने इसका पता लगा लिया है कि मन्त्रालय ने जिन यूनिटों को लाइसेंस दिए हैं उनको कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है जिससे वह कारखाने लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक चालू रह सकें।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सम्बद्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) फिरोजाबाद का कांच की चूड़ियों के उद्योग पर, छोटे पैमाने का उद्योग होने के कारण उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ लागू नहीं होता है। परन्तु फिरोजाबाद में दस अन्य कांच के कारखाने हैं जो अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड/लाइसेंस्ड हैं। १९५९ तथा १९६० में उनका उत्पादन क्रमशः ३८६४ तथा ५८१३ टन था।

(ख) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में कांच के बर्तन बनाने के लिये फिरोजाबाद में नये यूनिट स्थापित करने के लिये मन्त्रालय को निम्न आवेदन पत्र मिले हैं :

१९५९–६०	. १
१९६०–६१ . .	. ४

(ग) इन पांच आवेदन पत्रों में से तीन (१, १९५९–६० तथा २, १९६०–६१ के) अस्वीकार कर दिये गये क्योंकि देश में और फिरोजाबाद में साधारण प्रकार के कांच के बर्तन बनाने की अधिक क्षमता बेकार ह और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। दो आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) विकास खण्ड इन यूनिटों को सभी प्रकार की सहायता दे रहा है। वह कच्चे माल को आयात करने के लिये आयात लाइसेंस देने की सिफारिश करता है। राज्य व्यापार निगम को सोडा ऐश देने को कहता है। विभिन्न यूनिटों की कच्चे माल की आवश्यकताओं का निर्धारण, उनके पहले उत्पादन के आधार पर किया जाता है। इन यूनिटों की कोयले की आवश्यकताओं को राज्य सरकारें पूरा करती हैं।

कर्मकार शिक्षा योजना

†१९२०. **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मकार शिक्षा योजना की क्रियान्विति में, इस योजना के प्रारम्भ से क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार तीसरी योजना में योजना को बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) ३१ दिसम्बर, १९६० तक कर्मकार शिक्षा योजना की प्रगति नीचे दी जाती है :—

१. १९५८ तथा १९५९–६० में क्रमशः बम्बई और कलकत्ते में शिक्षकों, जिन को 'टीचर एडमिनिस्ट्रेटर' कहा जाता है, के प्रशिक्षण के दो पाठ्यक्रम चालू किये गये थे। इन में ३३ कार्मिक संघों के नाम निर्देशन के साथ साथ ६७ 'टीचर एडमिनिस्ट्रेटर्स' को बोर्ड की नियुक्ति के लिये प्रशिक्षित किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. देश के विभिन्न भागों में बारह प्रादेशिक कर्मकार शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन में ८७५ कर्मकार-अध्यापक प्रशिक्षित हो चुके हैं और १९० प्रशिक्षण पा रहे हैं। २८७ यूनिट स्तर की कक्षायें बनाई गई हैं। जिन में ५,९८९ कर्मकार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और ५,२८३ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

३. प्रादेशिक केन्द्रों में कार्य समितियों के सदस्यों तथा संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के सदस्यों के लाभार्थ अल्प-कालीन पाठ्यक्रमों का संगठन किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कर्मकार शिक्षा योजना को बढ़ाने के प्रस्तावों की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

१. यदि आवश्यक हो तो प्रति वर्ष चार नये प्रादेशिक कर्मकार शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। इन में प्रादेशिक स्तर तथा यूनिट स्तर पर प्रशिक्षित कर्मकार अध्यापकों की संख्या बढ़ने के अनुपात से कर्मकार अध्यापकों का प्रशिक्षण होगा।

२. 'टीचर एडमिनिस्ट्रेटर्स' के लिये प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संगठन करना।

३. बोर्ड के मुख्य कार्यालय में एक श्रव्य-दृश्य विभाग तथा अनुसन्धान संस्था की स्थापना।

४. श्रम विषयों के संबंध में एक पुस्तिका का प्रकाशन।

५. कर्मकार शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने वाली शिक्षा संस्थाओं तथा कार्मिक संघों को अनुदान।

६. विशेष प्रकार के कर्मकारों तथा कार्मिक संघ के पदाधिकारियों के लिये विशेष विषय में थोड़ी अवधि के पाठ्यक्रम ?

कर्मचारियों के लिये विश्राम-गृह और अवकाश-गृह

†९२१. **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कर्मचारियों के लिये विश्राम-गृह तथा अवकाश शिविर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). वह विषय राज्य सरकारों से संबंधित हैं इसलिये इस समय यह जानकारी नहीं है।

सड़क कूटने के इंजनों का निर्माण

†९२२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एग्रीड फैबरीकेटर्स लिमिटेड, कलकत्ता में १९५९ तथा १९६० में कितने सड़क कूटने के इंजनों का वार्षिक निर्माण होता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कम्पनी को सड़क कूटने का इंजिन बनाने का लाइसेंस भारत सरकार ने कब दिया था; और

(ग) कम्पनी द्वारा सरकार को प्रस्तुत निर्माण आयोजना के अनुसार सड़क कूटने के इंजिनों का वार्षिक निर्माण क्या था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) पिछले दो वर्षों में सार्थ द्वारा बनाये गये सड़क कूटने के इंजनों के वार्षिक निर्माण आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

१९५९	२८
१९६०	८९

(ख) फर्म को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन १९-३-१९५७ को लाइसेंस दिया गया था ।

(ग) फर्म को प्रति वर्ष १४४ सड़क कूटने के इंजनों के निर्माण का लाइसेंस दिया गया था ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों का स्थायीकरण

†९२३. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कुछ कार्यभारित कर्मचारियों को १-७-४६ और १-९-५३ से स्थायी बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिस पद में वे स्थायी बनाये जा चुके हैं, उसी पद में उन्हें १-४-५८ से स्थायी बनाने के पृथक आदेश पुनः जारी किये जा रहे हैं :

(ग) यदि हां, तो ऐसे सब कर्मचारियों का स्थायीकरण, जिन्हें १-४-५८ से पहले स्थायी बनाया गया था, रद्द कर दिया गया और उस से उनको प्राप्त होने वाले सब लाभ छीन लिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** (क) से (ग). १ अप्रैल, १९५८ से प्रभावी, कार्यभारित कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में ३८३९ स्थायी पद बनाये गये थे । इससे पहले सी० पी० डब्ल्यू० डी० में यदि कोई स्थायी पद थे, तो वे उस तिथि से समाप्त कर दिये गये थे । अतः सब लोगों का स्थायीकरण उस तिथि से करना पड़ा । १९४६ और १९५३ में कर्मचारियों को दिया गया स्थायीकरण हमेशा बनाये गये स्थायी पदों पर नहीं था, किन्तु कर्मचारियों को लम्बी और लगातार सेवा के लिये व्यक्तिगत रूप में दिया गया था । अतः जिन कर्मचारियों को १९४६ और १९५३ में स्थायी घोषित किया गया था, उन्हें १९५८ में बनाये गये पदों पर स्थायी करना था । उन का पुराना स्थायीकरण रद्द नहीं किया गया किन्तु उन्हें १-४-४८ से बनाये गये स्थायी पदों पर दिखाया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एस्टर्स[1] और पोलीएस्टर्स[2] का उत्पादन

†६२४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में एस्टर्स और पोलीएस्टर्स के आयात तथा देश में उनके उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): 'एस्टस' एक व्यापक सामान्य मद है जिस में विविध प्रकार के रसायन, अर्थात् एथिल एसिटेट, ब्यूटिल एसिटेट, बैंजिल, प्लास्टिसाइजर्स (जिसे डिब्यूटिल थैलेट, डायकिल थैलेट, आदि) शामिल हैं। संभवतः माननीय सदस्य 'पोलीएस्टर रेजिन' संबंधी स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं।

देश में इस समय 'पोली एस्टर रेजिन' का उपयोग बहुत कम है। अतः उन का आयात भी बहुत कम है। १९५७, १९५८ और १९५९ में इन रालों के आयात का मूल्य क्रमशः ११०० रुपये, ७००० रुपये और ३६००० रुपये था। १९६० के पहले दस महीनों में इन रालों का आयात ९ टन तक किया गया था जिस का मूल्य ५६,००० रुपये था

अभी तक देश में 'पोलीएस्टर्स' का उत्पादन नहीं है। एक फर्म को अन्य उद्योगों में इन रालों के उपयोग की प्रत्याशित वृद्धि की दृष्टि से प्रति वर्ष ६००टन क्षमता के साथ इन रालों का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया है। अगले ६/८ महीनों में इस इकाई द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने की संभावना है। देश में पोलीएस्टस शीट्स के उत्पादन के दो प्रस्तावों को भी हाल ही में अनुमोदन दिया गया है। देश में तैयार होने वाली देशी 'पोलीएस्टर रेजिन्स' का उपयोग इन चादरों के निर्यात के लिये किया जायेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पोलीएस्टर्स रालों की आवश्यकता १००० टन प्रति वर्ष के लगभग होने की आशा है।

गांधीजी की रचनाओं का संकलन

†६२५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने संकलन किये जाने के लिये गांधी जी के भाषणों, लेखों और पत्रों के मूल कागज भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने कागज प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या इस दिशा में उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). जी, नहीं। उड़ीसा सरकार ने महात्मा गांधीजी के सम्पूर्ण वाङ्मयनों के संकलन के लिये कोई मूल कागज नहीं भेजा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चाय उद्योग

†६२६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चा परिषद् ने हाल में सरकार से यह प्रार्थना की है कि चाय बागानों द्वारा पुनः पौधे लगाने तथा विस्तार करने पर किये जाने वाले व्यय को आय कर विधियों के अन्तर्गत राजस्व व्यय माना जाये ताकि चाय उद्योग को प्रोत्साहन मिले ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Esters.

[2] Polyesters.

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या फैसला किया है; और

(ग) क्या परिषद् ने उद्योग के लिये उदारतापूर्वक ऋण और अर्थ सहायता देने के लिये भी प्रार्थना की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). न तो सरकार के पास और न ही चाय बोर्ड के पास इस विषय में भारतीय चा परिषद् की ओर से कोई अधिकृत उल्लेख प्राप्त हुआ है किन्तु परिषद् की आसाम शाखा के सभापति ने ३० दिसम्बर, १९६० को डिबरूगढ़ में हुई वार्षिक सामान्य सभा में अपने भाषण में अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया था कि चाय बागानों द्वारा पुनः पौधे लगाने या विस्तार करने पर किये जाने वाले व्यय को आयकर विधियों के अन्तर्गत राजस्व व्यय माना जाना चाहिये तथा सरकार को चाहिये कि उदारतापूर्वक उद्योग को ऋण या अर्थ-सहायता दें। चाय मशीनरी को बदलने आदि के व्यय को आयकर अंकन के लिये राजस्व व्यय मानने के प्रश्न पर सरकार ने पृथक विचार किया है। सरकार का विचार है कि यह व्यय पूंजी व्यय है जिस के लिये अंकन योग्य आय का हिसाब लगाने में कोई छूट नहीं दी जा सकती।

उद्योग को ऋण और सहायता देने के लिये सरकार ने पहले ही कई योजनायें मंजूर कर दी हैं अर्थात् चाय मशीनरी क्रयावक्रय योजना, सीमान्त बागों की मरम्मत के लिये ऋण देने की योजना, चाय मशीनरी को बदलना तथा नया करना, उर्वरक और परिवहन सहायता योजना।

कृषि उपकरणों का निर्माण

†९२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर अच्छे कृषि उपकरणों के निर्माण की कोई योजना है;

(क) इस समय देश में कितने ऐसे उपकरण बनाये जा रहे हैं और किस मात्रा तक उन का आयात किया जाता है; और

(ग) तीसरी योजना में ऐसे उपकरणों के निर्माण का लक्ष्य क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग). बड़े पमाने के क्षेत्र में ऐसे उपकरणों की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता ३०००० मीट्रिक टनों के बराबर है। १९६० में देश में लगभग १७४०० टन उत्पादन हुआ था। ऐसे उपकरणों का आयात बन्द है। तीसरी योजना की प्रारूप रूप रेखा में इन उपकरणों का कोई विशिष्ट लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

इंगलिस्तान से टेलीविजन दल

†९२८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलिस्तान का "ग्रावाडा टैलीविजन' का छः सदस्यीय दल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उन के आगमन का क्या उद्देश्य था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) दल के चार सदस्य थे ।

(ख) सम्राज्ञी की भारत यात्रा अवधि में भारत संबंधी चार वृत्त चित्र बनाने के लिये, जन्हें इंगलिस्तान में दिखाया जायेगा ।

महाराष्ट्र में कागज का कारखाना

†१२९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : :

(क) क्या महाराष्ट्र के भीर जिले में पूरली-बैजनाथ में कागज बनाने के लिये एक फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की क्षमता तथा अनुमानित लागत क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) ४० लाख रुपये की अनुमानित लागत पर प्रति वर्ष ३००० टन ।

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग

†१३०. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि आवंटित की थी; और

(ख) क्या आवंटित राशि अब तक खर्च की जा चुकी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का सर्वेक्षण

†१३१. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री बाल्मीकी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० एल० मेहता ने जुलाई, १९६० में हुई हड़ताल के कारणों के बारे में अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस ने क्या निष्कर्ष निकाला है;

(ग) क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'न' है तो सर्वेक्षण कब पूर्ण होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस प्रक्रम पर कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(घ) प्रतिवेदन कब तक तैयार होगा इस की तिथि बताना संभव नहीं है ।

कपड़े का निर्यात

†९३२. **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका :
श्री पहाड़िया :
श्री दामानी :
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ और १९६० में कपड़े का कितना निर्यात हुआ है;

(ख) क्या यह हमारी आशा के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो कमी के कारण क्या हैं; और

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग). १९५९—८५०२ लाख गज (मिल का बना और हथकरघा का बना) जिस का मूल्य ६१.३१ करोड़ रुपये है ।

१९६०—७३०९ लाख गज (मिल का बना और हथकरघा का बना) जिस का मूल्य ६०.१४ करोड़ रुपये है ।

निर्यात में कमी का कारण मुख्यतया यह है कि कपास की फसल खराब हो जाने के कारण कच्चे माल के मिलन में कमी हो गई थी, जिस के परिणामस्वरूप रूई के दाम चढ़ गये और विदेशी बाजारों में हमारे कपड़े के भाव दूसरे देशों के कपड़ों की तुलना में कुछ अधिक हो गये ।

(च) बड़े पैमाने पर रूई के आयात के फलस्वरूप तथा सरकार द्वारा किये गये विभिन्न नियंत्रण उपायों के फलस्वरूप उचित दामों पर मिलों को पर्याप्त मात्रा में रूई देने के मामले में हालात में सुधार हुआ है । चालू मौसम में कपास की बहुत अच्छी फसली की प्रत्याशा में हालत और अधिक सुधारने की संभावना है ।

रूई का संभरण बढ़ने और की जा रही विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के द्वारा, निर्यात बढ़े रहने की आशा की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय आय सम्बन्धी सांख्यिकी का अध्ययन

†९३३. **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आय सांख्यिकी को अधिक विश्वस्त बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या कोई विशेष अध्ययन आरम्भ किया जायेगा ।

(ग) क्या एकत्रित सांख्यिकी की जांच करने के लिये कोई तन्त्र विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो वह तन्त्र कैसा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). प्रत्येक दूसरे देश के समान भारत में राष्ट्रीय आय सांख्यिकी उत्पादन, रोजगार, वेतनों और मूल्यों, वित्तीय सौदों, पूंजी संग्रह आदि संबंधी सांख्यिकी पर आधारित होते हैं । इस मूल सांख्यकी को एकत्र करने का उत्तर-दायित्व विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य सरकारी अभिकरणों पर है । केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन इस प्रकार एकत्रित सांख्यकी के आधार पर राष्ट्रीय आय सांख्यिकी के संकलन करने के काम के लिये प्रभारी है । राष्ट्रीय आय सांख्यिकी को अधिक विश्वस्त बनाने के लिये इस सांख्यकीय की वर्तमान त्रुटियों और न्यूनताओं के हटाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है और अब केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को विभिन्न सरकारी अर्थकरणों द्वारा सांख्यिकी एकत्र करने में सुधार लाने तथा उसका समन्वय करने एवं इस काम के लिये आवश्यक सर्वेक्षण या विशेष अध्ययन आरम्भ करने का काम भी सौंपा गया है ।

ब्रेल छपाई मशीनें

†९३४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २४ दिसम्बर, १९६० को बम्बई के समाचार पत्र 'बिलिट्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि क्योंकि भारत में अन्धे लोगों की उपयुक्त संस्थाओं को एक पूर्व जर्मनी की फर्म के द्वारा उपहार स्वरूप दी गई कुछ ब्रेल छपाई मशीनों की पेशकश उस फर्म द्वारा वापिस ले ली गई है क्योंकि उसे लाने के लिये परमिट जारी करने के लिये भारत सरकार ने दो वर्ष लगा दिये;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परमिट को जारी करने में जो इतना अधिक विलम्ब बताया जाता है उस का क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्रतिवेदन सर्वथा निराधार है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिमी बंगाल सरकार को मंजूर अनुदानों का हटाया जाना

†९३५. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी बंगाल सरकार को विस्थापित व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों लाभार्थ बेहाला और बौन हुगली में क्षय रोग निदान के दो छोटे अस्पताल तथा नये बैरकपुर तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

बेहाला में दो डिग्री कालिज खोलने के लिये १९६० में भारत सरकार द्वारा मंजूर ३ लाख और ७.५ लाख कुल मिला कर साढ़े दस लाख की राशि के दो अनुदानों को हटाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). बेहाला और बौन-हुगली में क्षय रोग निदान के दो छोटे अस्पतालों के निर्माण की मंजूरियां फरवरी, १९६० में जारी की गई थी। दोनों अस्पतालों की लागत २.९४ लाख रुपये थी। बैरकपुर और बेहाला में दो कालिजों की मंजूरियां क्रमशः ३० मार्च, और ९ अगस्त, १९६० को दी गई थीं। प्रत्येक कालिज पर लगभग ७ लाख रुपये लागत आती थी। हमारी सूचना के अनुसार उक्त इमारत का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ था, कि राज्य सरकार से पूछा गया कि क्या ये मंजूरियां रद्द नहीं की जानी चाहियें और जब राज्य सरकार कार्य आरम्भ करने की स्थिति में होगी तो इन पर बाद में पुनर्विचार किया जा सकता है। इरादा यह था कि धन अनिश्चित काल के लिये अनावश्यक ढंग से अवरुद्ध न रहे। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि कालजों का निर्माण अब आरम्भ किया जा चुका है, किन्तु क्षय रोग निदान के अस्पतालों के निर्माण के बारे में अभी उन का उत्तर नहीं आया।

दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड

९३६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जितनी मांग की थी उस में से अधिकांश कटौती कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग हरिजनों के सम्बन्ध में किन किन मदों के लिये धन मंजूर करता है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) जी नहीं, जितने धन की आवश्यकता है उसे एक से अधिक साधनों से जुटाना पड़ेगा।

(ख) हरिजन कल्याण के लिये निम्नलिखित कार्यों के लिये विशेष रूप से सहायता दी जाती है :—

(१) शिक्षा—जिस में छात्रवृत्तियां, वजीफे और होस्टल आदि शामिल हैं।

(२) आर्थिक विकास—जैसे खेती, दस्तकारी और अन्य प्राविधिक ट्रेनिंग आदि के लिये सहायता।

(३) घर बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिये।

योजना में निहित कार्यक्रमों से जो सार्वजनिक लाभ होगा उस के अतिरिक्त उपरोक्त मदों में हरिजनों के लिये विशेष व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मशीनी औजार

†९३७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में तथा १९५१ और १९५५ में कितने मूल्य के मशीनी औजारों का निर्माण किया गया था;

(र) इन में से प्रत्येक वर्ष में कितने मूल्य के औजारों का आयात किया गया था;

(ग) इन वर्षों में अन्य देशों को कितने मूल्य के औजारों का निर्यात किया गया; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये औजार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य क्या था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग).

(लाख रुपयों में)

वर्ष	देश में उत्पादन	आयात	निर्यात
१९५१	*४७.३१	२५०.००	
१९५५	१५६.१४	५२८.९७	..
१९५६	२५०.४८	८३७.२८	..
१९५७	४५९.६४	१५४७.२७	२.३१
१९५८	६४९.६८	१६८५.८८	०.९५
१९५९	८६०.५०	१६३२.७७	१.४२
१९६०	९७०.००	१७२३.१९	४.२०
		(अक्तूबर तक)	(जनवरी-अक्तूबर)

*१९६० में छोटे पैमाने के क्षेत्र में अनुमानित उत्पादन ३ करोड़ रुपये का है।

(घ) योजना आयोग ने १९६५-६६ तक ३० करोड़ रुपये के मशीनी औजार बनाने का एक अस्थायी लक्ष्य बनाया है। यह सुझाव दिया गया है कि इसे २६ करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और यदि आवश्यकता हुई तो १९६५-६६ तक प्रति वर्ष ४५ करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है ।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, बम्बई

†९३९. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि बम्बई की प्रीमीयर ओटोमोबाइल कम्पनी ने सरकार के सामने एक कार्यक्रम पेश किया है जिस में कम्पनी द्वारा कारों और ट्रकों के निर्माण में वृद्धि की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मोटी रूप रेखा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). मैसर्स प्रीमियर ओटोमोबाइल कम्पनी बम्बई ने औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत, एक लाइसेंस के लिये अर्जी दी है और वह कारों तथा ट्रकों के निर्माण की अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता को प्रत्येक

†मूल अंग्रेजी में

१५००० संख्या तक बढ़ाने एवं अपनी ट्रकों के नीचे के ढ़ांचों में लगाने के लिये आटोभिव डीजल इंजन बनाना आरम्भ करना चाहते हैं ।

विद्रोही नागा

†१४०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम गरीब :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ की तुलना में १९६० में कितने विद्रोही नागा गिरफ्तार किये गये; और

(ख) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ऐक्स-रे संयंत्र

†१४१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐक्सरे संयंत्र प्रसाधन सामग्री में शामिल किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ; और

(ग) इस चीज को प्रसाधन सामग्री की सूची से निकालने के लिये क्या किया गया है ताकि अधिक डाक्टर इन्हें अपने किलत्रिमों में ला सकें ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी नहीं । ऐक्स रे संयंत्र लगाने के लिये तमाम उचित सहायता दी जाती है ।

पहाड़ी प्रदेशों में नये उद्योगों के लिये लाइसेंस

†१४२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी प्रदेशों में नये उद्योग चलाने के लिये अब तक कुल कितने लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) क्या इन सब लाइसेंस का इस्तेमाल कर लिया गया है और उद्योग चालू कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिना इस्तेमाल के लाइसेंसों की क्या संख्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) यह जानकारी नियमित रूप से उद्योग-व्यापार पत्रिका में प्रकाशित की जा रही है ।

(ख) और (ग). अब तक दिये गये लाइसेंसों के बारे में, या तो उद्योग स्थापित कर दिये गये हैं अथवा स्थापित किये जा रहे हैं । पहाड़ी प्रदेशों के लिये जारी किये गये लाइसेंसों के बारे में पृथक जानकारी नहीं रखी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्वार्टरों के आवंटन के लिये कर्मभारित कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूची

†९४३. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग के हर सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर से यह आशा की जाती है कि वह प्रति वर्ष एक मार्च से पूर्व पात्र कर्मभारित कर्मचारियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करके प्रतिवर्ष पहली अप्रैल से पहले पहले ए० डब्ल्यू और बी० डब्ल्यू टाइप के क्वार्टरों के आवंटन के लिये एक अप-टू-डेट प्रतीक्षा सूची बनाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सर्किलों में वर्ष १९५८ में एक सूची तैयार की गयी थी और वह अप्रल, १९५९ और अप्रैल, १९६० में अप-टू-डेट बनायी गयी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन सर्किलों के क्या नाम हैं जहां यह कार्य नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दिल्ली में वर्ष १९५८ में जब १०० 'जी' श्रेणी के क्वार्टरों को बी० डब्ल्यू श्रेणी में आने वाले कर्मभारित कर्मचारियों के लिये आवंटन के लिये रखा गया था सभी सर्किलों ने सूचियां तैयार की थीं । क्योंकि इसके बाद ए० डब्ल्यू० और बी० डब्ल्यू० श्रेणी के क्वार्टरों कोई और आवंटन नहीं किया गया, निम्नलिखित सर्किलों ने सूचियां अप-टू-डेट नहीं बनायी ;

१. दिल्ली राज्य सर्किल ।
२. प्रथम सर्किल ।
३. द्वितीय सर्किल ।
४. निर्माण सर्किल ।
५. केन्द्रीय सर्किल ।
६. ए० एस० डब्ल्यू० (उड्डयन) ।
७. विद्युत सर्किल २।
८. तृतीय सर्किल ।

केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग के मुख्य इंजीनियर द्वारा प्रतीक्षा सूचियों को अपटू-डेट रखने के लिये कठोर आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

क्वार्टरों के आवंटन के लिये कर्मभारित कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूची

†९४४. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग के प्रत्येक डिवीज़नल आफ़िसर से यह आशा की जाती है कि वह प्रतिवर्ष एक मार्च से पूर्व पात्र कर्मभारित कर्मचारियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करके प्रत्येक वर्ष की प्रथम अप्रैल से पूर्व सी० डब्ल्यू० और डी० डब्ल्यू० श्रेणी के क्वार्टरों के आवंटन के लिये प्रतीक्षा-सूची अप-टू-डेट बना ; ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी डिवीज़नों में यह सूची अप्रैल, १९५८, अप्रैल, १९५९ और अप्रैल, १९६० में अप-टू-डेट बनायी गयी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो डिवीज़नों के क्या नाम हैं और यह किस वर्ष अपटू-डेट नहीं बनायी गयी और इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). केवल निम्नलिखित छ : डिवीज़नों में यह सूची अपटू-डेट बनायी गयी :

१. उद्यानकर्म (दक्षिण) ।

२. उद्यानकर्म (उत्तर) ।

३. निर्माण डिवीज़न संख्या १ । ।

४. यंत्रीकरण और कर्मशाला डिवीज़न ।

५. विद्युत डिवीज़न संख्या ३ ।

६. निर्माण डिवीज़न संख्या ४ ।

बाकी डिवीज़नों में यह कार्य पिछले दो वर्षों से बकाया पड़ा है । सूचियों के अपटू-डेट रखने के लिये केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग के चीफ़ इन्जीनियर द्वारा कठोर आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

नेता जी की अस्थियां

†१४५. **श्री अमजद अली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां भारत लाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो वे उसको भारत कब लायेंगे ; और

(ग) अस्थियों को उचित सम्मान और आदर देने के बारे में क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । इस बारे में प्रथमतः नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के सदस्यों द्वारा निर्णय किया जाना है ।

पंजाब में पुनर्वास अधिकारियों के साथ सम्मेलन

†१४६. **श्री सम्पत् :**
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने २५ जनवरी, १९६१ को पंजाब के पुनर्वास अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) यह सम्मेलन २३ और २४ जनवरी, १९६१ को हुआ था।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये हैं।

विवरण

१. पंजाब सरकार का पुनर्वास विभाग ३१ मार्च, १९६१ को बन्द कर दिया जायेगा।

२. लगभग ७० हजार एकड़ फालतू निष्क्रान्त भूमि पंजाब सरकार को उस मूल्य पर बेची जायेगी जो बाद में तै होगी।

३. जो गैर-दावेदार भूमि-विहीन व्यक्ति खरीफ १९५७ से निष्क्रान्त कृषि भूमि पर लगातार कब्जा किये बैठे हैं, उन्हें ४५० रुपये प्रति स्टैण्डर्ड एकड़ के हिसाब से वह भूमि खरीदने की अनुमति दी जाय।

४. लगभग ५०,००० एकड़ वन निष्क्रान्त भूमि पंजाब सरकार को सहमत मूल्य पर बेची जायेगी।

५. पंजाब में विभाजन के बाद विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये विकास किये गये १४ बस्तियों में जल-संभरण योजनायें चलाने के लिये राज्य सरकार को हुई हानि का ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

६. राजपुरा और त्रिपुरा बस्तियों में मकानों में जो गैर-दावेदार व्यक्ति रहते हैं और जो मकान खरीदने की हैसियत में नहीं हैं उन्हें, उसके बदले सस्ते मकान योजना के अधीन स्थान और मकान अनुदान के रूप में ५०० रुपये दिये जायेंगे।

पश्चिमी बंगाल में रह रहे आसाम के शरणार्थी

†९४७. **श्री अरविन्द घोषाल**: क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आसाम और पश्चिमी बंगाल की सरकारों से अलग अलग पश्चिमी बंगाल में रह रहे आसाम के शरणार्थियों के आंकड़े प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) क्या इन दोनों आंकड़ों में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर क्या है और क्या यह अन्तर मिटा दिया गया है?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल में शिविरों में रह रहे परिवारों में से आसाम से आये व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने की प्रक्रिया के बारे में ३० दिसम्बर, १९६० को केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री, आसाम के वित्त मंत्री और पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्री के बीच कलकत्ता में हुई बैठक में फैसला किया गया था। इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, पश्चिमी बंगाल में परिवार के मुखियों द्वारा भरे गये ६०५८ फार्म पुनर्वास मंत्रालय को पश्चिमी बंगाल सरकार से मिले और उन्हें प्रमाणीकरण के लिये आसाम सरकार को भेज दिया गया। २७ फरवरी, १९६१ तक आसाम सरकार द्वारा प्रमाणीकृत १७४९ फार्म वापस मिल। आसाम के शरणार्थियों के नाम पश्चिमी बंगाल सरकार को भेजे जा रहे हैं ताकि वह उनको वापस आसाम भेजने की व्यवस्था करे। अपाज व्यक्तियों के मामलों में उपरोक्त मंत्रियों की बैठक में हुए

†मूल अंग्रेजी में

समझौते के अनुसार बाद में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा विचार किया जायगा ।

"कामनवेल्थ इन ब्रीफ"

†१४८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटेन सरकार ने "कामनवेल्थ इन ब्रीफ़" नामक प्रकाशन के मूलपाठ में संशोधन कर लिया है जहां काश्मीर की सीमा गलत दिखाई गयी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक सरकार को पता है, ब्रिटेन सरकार ने "राष्ट्रमण्डल-संक्षेप में" नामक पुस्तक का अभी कोई और प्रकाशन नहीं निकाला है । तथापि, लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग के जरिये पूछताछ की जा रही है ।

पाकिस्तान द्वारा सीमा स्तम्भों का हटाया जाना

†१४९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने करीमगंज क्षेत्र के सीमा-स्तम्भ हटा दिय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). ऐसा पता लगा है कि लाटू-सुतारकन्डी सेक्टर पर गोबिन्दपुर, रतनपुर और मायाग्राम चलतपुर में तीन भारत-पाकिस्तान सीमा स्तम्भ किसी अनजान व्यक्ति द्वारा तोड़ दिये गये हैं । इस मामले को फौरन आसाम के भ-अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशक को बताया गया और २८ दिसम्बर, १९६० को पूर्व पाकिस्तान में उनके प्रतिरूप अधिकारी को बताया गया । दोनों ओर से यह बात तै हुई कि इन तीनों स्तम्भों को इनके मूल स्थान पर फिर बना दिया जाये

आयोजित दरों पर मनोरंजन व्यय [१]

†१५०. **श्री तंगामणि :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और वर्ष १९५९–६० में आयोजित दौरों पर, अनौपचारिक बैठकों में प्रैस-सम्वाददाताओं को आमंत्रित करने पर मनोरंजन व्यय के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गयी ; और

(ख) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). जानकारी निम्न प्रकार है :

	मंजूर किया गया और खर्च किया गया व्यय	
	१९५८–५९	१९५९–६०
	रुपये	रुपये
मनोरंजन (आतिथ्य प्रभार)	३,८१८.५०	२,३२१.५३
दौरे	२५,८५९.२०	२०,२१९.६८

†मूल अंग्रेजी में

[१] Entertainment expenditure on conducted tours.

इन्दौर की कपड़ा मिलें

९५१. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले जनवरी के महीने में इन्दौर की सूती कपड़े की मिलों को कोयले की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप बीस हजार मजदूर संकट में आ गये ;

(ख) क्या सरकार ने कोयले की इस कमी के कारणों का पता लगाया है कि क्या यह कमी माल डिब्बों के न मिलने के कारण हुई थी या कोयले के उत्पादन में कमी होने से हुई थी ; और

(ग) क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी ताकि ऐसे संकट की आशंका अधिक से अधिक दूर हो जाये और मज़दूरों एवं उद्योगों में सुरक्षा की भावना आ जाये ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कोयले की कुछ कमी होने पर भी इन्दौर की सूती कपड़े की मिलों में जनवरी, १९६१ में काम बन्द होने का कोई समाचार नहीं मिला है ।

(ख) ऊपर (क) में जिस कमी का उल्लेख किया गया है उसके बारे में बताया जाता है कि वह अधिकतर माल डिब्बों की कमी के कारण हुयी थी ।

(ग) जी, हां ।

विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों में लोक-सभा के सदस्यों का चुनाव

९५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ से ३१ जनवरी, १९६१ तक प्रतिनिधिमंडलों में लोक सभा के कितने सदस्य विदेश भेजे गये ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि कुछ ही सदस्यों को अनेक बार भेजा गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके चुने जाने का आधार क्या है ; और

(घ) चुनाव के मामले में किन व्यक्तियों से परामर्श लिया गया था ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : **(क) से (ग)**. सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

अखबारों में सरकारी विज्ञापन

९५३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विज्ञापन किस आधार पर अखबारों को दिये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि विज्ञापनों के वितरण में पक्षपात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनके द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए कितना प्रचार हो सकेगा । यह निर्णय करने के लिए कि इस काम के लिए कौन से समाचार-पत्र ठीक रहेंगे इन

बातों को ध्यान में रखा जाता है कि समाचार-पत्र का सर्कुलेशन क्या है, क्या वह नियमित रूप से छपता है, उसे किस प्रकार के लोग पढ़ते हैं, वह पत्रकारिता के माने हुए नियमों का पालन करता है, उसका टेक्निकल स्तर क्या है और जहां प्रचार करना हो उस जगह की क्षेत्रीय भाषा का भी ख्याल रखा जाता है। सरकार उन समाचार पत्रों को मंजूर नहीं करती जो सदा ही साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काएं और उन अखबारों को भी जो 'येलो' पत्रकारिता में निरत रहें।

(ख) और (ग). समाचार-पत्रों की ओर से सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। कुछ संसद सदस्य और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रकार की आलोचना करते रहते हैं। यह आरोप निराधार होते हैं। सरकारी विज्ञापन कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर दिए जाते हैं और इस बात की कोशिश सदा जारी रहती है कि जहां तक हो सके समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन न्यायपूर्ण रूप से दिए जाएं।

चतुर्थ श्रेणी के छंटनी किये गये कर्मचारी

९५४. श्री बाल्मीकी : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९६१ तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी छंटनी किये गये ; और

(ख) वैकल्पिक रोजगार ढूंढ़ने के लिए उन्हें संबंधित विभागों ने क्या सहायता दी ?

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) तृतीय श्रेणी छंटनी किये गये कुल १५६० कर्मचारियों में से १०७।

चतुर्थ श्रेणी छंटनी किये गये कुल ५२९ कर्मचारियों में से ५८।

(ख) डायरैक्टोरेट जनरल इम्पलायमेंट एन्ड ट्रेनिंग के स्पेशल सैल को फालतू कर्मचारियों के बारे में पूर्ण विवरण प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलाने के लिये भेजे गये थे। उपरोक्त अनुसूचित वर्ग के छंटनी किये गये कर्मचारियों में से ११९ कर्मचारी उस डायरैक्टोरेट द्वारा काम पर लगा दिये गये हैं और बाकी ४६ कर्मचारी संभवतः अपने प्रयत्नों से काम पर लग चुके हैं क्योंकि उन्होंने इस मंत्रालय से उस बारे में कोई सहायता नहीं मांगी।

पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी

९५५. श्री बाल्मीकी : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के कितने शरणार्थी ऐसे थे जिन्हें ३१ जनवरी, १९६१ तक नहीं बसाया गया था ; और

(ख) उनको बसाने में शीघ्रता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास का काम लगभग समाप्त हो चुका है ;

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों से सम्बन्धित उड़ीसा और त्रिपुरा के पुनर्वास विभाग बन्द किये जा चुके हैं और यह भी निर्णय हो चुका है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक आसाम और बिहार के पुनर्वास विभाग भी बन्द कर दिये जायेंगे।

पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास सम्बन्धी शेष कार्य का निर्धारण किया जा रहा है और इस विषय में संभवतः आगामी तीन चार महीनों में निर्णय किया जायगा ।

ट्रैक्टरों की खरीद

†९५६. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों की खरीद के लिये भारत, रूस और अमरीका की सरकारों में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समझौता क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) .ट्रैक्टरों की खरीद के लिये रूस अथवा अमरीका से किसी विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । तथापि, चालू भारत-रूस व्यापार और भुगतान करार की अनुसूची 'क' के अनुसार ट्रैक्टर भी रूस से आयात की एक वस्तु है । इनका देश की मूल्यांकित आवश्यकता के अनुसार आयात किया जाता है ।

पश्चिमी बंगाल में सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि

†९५७. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल में प्रमुख रूप से खाने के तेल में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल के मूल्यों से असाधारण वृद्धि की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या उन का ध्यान पश्चिमी बंगाल के तेल मिल संघ के सचिव द्वारा कलकत्ता में समाचार-पत्रों में इस सार्वजनिक शिकायत की ओर भी आकृष्ट किया गया है कि भारतीय उत्पाद संघ इस में सट्टेबाजी कर रहा है जो उपलब्ध सरसों का संभरण रोक देते हैं जोकि पश्चिमी बंगाल सरकार मुख्यतः राज्य के बाहर से प्राप्त करती है ; और

(ग) इन कार्यवाहियों पर नियंत्रण करने के लिये सरकार यदि कोई कार्यवाही करेगी तो वह क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) मूल्यों में वृद्धि हुई है परन्तु वह वृद्धि असामान्य रूप से नहीं हुई है ।

(ख) सरकार ने भारतीय उत्पादन संघ, कलकत्ता की सट्टेबाजी की गतिविधियों के बारे में पश्चिमी बंगाल के सरसों के तेल निकालने वालों के संघ के अध्यक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों को समाचार-पत्रों में पढ़ा है । बाद में उन्हों ने इन आरोपों से जो तैयार बाजार के बारे में है और वायदा बाजार के बारे में नहीं है, प्रेस सम्मेलन में इन्कार किया है ।

(ग) इस समय कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी

†९५८. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के ज्ञापन संख्या एफ़ ८(१)-एस्टे. (स्पेशल)/६० दिनांक १२ अगस्त, १९६० को देखते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियमित रूप से कर्मचारियों की औद्योगिक श्रेणियां हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों की कितनी श्रेणियां हैं और प्रत्येक श्रेणियों कितने कर्मचारी नियोजित हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) निर्देशित ज्ञापन औद्योगिक और गैर-औद्योगिक श्रेणियों में नियमित रूप से कर्मचारियों के वर्गीकरण के बारे में नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा बिजली के हीटरों की खरीद

†१५९. **श्री तंगा मणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने नार्थ और साउथ एवन्यू में रहने वाले संसद्-सदस्यों के इस्तेमाल के लिये कुछ बिजली के हीटर खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बिजली के हीटरों के लिये २००० वाट प्रति हीटर के हिसाब से भुगतान किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस भुगतान पर खरीदे गये बिजली के हीटर १५०० वाट प्रति हीटर के थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) भुगतान २००० वाट वाले १६ और १००० वाट वाले ७ हीटरों के लिय किया गया।

(ग) केवल एक हीटर २००० वाट के बजाये १५०० वाट का पाया गया । दोनों में मूल्य का अन्तर केवल ४ रुपये बताया गया है । मामले की जांच हो रही है ।

अधिकृत प्रेस संवाद-दाता

†१६०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सदर मुकाम में अधिकृत प्रेस संवाददाताओं के नाम और पते क्या हैं और जिन समाचार-पत्रों के वे प्रतिनिधि हैं, उन के क्या नाम हैं ; और

(ख) प्रैस-संवाददाता को मान्यता देने के क्या नियम हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--२७०३/६१]**

(ख) समाचार-पत्रों अथवा प्रेस एजेन्सियों का प्रतिनिधान करने वाले संवाददाताओं को मान्यता देने के नियमों और नियमों के लागू करने के बारे में रूढ़ियों सम्बन्धी नियमों की एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २७०३/६०]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रेस सम्वाददाता

†९६१. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री अ० मु० तारीक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : .

(क) २१ जनवरी, १९६१ को राष्ट्रपति भवन में महामहिम साम्राज्ञी से मिलने के लि आमंत्रित किये गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं और वे किन पत्रों के प्रतिनिधि थे ;

(ख) उन में से कितने भारत सरकार के सदर मुकाम में अधिकृत प्रैस संवाददाता थे; और

(ग) प्रैस सम्वाददाताओं को आमंत्रित करने के लिये अपनाई गई नीति अथवा तरीका क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : (क) एक सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट, २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ख) ६४ ।

(ग) आमंत्रितों की सूची एक विशेष समिति द्वारा तैयार की गई थी क्योंकि इस संख्या को ब्रिटिश अधिकारियों की प्रार्थना पर सीमित रखना था, यह तै किया गया कि साम्राज्ञी के दौरे के लिये विशेष रूप से नियुक्त सम्वाददाताओं के अतिरिक्त केवल बड़े महत्वपूर्ण समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों और कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझे जाने वाले व्यक्तिगत पत्रकारों को ही आमंत्रित किया जाय ।

राजस्थान में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†९६२. **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री ओंकार लाल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में राजस्थान में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) अब तक कितनी योजनायें कार्यान्वित की गई हैं और उन्हें किन स्थानों पर सम्पादित किया गया ; और

(ग) उन में से प्रत्येक पर कितना धन खर्च किया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में राजस्थान सरकार को गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अधीन निम्नलिखित आवंटन किया गया। इस में राज्यों की सहायता का अंश भी शामिल है :

वर्ष	आवंटन
(१) १९५६–५७ .	इस वर्ष किसी भी राज्य सरकार को कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया।
(२) १९५७–५८ .	३.३३ लाख रुपये
(३) १९५८–५९ . . .	२·८० लाख रुपये
(४) १९५९–६० .	५·०० लाख रुपये
(५) १९६०–६१ . .	११·१८ लाख रुपये
कुल .	२२·३१ लाख रुपये

(ख) और (ग). राजस्थान राज्य में कार्यान्विति के लिये अभी तक निम्नलिखित चार परियोजनाओं को मंजूर/अनुमोदित किया गया है :

(लाख रुपय में)

परियोजना	अनुमोदित लागत	किया गया व्यय*
(१) राजकमल-का-तालाब, जयपुर .	२·६४	शून्य
(२) जय मार्ग, अलवर .	२·६४	शून्य
(३) उदयपुर .	८·२५	२·७३
(४) अमृतपुरी, जयपुर . . .	२·८०	शून्य
कुल . . .	१६·३३	२·७३

*राज्य सरकार से प्राप्त उन के पत्र संख्या एफ०१०(१०) योजना/६१ दिनांक २२-२-६१ की जानकारी के आधार पर।

पंजाब में अम्बर चरखा

***९६४. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक (वर्षवार) पंजाब राज्य में अम्बर चरखा के प्रचार के लिय कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) अब तक कितने धागे का उत्पादन किया गया ; और

(ग) अब तक कितने केन्द्र खोले गय हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**.

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा की पटल पर रख दी जावेगी ।

(ग) २१८ उत्पादन केन्द्र और ४३४ विक्रय केन्द्र ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के हिन्दी में प्रकाशन

९६५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने स्थानीय उत्पादकता परिषदों को जो सुझाव दिया था उस के अनुसार अब तक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कितने प्रकाशनों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है ; और

(ख) क्या यह अनुवाद कार्य उत्पादकता परिषदें अलग-अलग करेंगी अथवा इसे किसी केन्द्रीय एजेन्सी को सौंपा जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) स्थानीय उत्पादकता परिषदों ने कुछ प्रकाशनों के अनुवाद हिन्दी तथा दूसरी स्थानीय भाषाओं में निकालना शुरू कर दिया है । अब तक किय गये अनुवादों में से एक हिन्दी में, एक बंगला में, एक तामिल में तथा दो गुजराती में हैं ।

(ख) अनुवाद कराने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का विचार किसी केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना करने का नहीं है । स्थानीय उत्पादकता परिषदें इस काम को कर रही हैं ।

मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी टाइपिस्ट

९६६. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में इस समय कितने हिन्दी टाइपिस्ट काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि संख्या शून्य है, तो हिन्दी के प्रलेख आदि टाइप करने की क्या व्यवस्था है ; और

(ग) पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइपिस्ट नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) यह काम हिन्दी टाइप जानने वाले कर्मचारियों से लिया जाता है ।

(ग) गृह मंत्रालय से निवेदन किया गया है कि एक हिन्दी टाइप जानने वाले हिन्दी असिस्टेंट की नियुक्ति की जाये ।

पत्रों के हिन्दी में उत्तर

९६७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन शाखा में १९६० की पहली छमाही में हिन्दी में प्राप्त हुए २४६८ पत्रों में से केवल ३८ पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने और शेष सभी पत्रों के उतर अंग्रेजी में देने के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भविष्य में हिन्दी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के लिये प्रकाशन शाखा द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) भारत सरकार की प्रकाशन शाखा, दिल्ली में सन् १९६० के पहले छह महीनों में हिन्दी में आये २४६८ पत्रों में से केवल ३८ का हिन्दी में और शेष का अंग्रेजी में उत्तर भेजे जाने का मुख्य कारण यह था कि सम्बन्धित कर्मचारी-वर्ग को हिन्दी में कार्यालय सम्बन्धी पत्र-व्यवहार करने का कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं मिला था ।

(ख) हिन्दी में उत्तर भेजने की सुविधा की दृष्टि से कुछ नमूने के प्रारूप (मसौदे) बना लिये गये हैं तथा कुछ और अभी बनाये जा रहे हैं ।

टायरों का तस्कर व्यापार

†१९६८. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई महीनों में समूचे आसाम में सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों के टायरों की बहुत कमी हो गई है और फलस्वरूप तस्कर व्यापार हो गया है और मूल्य बढ़ गये हैं ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं और समस्या सुलझाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जी, नहीं । तथापि, आसाम में कुछ क्षेत्रों में केवल ट्रकों के टायरों की कमी के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी तब से उन क्षेत्रों में मोटर गाड़ियों के मालिकों को देने के लिये राज्य व्यापार निगम ने २००० सेट बड़े टायर उन को भेज दिये हैं ।

नागाओं द्वारा मारे गये सर्किल अफसर के आश्रितों की क्षतिपूर्ति

†१९६९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री चालिहा के आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वर्गीय श्री चालिहा की विधवा पत्नी को जीवन-पर्यन्त पेन्शन देने के बारे में विचार करेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) और (ख). आसाम के राज्यपाल ने श्री चालिहा के आश्रितों को तत्काल सहायता के तौर पर १५०० रुपये मंजूर किये हैं। इस कार्य के लिये नागालैंड के आयुक्त ने १५०० रुपये और मंजूर किये हैं । नियमों के अधीन ग्राह्य अन्य सुविधायें देने के प्रश्न पर स्थानीय अधिकारी फौरन ध्यान दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी महानुभावों के स्वागत सम्बन्धी नियम

†६७०. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी महानुभावों के सम्मान में आयोजित किये जाने वाले स्वागत-समारोहों के बारे में कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अवसरों पर शराब परोसना निषिद्ध है ;

(ग) क्या यह प्रतिबन्ध विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर भी लागू होता है;

(घ) क्या सरकार ने कतिपय विदेशी महानुभावों को इस नियम का अपवाद बनाने का निश्चय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) विदेशी महानुभावों के स्वागत-समारोहों के लिये कोई खास नियम नहीं बनाय गये हैं ।

(ख) जी हां, सभी औपचारिक उत्सवों के अवसर पर ।

(ग) जी नहीं, लेकिन उन्हें यह आदेश दिया गया है कि गणराज्य दिवस के उत्सव पर शराब न पिलाई जाय ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में खादी का उत्पादन

६७१. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में १९६०-६१ के वर्ष में खादी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम रहा ;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) वर्ष १९६१-६२ के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी नहीं, नवम्बर, १९६० तक ७·५ लाख वर्ग गज खादी तैयार की गई है, जबकि उस के उत्पादन करने का निर्धारित लक्ष्य १० लाख वर्ग गज़ था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) १९६१-६२ के लिये अब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

मध्य प्रदेश में विकास कार्य

†६७२. **श्री रा० च० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक मध्य प्रदेश को विभिन्न विकास कार्यों के लिये कितनी सहायता दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कितनी वित्तीय सहायता व्यय की गई है और उस का ब्यौरा क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

दिल्ली में स्वदेशी वस्तु भण्डार

९७३. **श्री रा० च० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक ऐसा भण्डार खोलने की कोई योजना है जहां सभी विदेशी वस्तुयें उपलब्ध होंगी; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्ताव

उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रख्याति अध्यादेश

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री चिंतामणि पाणिग्रही तथा श्री स० मो० बनर्जी की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है । जिस में कहा गया है कि उड़ीसा राज्य की विधान सभा की अनुपस्थिति में संसद् को चर्चा न करने का अवसर दिये बिना ही वहां के राज्यपाल ने १९६०-६१ के अनुपूरक अनुदानों को स्वीकार करते हुए जो अध्यादेश लागू किया है उस पर शीघ्र ही यहां वाद-विवाद करने की आवश्यकता है । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश कब लागू किया गया था ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी)**: राष्ट्रपति का शासन २५ फरवरी को लागू किया गया था और अध्यादेश २४ फरवरी १९६१ को लागू किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक एक दिन पहले । क्या उस समय विधान सभा की बैठक हो रही थी ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** जी नहीं । विधान सभा की बैठक नहीं हो रही थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या राष्ट्रपति की घोषणा करने से पूर्व राज्यपाल ऐसा अध्यादेश लागू कर सकते हैं ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** घोषणा में यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के अधिकार एवं उस की सत्ता का उपयोग संसद् अथवा उस के द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी करेगा । राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद २१३ में दिया गया है । ऐसी स्थिति में जबकि राष्ट्रपति का शासन लागू होने वाला था और वहां के विधान मंडलों की कोई बैठक नहीं हो रही थी राज्यपाल ने राष्ट्रपति से यह सिफारिश की कि वहां कोई दूसरी सरकार बनाने की संभावना नहीं है । तो क्या संसद् कोई बिना सूचना अथवा इस बात का मौका दिये कि वह यह देख सके कि बजट में क्या क्या था, राज्यपाल ने १९६०-६१ की अनुपूरक मांगों के बजट को

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वीकार कर वैधानिक अथवा नियमित कार्य नहीं किया है । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री की ओर से राज्यपाल को कोई आदेश दिये गये थे कि वह अध्यादेश लागू कर के बजट को स्वीकार करे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब विधान सभा की बैठक नहीं हो रही थी तो क्या राज्यपाल आध्यादेश जारी नहीं कर सकते ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** जी नहीं । बजट पारित करने का उन्हें अधिकार नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो चुका है कि केन्द्र ने इसका विरोध किया था ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) :** माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ तथ्य है । वहां के राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव और विधि मंत्रालय के परामर्श से यह कार्यवाही की थी क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया कि प्रशासन के खर्च के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही करना आवश्यक है । जब यह अध्यादेश हमारी निगाह में आया तब गृह मंत्रालय के सचिव ने प्रधान मंत्री से परामर्श किया और मामला विधि मंत्रालय को सौंप दिया । विधि मंत्रालय की राय है कि यह अध्यादेश संविधान के अन्तर्गत वैध नहीं है । राज्यपाल को हमने तत्काल इस बात की सूचना दे दी । तब से इस अध्यादेश के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या रुपया ले लिया गया है ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : जी नहीं । हम बहुत शीघ्र ही अनुपूरक मांगें यहां सभा में प्रस्तुत करने वाले हैं और यह संसद का काम है कि वह उनके लिये अनुमति दे । और तभी विधि एवं संविधान के अनुसार उनके द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । सन् १९५४ में जब केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिये और विशेष रूप से धन के वितरण पर नियंत्रण रखने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी । लेकिन मुझे डर है कि सरकार इस बारे में कोई ऐसी समिति बनाने नहीं जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे याद है कि केरल से आने वाले संसद सदस्यों की एक समिति यहां बनाई गई थी । जब राष्ट्रपति की घोषणा पर यहां विचार होगा हो सकता है उस समय सरकार इस प्रकार की कोई घोषणा करे ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : यह बड़ा ही गम्भीर मसला है । हम यह जानना चाहेंगे कि जब राज्यपाल को वैधानिक और कानूनी अधिकार ही नहीं था तो उन्होंने अध्यादेश जारी कर ही कैसे दिया ? हम चाहते हैं कि गृह कार्य मंत्री इस बारे में हमारे संदेहों का निवारण करें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह सभी जानते हैं कि कानून जानने वालों में मतभेद होता है और विधि जानने वालों की रायें अलग अलग होती हैं । राज्यपाल को जो वैधानिक राय दी गई थी वह एक बात थी और उन्होंने वैसा ही किया । राज्यपाल ने वहां उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कानूनी जानकारों से मशविरा किया था । क्योंकि कुछ न कुछ तो वहां करना ही था वर्ना सभी खर्चा अवैध रूप से होता । परन्तु हमने जो यहां कानूनी राय ली वह उससे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भिन्न निकली और हमने राज्यपाल को उसकी सूचना दे दी। यह स्वाभाविक है कि उन्होंने हमारे मशविरे का पालन किया है। ऐसी बातें कभी भी हो सकती हैं।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णागीरी) : क्या वह अध्यादेश समाप्त हो गया अथवा वापस ले लिया गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। माननीय गृह मंत्री ने जो कहा है उससे स्पष्ट है कि अध्यादेश अवैध है। संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार विनियोग विधेयक पारित किये जा सकते हैं। अतः जब विधान सभा को अनुदान दिये ही नहीं जाने वाले हैं तो धन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने के लिये प्रश्न नहीं उठता। जहां तक कि श्री महन्ती की राय का प्रश्न है। मैं कह सकता हूं कि राज्यपाल यह नहीं चाहते थे कि वहां किसी प्रकार की अनियमितता होती। माननीय सदस्य इससे यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि यह राज्यपाल अवैधानिक रूप से कार्य करना चाहते हैं। जो कि गलत है। मैं उन की राय को तो मानता हूं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मैं उनकी राय के अनुकूल ही कार्य करूं। अतः ऐसी स्थिति में मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचा ी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० २६९२/६१]

काफ़ी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष १९५७–५८ के लिए काफी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन खंण्ड (४— भारत सम्बन्धी काफी के आंकड़े)

(दो) वर्ष १९५८–५९ के लि काफी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड १ और २)।

(तीन) वर्ष १९५९–६० के लिये (काफी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० २६९३/६१, २६९४/६१ और २६९५/६१।]

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९७ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(दो) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९८ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(तीन) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(चार) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(पांच) दिनांक २१ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०४ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(छै) दिनांक २३ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४४ में प्रकाशित चावल (रेलवे बुकिंग पर रोक) संशोधन आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० २६९६/६१, २६९७/६१, २६९८/६१, २६९९/६१ २७००।६१, और २७०१/६१]।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना

पटसन के मूल्यों में वृद्धि

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण-पश्चिम) : श्रीमन्, नियम, १९७ के अधीन मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"जूट के भावों में वृद्धि होने के फलस्वरूप जूट का उत्पादन घट गया है और विदेशी बाजार हाथ से निकले जा रहे हैं।"

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : यह वक्तव्य लम्बा है। मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सरकारी कार्य के लिये समय का आवंटन करने के लिये २ मार्च, १९६१ को हुई थी। लेकिन उसने उपस्थिति के अभाव के कारण अपना औपचारिक प्रतिवेदन नहीं दिया। जब तक समिति इस बारे में विचार नहीं कर लेती तब तक हम काफी समय का आवंटन नहीं कर सकते। लेकिन सदस्य निम्न समय देने के लिये जागरूक मालूम पड़ते थे :

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यता दान) विधेयक, १९६१	२ घंटे
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६१	२ घंटे
प्रसूति लाभ विधेयक . . .	३ घंटे
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक, १९६१	१ घंटा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक	१ घंटा
दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक	३ घंटे
सामाण्य बजट पर सामान्य चर्चा . . .	२० घंटे
उड़ीसा राज्य के बारे में राष्ट्रपति की घोषणा को स्वीकृति देने का संकल्प	३ घंटे

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : राष्ट्रपति की घोषणा के लिये ३ के बजाय ५ घंटे रखे जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है मैं इसके लिये तैयार हूं।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : बैंकिंग समवाय के लिये २ के बजाय ४ घंटे रखे जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यकता हुई तो मैं इसके लिये तीन घंटे नियत कर दूंगा।

मैं समझता हूं कि समय के इस आवंटन से सभा सहमत है।

सरकारी कार्य को तत्काल समाप्त करने के लिये, सरकार ने सुझाव दिया है कि सभा की बैठक ६ मार्च से १५ मार्च, १९६१ तक एक घंटे अधिक और हो और सभा की बैठक ११ मार्च, १९६१ शनिवार को भी हो। मैं समझता हूं कि सभा इस सुझाव से सहमत है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं समझता हूं कि सभा की बैठक एक घंटे अधिक तो हो लेकिन शनिवार की छुट्टी रखी जाये। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सभा की बैठक एक घंटे अधिक हो इससे तो सभी सहमत हैं। लेकिन जहां तक शनिवार की बात है मैं कार्य मंत्रणा समिति से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बैठक बुलाये। यदि इस बार समिति के सदस्य अनुपस्थित रहे तो मैं समिति का पुनर्गठन कर दूंगा। **(अन्तर्बाधा)** मैं समझता हूं कि ये सुझाव मंजूर हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं ६ मार्च, १९६१ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज के कार्यक्रम से बचे हुए सरकारी कार्यक्रम की किसी भी मद पर विचार

(२) निम्नलिखित पर चर्चा एवं मतदान :—

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६०–६१
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१

(३) उड़ीसा राज्य के सभी कार्यों को अपने हाथ में लेने वाली राष्ट्रपति की घोषणा को संसद द्वारा अनुसमर्थन करने वाले संकल्प पर चर्चा

(४) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारत किया जाना :
बीमा (संशोधन) विधेयक, १९६१
रेलवे यानी भाड़ा (निरसन) विधेयक, १९६१

(५) ९ मार्च, १९६१ से वर्ष १९६१–६२ के लिये सामान्य आय व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

रेलवे आय व्ययक--सामान्य चर्चा--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में रेलवे आय व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी ।

†**श्री माने** (बम्बई नगर मध्य–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : निपानी एक वाणिज्यिक केन्द्र है और वहां जो व्यापार होता है वह इस प्रकार का है कि उससे देश को विदेशी विनिमय काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो सकता है । अतः निपानी तथा रायबाग के बीच रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अमृतसर से बम्बई तक जाने वाले फ्रंटियर मेल में जो डिब्बे लगते हैं उनके स्थान पर अच्छे किस्म के डिब्बे लगाये जाने चाहियें । रेलवे बोर्ड ने उनको बदलना स्वीकार कर लिया था लेकिन उसके सामने कुछ कठिनाइयां हैं । जिसके कारण वह अभी तक इन्हें बदल नहीं सका है ।

यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि अनुसूचित जातियों के लिये जितने पद सुरक्षित हैं उनसे कहीं अधिक संख्या में अर्जियां आने पर भी इन सभी पदों को भरा नहीं जाता । पदों को खाली रखने का कोई औचित्य नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे बोर्ड अथवा कुछ पदाधिकारी जान बूझ कर ऐसा कर रहे हैं । जब कि रेलवे मंत्री इस मामले में काफी जागरूक हैं कि रेलों में ऐसा कोई भेद-भाव न रखा जाये । ऐसा देखने में भी आया है कि कुछ अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को व्यर्थ में ही परेशान किया जाता है । उनके बार बार स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री माने]

अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में मंत्रालय ने जो हिदायतें निकाली हैं, रेलवे प्रशासन उन्हें लागू करने से जी चुराता है। ऐसे मामले हुए हैं जिनमें पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण के मामले में अनुसूचित जातियों के लोगों को परेशान किया जाता है। हड़तालियों के प्रति नर्मी का रुख अपनाने की हिदायतों के बावजूद निचले स्तरों पर के अधिकारीगण ऐसे कर्मचारियों के साथ, जिन पर हड़ताल में भाग लेने का आरोप है, अच्छा व्यवहार नहीं करते। तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। भर्ती पर लगाई गई रोक को हटाकर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले दो तीन साल से रेलवे बजट पर राज्य सभा में विस्तारपूर्वक चर्चा लोक सभा से पहले की जाती है। मेरा निवेदन है कि रेलवे का बजट सामान्य बजट का ही एक अंग है। और राज्य सभा में पेश किये जाने और उस सदन में चर्चा करने से पूर्व उस पर पहले यहां चर्चा करानी चाहिये थी। लोक-सभा को यही तो विशेषाधिकार प्राप्त है। आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी और इस प्रथा में परिवर्तन करेगी। पिछले पांच वर्षों में २०० करोड़ रुपयों की बचत दिखाई गई है, वह दिखावटी है क्योंकि अवक्षयण निधि के लिये अधिक कुछ भी धन अलग नहीं किया गया है। पहले दर्जे के किरायों की दरों में परिवर्तन किया जाना चाहिये क्योंकि इनसे लाभ नहीं हो रहा है। बजाये इसके कि यह आय का माध्यम बने, इससे आय घटी ही है। माननीय मंत्री महोदय ने तृतीय श्रेणी से आगामी आय-व्ययक में जो आय होने का अनुमान लगाया है वह बहुत ही आशावादी है। मुझे इस बात का डर है कि जो आय के आंकड़े उन्होंने बताये हैं उतनी आय नहीं होगी।

माल का यातायात अनुपात से कम इसलिये रह गया है क्योंकि अनुमान आवश्यकता से अधिक लगा लिया गया था। यह कहा नहीं जा सकता कि यह कमी हड़ताल के कारण रह गई है।

मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इस वर्ष यदि टनभार को ढोने में १६ करोड़ रुपये की कमी पड़ी है, तो उसका कारण रेलवेज़ की क्षमता को अधिक करके आंकना ही है। हमने माल-यातायात से होने वाली आय का प्राक्कलन अधिक किया था।

इस वर्ष मरम्मत पर होने वाला व्यय १०७ करोड़ रुपये और पिछले पांच वर्ष में ईंधन पर होने वाला व्यय १५० प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन पिछले पांच वर्ष में तनख्वाहों और मजूरी पर होने वाला व्यय कुल २२ प्रतिशत ही बढ़ा है। और मेरा ख्याल है कि कोयले का उपयोग मितव्ययता के साथ नहीं किया जाता।

विचित्र सी बात है कि दस साल तक रेलवेज़ का काम सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी, वह सामान्य राजस्व में केवल १/४ प्रतिशत ही अधिक अंशदान करने में समर्थ है। अब वह ४ प्रतिशत की बजाय ४$^{१}/_{४}$ प्रतिशत अंशदान करने को कहती है। जब कि अगले पांच वर्ष में वह १,२५५ करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन करेगी।

अब वह अवक्षयण निधि के लिये ६५ करोड़ रुपये रखने की बात कहती है। यह राशि अपर्याप्त है, क्योंकि पिछले कई वर्ष से अवक्षयण के लिये पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्री का प्रस्ताव है कि नयी रेलवे लाइनों पर तब तक लाभांश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि वे मुनाफ़ा नहीं कमाने लगतीं। उनको इस प्रकार से विमुक्त करना अनुचित है।

माननीय मंत्री का प्रस्ताव है कि विकास निधि की २९ करोड़ रुपये की राशि पूंजी खाते में डाल दी जायेगी। इससे मूल स्थिति में तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। विकास निधि के लाभ के लिय पूंजी खाते में कटौती हो जायेगी।

माननीय मंत्री ने रेलवे की सफलताओं का बड़ा बखान किया है। यानी यातायात १५ प्रतिशत के स्थान पर २५ प्रतिशत बढ़ गया है, और माल यातायात का लक्ष्य भी टन-मील के हिसाब से कहीं आगे बढ़ गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तकवह ३६,००० की जगह ५६,००० टन-मील हो गया है। लेकिन इसे रेलवेज़ की कार्यक्षमता की वृद्धि नहीं माना जा सकता।

माननीय मंत्री कहते हैं कि माल डिब्बों का उपयोग अधिक कार्यक्षम ढंग से किया जाने लगा है। लेकिन माल डिब्बों के उपयोग में जितनी कार्यक्षमता बढ़ी है, उतना ही माल-यातायात नहीं बढ़ा है। कारण यही है कि बहुत से माल डिब्ब खाली चलते हैं। हमें कोई एसा तरीका निकालना चाहिय कि माल-डिब्ब खाली न चलें। यदि हो सके तो लौटती बार माल-भाड़े में कुछ रियायत कर दी जाये। विद्युतीकरण कार्यक्रम भी बहुत पीछे पड़ गया है।

माननीय मंत्री ने तृतीय योजना के दौरान रेलवज़ के कार्य की बड़ी आशाप्रद तस्वीर खींची है। उनका कहना है कि अब टन-मील ५,४०,००० लाख टन से बढ़ कर ९,३०,००० लाख हो जायेगा। लेकिन उनका तर्क त्रुटिपूर्ण है। द्वितीय योजना के दौरान १,१२१ करोड़ रुपय की पूंजी खर्च करके टन-मील ३,६०,००० लाख से ५,४०,००० लाख ही हो पाये हैं। अर्थात् १,१२१ करोड़ रुपय के व्यय से १,८०,००० लाख टन-मील की वृद्धि की गई थी। अब तृतीय योजना में १,२५५ करोड़ रुपय खर्च करके ३,९०,००० लाख टन-मील की वृद्धि कैसे हो जायेगी? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिय।

योजना आयोग ने तृतीय योजना के लिये जो प्राक्कलन किये हैं वे भी त्रुटिपूर्ण हैं। तृतीय योजना की समाप्ति पर भी माल-यातायात क्षमता पहले की तरह कम ही रहेगी। द्वितीय योजना की सफलताओं को देख कर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

रेलवे प्रशासन को एक ग़लत फहमी यह है कि एक सीमित परिमाण में यातायात वहन करना ही रेलवेज़ का दायित्व है। रेलवेज़ सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है। उस पर जनता का इतना अधिक धन व्यय होता है। इसलिये देश के समूचे यातायात का वहन करना उसे अपना कर्तव्य समझना चाहिये।

बड़े दुःख की बात है कि रेलवे प्रशासन हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता। मैंने रेलवे मंत्री को भी लिखा था कि भुसावल रेलवे वर्कशाप के लगभग ४००–५०० मजदूरों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उनका कुसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया था। रेलवे मंत्री के आश्वासन के बाद भी उस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया है। इसी तरह दीवा-दासगांव लाइन की परियोजना को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि उसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाय।

कुल मिलाकर मुझे यही कहना है कि रेलवेज़ ने एक बहुत भारी काम हाथ में लिया था। उसने इतने भारी काम को कोई बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी सफलता के साथ अंजाम नहीं दिया। पर हां, यह भी है कि उसमें वह बड़ी बुरी तरह असफल भी नहीं हुई। मुझे इतना ही कहना है कि रेलवेज़ को बड़ी सावधानी और सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिये।

†**श्री मि० सू० मूर्ति** (गोलगोंडा): मैं रेलवे मंत्रालय को द्वितीय योजना काल में संतोषजनक प्रगति करने के लिये वधाई देता हूं ।

रेलवेज़ का देशीय उत्पादन बढ़ा है और उसके कारण आयातों में कमी हुई है और उसके फल-स्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत हुई है । अब हम इंजिन तथा डिब्बों का निर्यात तक करने में समर्थ हैं ।

शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण के लिये भी अच्छा प्रबन्ध किया गया है।

कोयले के यातायात के अतिरिक्त, अन्य सभी क्षेत्रों में रेलवेज़ की प्रगति संतोषजनक रही है । कोयले के मामले में कुछ दायित्व ईंधन तथा खान मंत्रालय का भी है ।

लेकिन सब से अधिक चिन्ताजनक बात है रेलवे दुर्घटनाओं की । रेलों की टक्करों की दुर्घटनायें तो पहले से कम हुई, पर पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है । उससे इंजग तथा डिल्बों और पटरीयों को बडी हानि पहुंचती है । लगभग १९,००० दुर्घटनाओं में से ११,००० तो स्टेशनों पर ही हुई हैं । मंत्रालय को रेलवे कर्मचारियों की इस लापरवाही को रोकने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये ।

कल श्री रामकृष्ण रेड्डी ने आन्ध्र को एक अलग रेलवे ज़ोन में रखने की बात उठाई थी । हम दक्षिण रेलवे ज़ोन को विभाजित करने के लिये, आन्ध्र का एक अलग जोन बनाने के लिये कहते हैं—इसका कारण यही है कि वह काफी विशाल है, बड़ा लम्बा-चौड़ा, और इसलिये न तो उसका प्रशासन ठीक ढंग से हो पाता है और न उससे कोई मुनाफा हो पाता है। दक्षिण रेलवे जोन इसीलिये घाटे में चल रहा है । उसमें भी चार-पांच राज्य शामिल हैं । उसे और अधिक सुगठित और कार्यक्षम बनाने के लिये जरूरी है कि दो भागों में विभाजित कर दिया जाये ।

आन्ध्र सरकार ने शायद सुझाव दिया है कि उत्तर में बालहर्षा, और पश्चिम में वाडी और मनमाड, दक्षिण में बंगलौर और मद्रास और पूर्व में वाल्टेयर तक एक सुगठित जोन बनाया जाये । मैंने पिछले वर्ष भी इसका उल्लेख किया था । इसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये ।

आन्ध प्रदेश की इतनी उपेक्षा की जारही है कि वहां एक इंच भी नयी लाईन नहीं डाली गई है । इस तरह आन्ध का विकास कैसे होगा ? भारत भर में ३५,२१२ मील लम्बी रेलवे लाइन हैं और दक्षिण भारत के हिस्से में केवल ७,२५० मील की लाइनें ही पडी हैं । केवल २० प्रतिशत ! रेलवे मंत्रायल को दक्षिण भारत में कम से कम बडे-बडे निक्षेपों के क्षेत्रों को तो रेलवे लाइनों द्वारा संयोजित कर देना चाहिये ।

मैंगनीज़ अयस्क, लौह अयस्क, अबरख और चूना-पत्थर के निक्षेपों का पूरा-पूरा उपयोग तभी किया जा सकेगा, जब वाल्टेयर से कोठागुदियम-सिंगरेनी और भद्राचलम् होती हुई एक लाइन हैदराबाद तक बनाई जाये ।

यात्री लोग आजकल रेलों को छोड़ कर सड़क-परिवहन की ओर इसलिये झुक रहे हैं कि रेल-गड़ियां न तो पर्याप्त संख्या में चलती हैं और न उनका समय ही ठीक रहता है ।

मद्रास से कलकत्ता तक केवल दो गाड़ियां चलती हैं । हावड़ा से हैदराबाद तक केवल एक मेल ट्रेन और दो पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं । यही हाल अन्य क्षत्रों का है । और इतना ही नहीं, ट्रेन चलने का समय वाल्टेयर पर आधी रात को होता है । मंत्रालय को इन पर विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनता बहुत दिनों से मांग कर रही है कि मेल्लामान्चिली पर मेल ट्रेन को रुकना चाहिये। इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

पीने के पानी की यात्री-सुविधा भी सभी स्टेशनों पर सुलभ नहीं है। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालयों की भी बड़ी आवश्यकता है। कम से कम इतना तो मंत्रालय को करना ही चाहिये।

रेलवे मंत्रालय ने रेलवे फाटकों—रेलवे समपार—के बारे में जो नीति, खास तौर से पंचायती राज शुरू होने के बाद से, अपनायी है, उससे जनता को बड़ी असुविधा हो गई है। अब जब तक नये रेलवे फाटक के निर्माण की स्वीकृति रेलवे से नहीं मिलती, तब तक रेलवे लाइनों को काटती हुई नई सड़कें नहीं बनाई जा सकतीं। कहा यह जाता है कि पहले जिला बोर्ड रेलवे फाटकों के निर्माण और संधारण व्यय का एक अंश बहन करते थे, इसलिये अब पंचायत समितियों को उसमें अंशदान करना चाहिये। यह अनुचित है। इससे सड़कों के विकास में बाधा पड़ेगी। इसलिये मन्त्रालय को अपनी नीति बदलनी चाहिये।

प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, रेलवेज़ ने १९४७ से पहले सेवा निवृत्त होने वाले रेलवेज कर्मचारियों को पेंशनें दे दी थीं। लेकिन १९४७ के बाद और १९५७ से पहले के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वह सुविधा नहीं मिली है। उनकी संख्या बहुत थोड़ी है और उसमें ५–६ लाख से अधिक रुपये खर्च नहीं होंगे। इसलिये उनको भी यह सुविधा दी जानी चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम (रेलवे मंत्री)** : क्या वे अपनी भविष्य निधि में रेलवे द्वारा किया हुआ अंशदान लौटाने को तैयार हैं ?

†**श्री मि० सू० मूर्ति** : जी हां, वे लौटाने के लिये तैयार थे। बोनस तो रेलवेज अपनी निधियों में से देती है। भविष्य निधि कर्मचारियों के वेतनों में से काटा जाता है।

†**श्री जगजीवन राम**: माननीय सदस्य को सही स्थिति मालूम नहीं है। भविष्य निधि में कर्मचारी जितना अंशदान करता है, उतना ही अंशदान रेलवेज करती है। सेवा-निवृत्त होने पर, कर्मचारी को दोनों अंशदानों से मिल कर बनी राशि दी जाती है। यदि कर्मचारी का अंशदान ५,००० रुपये का हो, तो उसमें ५,००० रुपये रेलवेज देगी, और सेवा-निवृत्त होने पर उसे १०,००० रुपये भविष्य निधि के रूप में मिल जायेंगे। और, बोनस इससे अलग होता है। इसीलिये मैंने पूछा है कि क्या १९४७ से १९५७ के काल में सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी उनकी भविष्य निधि में रेलवेज़ द्वारा किया गया अंशदान लौटाने को तैयार हैं ?

यदि माननीय सदस्य ऐसे सभी कर्मचारियों की सूची तैयार कर लें, और उनकी सहमति ले लें, रेलवेज का अंशदान लौटाने के लिये, तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं।

†**श्री मि० सू० मूर्ति** : सारा अंशदान लौटाना तो असम्भव होगा।

†**श्री जगजीवन राम** : तब उनको पेंशन देना भी असम्भव होगा।

†**श्री मि० सू० मूर्ति** : रेलवेज उनकी पेंशनों से कटौती कर सकती है। उनकी पेंशनों का हिसाब उसी आधार पर तैयार किया जाये ; उसमें ज्यादा खर्च नहीं पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय इस पर विचार करे।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुरा-रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं रेलवे मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने शेष भारत के साथ त्रिपुरा का रेल सम्बन्ध जोड़ दिया है। त्रिपुरा अभी तक शेष

---

†मूल अंग्रजी में

भारत से अलग कटा हुआ सा रहता था । इससे त्रिपुरा की जनता की एक बड़ी आवश्यकता पूरी हो गई है । इस नयी लाइन के लिये धर्म नगर के जिन लोगों की जमीनें ली गई थीं, उनको उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिये ।

रेलवेज ने द्वितीय योजना काल में बड़ी प्रगति की है । इसके लिये रेलवे मन्त्री और सभी रेलवे कर्मचारी बधाई के पात्र हैं ।

भारत के विभिन्न प्रदेशों का विकास बड़े असमान ढंग से हुआ है । इसलिये हमारे योजनीकरण का सर्वप्रथम उद्देश्य यही होना चाहिये कि प्रादेशिक असमानतायें दूर हों ।

त्रिपुरा और मनीपुर भी पिछड़े हुए प्रदेश हैं । इसलिये वहां रेल-संचार की आवश्यकता अविलम्बनीय है । आसाम से मनीपुर तक एक नयी लाइन बिछायी जानी चाहिये ।

त्रिपुरा की जनता की विकास सम्बन्धी आवश्यकतायें तभी पूरी होंगी जब वहां उद्योग खड़े किये जायें, क्योंकि उस क्षेत्र की भूमि इस योग्य नहीं है कि जनता की रोजी जुटा सके । और उद्योगों के विकास के लिये, परिवहन के सस्ते साधन अत्यावश्यक हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि त्रिपुरा में धर्मनगर से सब्रूम तक एक आन्तरिक रेलवे लाइन बनाई जाये, जो सभी सब-डिवीजनल नगरों से होकर गुज़रे ।

रेलवेज ने प्रगति तो काफी की है, पर उसमें आत्मतुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिये ।

रेलवेज़ को सामान्य राजस्व में और अधिक अंशदान करने योग्य होना चाहिये ।

विद्यार्थियों को रेलवे यात्रा सम्बन्धी जो रियायतें दी जाती हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं । २५ वर्ष से ऊपर की अवस्था के विद्यार्थियों को रियायत नहीं मिलती । तूफान एक्सप्रेस की यात्रा के लिये भी ऐसी सुविधा नहीं है । देश की जनता की आर्थिक हालत देखते हुए इन सुविधाओं को अधिक उदार बनाया जाना चाहिये ।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को और अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जानी चाहियें ।

हर आदमी कहता है कि रेलवेज में भ्रष्टाचार का जोर है । इस बेईमानी की जड़ रेलवे कर्मचारियों की आर्थिक तंगी है । फिर भी मैं उनकी बेइमानी को उचित नहीं ठहराता । रेलवे को इस पर विचार करना चाहिये ।

मेरा अनुरोध है कि माननीय रेलवे मन्त्री त्रिपुरा और मनीपुर का दौरा अवश्य करें । वह बार-बार अपना दौरा स्थगित कर देते हैं । इससे जनता को बड़ी निराशा होती है ।

†**ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर** (अमृतसर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे यह मानने में, जैसा कि और माननीय मेम्बर साहिबान ने कहा है, कोई संकोच नहीं है कि रेलवे ने इन दिनों काफी तरक्की की है, और काफी सुधार रेलवे में हुआ है इसमें कोई शक नहीं है । रेलवे मन्त्री, उपमंत्रियों ने इस सुधार में दिलचस्पी ली है और हमारी खुशकिस्मती है कि मन्त्री और इस वक्त हमारे जो टापमोस्ट आफिसर्स हैं सब ने मिल कर कोशिश की है सुधार करने की, और इस सुधार को देख कर एक मुसाफिर को यकीन होता है कि हमारी मंजिल.....

उपाध्यक्ष महोदय : मुसाफिर को सब्र करते या मुसाफिर को कहते ?

†**ज्ञानी गु० सिं०मुसाफिर** : मुझे एक बड़ा मौजूं शेर याद आ गया है जो कि मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं । वह शेर इस तरह है :

जज्बये ज़ोके तलब तेरी नवाज़िश की कसम ।
अब नहीं महसूस होती दूर ये मंज़िल मुझे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो यह सुधार हुआ है इसी वजह से मुझे कहने की जुरत होती है क्योंकि मैं यकीन रखता हूं कि इस वक्त एक मौजूं समय है जबकि जो कमी है वह पूरी हो सकती है । अच्छे लोगों से ही ज्यादा तवक्को हो सकती है कि वे इन कमियों को पूरा करेंगे ।

रेलवे का अच्छा इम्प्रैशन अवाम में जब तक न जाए, यानी अवाम इसे महसूस न करने लगे, उस वक्त तक काम पूरे तौर पर नहीं बनता है । अवाम से मेरा मतलब थर्ड क्लास के मुसाफिरों से है, जिनसे कि रेलवे को ज्यादातर आमदनी होती है । इसलिये थर्ड क्लास के मुसाफिरों को जितनी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं दी जाएं । कुछ फैसिलिटीज़ दी गयी हैं । कुछ अच्छे डब्बे भी बनाये गये हैं उनमें कहीं कहीं पंखों का भी इन्तिजाम है, मगर ये इतनी कम तादाद में हैं कि इनसे ज्यादा थर्ड क्लास के जो मुसाफिर हैं वह फायदा नहीं उठा सकते । इसलिये अच्छे डब्बों की तादाद ज्यादा बढ़ानी चाहिये ।

जहां तक भीड़ का सवाल है, मैं देखता हूं कि थर्ड क्लास के मुसाफिरों के लिये उसी तरह की मुसीबतें कायम हैं । यानी कई दफा स्टेशनों पर इतनी भीड़ हो जाती है कि हर एक को जगह नहीं मिलती । उन को फिर दूसरी गाड़ी का इन्तिजार करना पड़ता है । खास तौर पर जहां हमारी सरकार ने कुछ इंडस्ट्री के और देश के डेवेलपमेंट के काम किये हैं वहां तो इसक इंतजाम बहुत जल्द होना चाहिये । जहां जहां हमारे बड़े बड़े कारखाने लगे हैं वहां के जो स्टेशन हैं उन पर ऐसा इन्तिजाम जरूर होना चाहिये । मुझे एक मिसाल याद है कि मैंने रूरकेला स्टेशन पर देखा कि जो थर्ड क्लास के पैसिंजर थे, आम मजदूर लोग, उनकी इतनी बुरी हालत थी कि कइयों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह के यहां पड़े गाड़ी आती है और भर जाती है और हम प्लेटफार्म पर मिट्टी में पड़े रह जाते हैं और हमें जगह नहीं मिलती । तो इन स्टेशनों की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिये और इसमें जो हमारे यूनियन हैं उनकी इमदाद लेनी चाहिये । यह खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त जो बहुत से रेलवे के यूनियन हैं वे रेलवे डिपार्टमेंट से तआव्वुन कर रहे हैं । खास तौर पर मुझे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का पता है कि जब पिछले दिनों स्ट्राइक का मामला था तो उस वक्त इस यूनियन ने बड़ी मेहनत से कोशिश की कि यहां स्ट्राइक न हो । उन के मेम्बरान से मेरी थोड़ी बहुत वाकफियत है उन दिनों जो मैं उन के ओहिदेदारों से मिला तो मैंने देखा कि वह इस सरगरमी में थे कि रेलवे के काम में कोई हर्ज न हो और रेलवे के लोग हड़ताल में कोई हिस्सा न लें । तो ऐसी यूनियन्स को फैसिलिटीज़ दी जाएं और ऐसा आखिर करना ही पड़ेगा । फारसी का एक मकूला है :

मज़तूरे खुश दिल कुनद कार बेश

जितना मजदूर खुश होगा उतना ही वह काम करेगा और अल्टीमेटली इसका फायदा रेलवे को जाएगा ।

तो जब यह अवाम का जिक्र हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा जिक्र अपने जो कुली भाई हैं उनका भी कर दूं । यह बात ठीक है और यह एक बड़ी कमी है कि हमारे जो भाई कुली लोग हैं वे सैटिसफाइड नहीं होते । इस कमी को तो मैं समझता हूं । जितना भी उनको एवजाना दिया जाए उससे वह जरूर ज्यादा मांगने की कोशिश करेंगे । मगर रेलवे उनके लिए जो कर सकती है । वह जरूर करना चाहिये । रेलवे का जो अस्पताल है उसमें कुलियों को इतनी सहूलियत नहीं मिलती जितनी कि दूसरे मुलाजिमों को है । उनको आउटडोर दवा मिल जाती है मगर इनडोर पेशेंट के तौर पर उन्हें वहां एडमिट नहीं किया जाता है । मैं समझता हूं कि जिस तरह से रेलवेज के दीगर मुलाजिमों को मैडिकल ऐड और अस्पताल की सुविधा मिलती है उसी तरह से इन कुलियों को भी इसकी पूरी पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए ।

जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है हमारे देश में इंजन भी बन रहे हैं और रेल के डब्बे भी बन रहे हैं यह बिल्कुल ठीक है मगर यह एक कायदा है कि नई चीज जो बने वह पुरानी से अच्छी हो तब ही उससे लोगों को सन्तोष हो सकता है । मगर यह आम राय है कि जो नई चीज है नई चीज जो हम बनाते हैं उस

[ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर]

को देख कर कई दफे लोग पुरानी को याद करते हैं और कहते हैं कि इससे तो पुरानी चीज ही अच्छी थी। पुराने डिब्बे इन नयों से अच्छे थे। यह इम्प्रेशन बदलना चाहिए। मैंने दूसरे मुल्कों में भी यह देखा है कि नई चीज के बनाने में वह खास तौर से दिलचस्पी लेते हैं और मकाबलतन देखते हैं कि यह पहली चीजों से अच्छी हो। मसलन् मैं बतलाऊं कि अण्डर ग्राउण्ड रेलवेज जो रूस वालों की अपनी आम रेलवे थी वह कोई इतनी अच्छी नहीं थी मगर वह पुरानी बनी हुई थी। उन्होंने अपनी अण्डर ग्राउण्ड रेलवे नई बनायी अब जिन्होंने उनको देखा है वे यकीन के साथ यह कह सकते हैं कि वह लन्दन और पेरिस से अच्छी हैं। वह हर लिहाज से अच्छी हैं, खूबसूरती के लिहाज से रफ्तार के लिहाज से और आवाज के लिहाज से। उन्होंने जो नई चीज बनाई वह अच्छी बनाई और इसलिये कोशिश इसी की होनी चाहिये कि नई चीज जो भी बनाई जाय वह अच्छी बनाई जाये। मगर जब तक अच्छी चीज नहीं बनती तब तक इतना तो खयाल करना चाहिये कि खास खास जगहों पर और जरूरी जरूरी जगहों पर ऐसे ढंग से तबदीली की जाये ताकि रेलवेज के नाम पर कोई हर्फ न आये। मसलन मैं आपको बतलाऊं कि एक दिन मैं फर्स्ट क्लास से देहरादून जा रहा था और उसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में मेरे साथ एक यूरोपियन पैसेंजर भी बैठा था। यहां से हम देहरादून के लिये रवाना हुए और हुआ यह कि आखिर तक देहरादून तक पहुचने में चूंकि बारिश हो रही थी हमारे सब बिस्तर वगरह भीग गये। मेरा हम सफर यूरोपियन इंजीनियरिंग टेस्ट का था और वह कहने लगा कि यह बिल्कुल एक साधारण बात है और अगर गाड़ी के साथ इस हमारे डिब्बे को लगाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रख लिया जाता तो यह जो पानी अन्दर आ रहा है यह आना बन्द हो सकता था।

अब चण्डीगढ़ बहुत एम्पोर्टेंट जगह है और हमारी यह ख्वाहिश है कि चण्डीगढ़ लाइन जल्द से जल्द बने। इस बात की बहुत जरूरत है कि चण्डीगढ़ लाइन को बहुत जल्दी लुधियाने से उसे मिला दिया जाय क्योंकि पंजाब में वह एक बड़ी एम्पोर्टेंट जगह हो गई है। लेकिन जब तक वह नहीं बनती है तब तक के लिये मैं कहूंगा कि उनके डिब्बों के सुधार की तरफ ध्यान दिया जाये। मुझे खास तौर से जो रेल के डिब्बे चंडीगढ़ जाते हैं उनके बारे में दो, चार मर्तबा का तजुर्बा है कि वे खराब होते हैं, उनके शीशे टूटे हुए होते हैं और रोशनी के लैम्प टूटे हुए होते हैं। इन चीजों के बारे में खास तौर से ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

चण्डीगढ़ जैसी मशहूर जगह के लिये जब हम स्टेशन पर पहुंचते हैं तब कई दफा पता लगता है कि चण्डीगढ़ के लिये जो कोच लगता है वह आज एवेलेबुल नहीं है। उसमें कुछ खराबी आ गई है और आज वह कोच नहीं लग रहा है। इसी तरह कांगड़ा वैली की जो रेलवे है उसके इंजन और डिब्बे वगैरह ठीक हालत में नहीं हैं और खराब व खस्ता रहते हैं अब पहाड़ी इलाके में जाहिर है कि खराब इंजन का होना खुद रेलवे के लिये बड़ा नुकसानदेह साबित होता है और उस तरफ भी मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाऊंगा कि वह उनमें सुधार करें।

अमृतसर का स्टेशन एक बड़ा एम्पोर्टेंट स्टेशन है। पंजाब के बंटवारे से पहले उसकी बड़ी शान थी। अब यह मुकेरियन लाइन बनने से इधर जालंधर से उसकी एम्पोर्टेंस इस सिलसले में कुछ जरूर कम हुई है। लेकिन फिर भी मुझे यह कहना है कि वहां के व्यापारियों को वैगन्स की कमी काफी महसूस हो रही है। कोयले की कमी के सवाल ने तो यहां पर आजकल हाहाकार मचाया हुआ है मगर उनको तो हमेशा ही शिकायत रही है कि उन्हें अपना माल भेजने के लिये वैगंस नहीं मिलते हैं। वह एक बड़ा इण्डस्ट्रियल सेंटर है और उन्हें वक्त पर वैगंस वगैरह नहीं मिलते हैं। यह तो सामान की बात रही। इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि उनका ताल्लुक व्यापार के सिलसिले में बम्बई वगैरह से ज्यादा

रहता है और इसलिये मेरा सुझाव है कि यह डिलक्स ट्रेन जो यहां दिल्ली से चलाई जाती है वह अमृतसर से चलाई जाये और ऐसा इन्तजाम होने से उनको काफी सहूलियत हो सकती है। सवारियां भी काफी मिल सकती हैं और इससे रेलवेज का कोई नुकसान भी नहीं होता।

चण्डीगढ़ लाइन बनाने की बात तो बहुत बड़ी बात है और वह बननी भी चाहिए मगर उसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी रिक्वैस्ट मिनिस्टर साहब से यह करना चाहता हूं कि यह जो अब तबदीली हुई है कुछ इलाका बदला गया है इसमें फीरोजपुर साइड में कुछ थोड़ा सा इलाका हिन्दुस्तान के साथ मिलाया गया है। उसकी बड़ी एम्पोर्टेंस यह भी है कि वहां पर हमारे शहीद भगतसिंह को जलाया गया था। वह इलाका हमारे हिन्दुस्तान में आ गया है। खेमकरन से हमारा चन्द मीलों का एक टुकड़ा हो सकता है और वह अगर बना दिया जाये तो उससे हमारे बोर्डर की भी समस्या हल हो सकती है। और साथ ही उस जगह की एम्पोर्टेंस का मकसद भी इस ख्याल से पूरा हो सकता हैं।

एक बात मैं डिपार्टमेंटल कैटरिंग के सिलसिले में जरूर कहना चाहता हूं। मिनिस्टर साहब की स्पीच में यह हौसला अफजा खबर है कि अब उसका घाटा ११ लाख रुपये से केवल चार लाख रह गया है। मगर घाटे का शब्द ही चिन्ता पैदा करने वाला है चाहे वह चार लाख का हो। या कितने का ही हो। अब अगर वह घाटा चार लाख का रह गया है तो इससे तो यह समझना चाहिये कि जो लोग पहले कैटरिंग वगैरह का काम करते थे वह घाटे में काम करते थे जो कि हकीकत नहीं है और हो भी नहीं सकती। कोई वजह नहीं है कि उसमें घाटा हो। सोशलिस्टिक पैट्रन के सैट अप में जाहिर है कि यह डिपार्टमेंटल कैटरिंग का सिलसिला आगे जायेगा लेकिन यह कहना कि वह कोई तसल्लीबख्श काम हो रहा है मेरे ख्याल में यह गलत है। उसमें किसी की भी तसल्ली होती मालूम नहीं देती। शायद वहां पर जो लोग काम करते हैं उनको भी तसल्ली नहीं है कि हम ठीक और सही भोजन देते हैं .....

एक माननीय सदस्य : अजी खाना भी कम देते हैं।

ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर : मन्त्री महोदय को डिपार्टमेंटल कैटरिंग की तरफ तवज्जह देने की बहुत जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि डिपार्टमेंटल कैटरिंग का सिलसिला बन्द कर दिया जाये और ऐसा करना शायद इस वक्त डिपार्टमेंट के लिये मुमकिन भी न हो। मगर इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिये कि वहां अच्छा और ठीक ढंग से काम हो रहा है। इस घाटे में कमी हो जाना तो इस बात का महज सबूत नहीं है कि वहां अब जो खुराक मिल रही है वह पहले से अच्छी मिल रही है और अच्छी चीजें मिल रही हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से सिर्फ एक मिनट और लेना चाहता हूं। अम्बाला, लुधियाना और राजपुरा में क्रौसिंग पुल बनाया जाना बड़ा जरूरी है। राजपुरा बड़ी एम्पोर्टेंट जगह है। इसी तरह लुधियाना एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है और वहां इतनी अधिक भीड़भाड़ रहती है कि कई मर्तबे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अम्बाला का भी क्रौसिंग पुल बनना जरूरी है।

बस एक बात और कह कर मैं अपनी स्पीच को खत्म किये देता हूं। यह डीजेल के जो डिब्बे बनाये गये हैं यह बड़े मुफीद साबित हुए हैं और मेरे ख्याल से यह हर एक लिहाज से मुफीद हैं। इनकी सर्विस भी बड़ी अच्छी है और यह बड़ी तेज चलते हैं और इसलिए उनकी तादाद जितनी भी बढ़ायी जा सके वह जरूर बढ़ायी जानी चाहिये।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनलवेली) : मैं रेलवेज के सराहनीय कार्य के लिये माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं। साथ ही, खेद की बात है कि उन्होंने दक्षिण भारत में नयी लाइनों के निर्माण के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है। दक्षिण में नई लाइनों की मांग को राजनीतिक या क्षेत्रीय कहना ग़लत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानू पिल्ले]

दक्षिण भारत में नई लाइनों की मांग के बारे में काफी ग़लतफहमी फैली हुई है। मंगलौर पत्तन का विकास बिना रेलवे लाइन के कैसे होगा ? नयी लाइनों की मांग यह कह कर टाल दी जाती है कि दक्षिण भारत में उद्योग-धंधे तो हैं ही नहीं। यह ग़लत तरीका है।

हाल तो यह है कि खानों और सीमेंट फैक्टरियों तक का विकास रेलवे लाइनों के अभाव में रुका पड़ा है। तिरुनलवेली से कन्या कुमारी तक एक नयी लाइन की बड़ी आवश्यकता है।

श्री अशोक मेहता ने कहा है कि नयी लाइनें बिछाने से पहले सरकार को यह भी सोचना चाहिये उनसे आय भी होगी या नहीं। तिरुनलवेली कन्या कुमारी लाइन से रेलवेज़ को काफी आय होगी।

दूसरा तर्क यह दिया गया था कि मद्रास में काफी अच्छी सड़कें मौजूद हैं। जनता बसों से इसी-लिये यात्रा करने लगी है, कि वहां रेलवे सुविधायें अपर्याप्त हैं।

और जो रेलगाड़ियां चलती भी हैं उनका यह हाल है कि तिरुनलवेली से तिरुचेन्दुर तक ३६ मील का फासला ३–४ घण्टे में तय हो पाता है यह समय घटाया जाना चाहिये।

देश के औद्योगिक विकास के लिये जरूरी है कि देश के सभी भागों को रेलों द्वारा जोड़ा जाये। तभी औद्योगिक विकास हो सकेगा। इस दृष्टि से, कोयम्बटूर और तिरुचिरापली के बड़ी लाइन को सैलम, करूर, डिंडीगल तथा तूतीकोरन से जोड़ दिया जाना चाहिये। तभी तूतीकोरन पत्तन का विकास हो सकेगा।

दुर्घटना का प्रश्न उठाया गया है, रेलवे कर्मचारी यह बहाना नहीं बना सकते हैं कि उन का वेतन कम है अतः वह अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं रह सकते हैं, मेरा विचार है कि रेलवे कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा अच्छा वेतन मिलता है। तथापि दुख की बात है कि जिन रेलवे कर्मचारियों को अच्छा कर्मचारी होने का गर्व था उन्हें ही अब अच्छे हड़ताली होने पर गर्व हो रहा है, यह लज्जान जनक बात है वस्तुतः जो कर्मचारी किन्हीं अन्य लोगों के बहकावे में आ कर इस प्रकार का कार्य करते हैं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।

मार्ग परिवहन तथा रेलवे प्रतियोगिता की बात उठाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि नई रेलवे लाइनें उसी स्थान पर खाली जायें जहां पर सड़कें नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि रेलवे द्वारा परिवहन प्रति टन मील एक आना आता है जबकि मार्ग परिवहन से यह भाड़ा ढाई से ३ आना प्रति टन मील पड़ता है, अतः वाणिज्यिक तथा सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि जिन क्षेत्रों में रेलवे लाइनें नहीं हैं वहां पर रेलवे लाइनें बिछाई जायें।

जब रेलवे द्वारा विभागीय भोजन व्यवस्था अपने हाथों में ली गई थी तो सभी को प्रसन्नता हुई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यह भोजन व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। मदुरै जैसे बड़े स्टेशनों में भी अच्छा भोजन नहीं दिया जाता है मेरे विचार से इस बात की जांच की जानी चाहिये।

पदोन्नतियों के सम्बन्ध में अधिकांश यह शिकायत रहती है कि वे न्यायोचित और उचित तरीके से नहीं की गयीं। जब इस मामले में अपील की जाती है तो यह जवाब दे दिया जाता है कि इस मामले में पुनरीक्षण की कोई गुंजायश नहीं है। मेरे विचार से अपीलों पर निर्णय का कार्य कार्य-पालिका को न दे कर अन्य प्राधिकारियों को दिया जाना चाहिये।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे ने जितनी प्रगति की है, वह वस्तुतः सराहनीय है । चूंकि आप ने मुझे दस मिनट का ही समय दिया है, इस वास्ते और बातें न कह कर पहले मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ही बात कहना चाहता हूं । दूसरी जो बातें हैं, उनकी कहने का अगर समय बचा तो मैं वे भी बाद में कह दूंगा ।

मैं दिल्ली के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । बाहरी दिल्ली, बाह्य दिल्ली मेरा निर्वाचन क्षेत्र है । आप जानते हैं कि दिल्ली की जन-संख्या हर वर्ष एक लाख बढ़ जाती है । यह जन-संख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है । जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यातायात का, परिवहन का जो मामला है वह विकट रूप धारण करता चला जा रहा है । बहुत दिनों से यह मांग चली आ रही है कि दिल्ली में एक रिंग रेलवे हो । इस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में थोड़ा सा उल्लेख किया है । मगर मैं समझता हू कि वह उल्लेख करना या न करना बराबर था । उस में केवल इतना कहा गया है कि जो माल के डिब्बे हैं, वे दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर न आ सकें और यहां पर जो भीड़भाड़ रहती है, वह कम हो सके, इसलिये वे तुगलकाबाद से हो कर बादली होते हुए, दूसरे स्थानों के लिये निकाल दिये जायेंगे । इस से दिल्ली वालों को कभी भी सन्तोष नहीं होने वाला है । माल के डिब्बे आप दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर न ला कर के सीधे तुगलकाबाद और बादली के रास्ते ले जा सकते हैं किन्तु दिल्ली की जो रोज़ाना जनसंख्या बढ़ रही है और जो आने जाने का मामला है, वह दिन-प्रति-दिन विकट होता जाता है, वह इस से हल नहीं हो सकता है । आए दिन आप देखते हैं कि यहां पर दुर्घटनायें होती रहती हैं और इन की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है । कई बार यहां इस सदन में मैंने प्रार्थना की है और आज उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि दिल्ली में जो रिंग रेलवे की मांग है वह बहुत ही उचित है, उस का पूरा किया जाना बहुत ही आवश्यक है । इस बारे में दिल्ली की विधान सभा ने एक संकल्प तय किया था और उस के अतिरिक्त दिल्ली की जो सब से बड़ी कमेटी समझी जाती है जिस के माननीय गृह मंत्री जी प्रधान हैं, उस सलाहकार समिति ने भी यह तय किया था कि दिल्ली में रिंग रेलवे होनी चाहिये । इतना होने के बावजूद भी समझ में नहीं आता कि दिल्ली के लिये रिंग रेलवे क्यों नहीं बनाई जाती है । इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये ।

एक बात देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है । मैंने दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के बजट को देखा है, उस की तृतीय पंचवर्षीय योजना की डिटेल्ज़ को देखा है और उस में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कुछ लेवेल क्रासिंग्ज़ के ऊपर ओवर-ब्रिज बनाये जायेंगे । किन्तु जब मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को देखा और बड़े ध्यानपूर्वक देखा तथा जो दूसरी बजट सम्बन्धी पुस्तिकायें हैं उन को पढ़ा तो मैं ने कहीं भी ओवर-ब्रिजिज़ का उल्लेख नहीं पाया । पंचवर्षीय योजना में भी इस का उल्लेख नहीं है । खास तौर से मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है उस में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर ओवर-ब्रिजिज़ की आवश्यकता है । कारपोरेशन के बजट को देखने से पता चलता है कि पटेल रोड के ऊपर ओवर-ब्रिज का उल्लेख है, रोहतक रोड वाले ओवर-ब्रिज का उल्लेख है, लेवेल क्रासिंग का उल्लेख है, इसी तरह से ओल्ड रोहतक रोड से न्यू रोहतक रोड को मिलाने के लिये भी ओवर-ब्रिज का उल्लेख है । किन्तु रेल मंत्री जी के भाषण में कहीं भी इस का कोई उल्लेख नहीं है । इस विषय में मैं माननीय रेल मंत्री जी को बराबर सात साल से लिखता आ रहा हूं और रेल मंत्रालय ने मुझे एक पत्र में लिख भी दिया था कि जितना भी पैसा उस की तरफ से खर्च किया जाना बनता है, उस को देने के लिये वे तैयार हैं लेकिन कारपोरेशन इस के लिये तैयार नहीं है । किन्तु अब कारपोरेशन तैयार हुई है तो रेल मंत्री जी के भाषण में इस का कोई उल्लेख नहीं है । चूंकि यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है और साथ ही साथ बहुत आवश्यक भी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाये ।

श्री मूलचन्द दुबे (फरुखाबाद) : माननीय उपमंत्री जी हिन्दी नहीं समझते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : अगर नहीं समझते हैं तो रिकार्ड उन को समझा देगा ।

पिछले साल रेलवे बजट पर वाद-विवाद के समय मैंने कहा था कि नजफगढ़ नाला और नजफगढ़ झील बहुत नुक्सानदेह साबित हो रहे हैं

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : दिल्ली की कौन सी साइड में है ।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली के पश्चिमी भाग में ।

नजफगढ़ नाला रोहतक रोड के पास आ कर जहां से गुज़रता है वह रेलवे लाइन के पास हो कर गुज़रता है और वहां वह छोटा हो जाता है । यहां पर रेलवे का जो पुल है, जो कलवर्ट है, वह बहुत छोटा है और उस में से पूरा पानी नहीं निकलता है ? इस का नतीजा यह होता है कि पानी वहीं रुका रहता है और बहुत नुक्सान करता है । हर साल ऐसा होता है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह उस को चौड़ा करने के लिये तुरन्त हिदायतें जारी कर दें । आप स्वयं अपने हिस्से में उस को चौड़ा कर दीजिये ताकि जो पानी है वह यमुना के अन्दर चला जाये और जो बहुत सारे गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं और जिन में बराबर हर साल नुक्सान होता है उस से वे छुट्टी पा सकें ।

पांच साल पहले मैंने कहा था और आज फिर उस को दोहराता हूं कि मीटर गेज जो जाती है सराय रूहीला से पालम से आगे बिजवासन हो कर रिवाड़ी तक, वह नजफ़गढ़ हो कर नहीं जाती है । मैं चाहता हूं कि इस के लिए एक लाइन निकाल दी जाये ताकि नजफ़गढ़ उस के साथ जुड़ जाये । नजफगढ़ एक काफी बड़ा टाउन है । हमारे यहां दिल्ली के चार टाउन हैं, जिन में से एक शाहदरा है, वहां रेल जाती है । नरेला में भी जाती है । मेहरौली और नजफगढ़ ऐसी जगहें हैं जहां बहुत बड़ी आबादी रहती है, और शहर की भीड़ भाड़ देखते हुए वहां पर बराबर आबादी बढ़ती जा रही है । इस से यातायात का दबाव बहुत ज्यादा हो गया है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर बिजवासन और नजफगढ़ को मिला दें । यह केवल छः या सात मील का छोटा सा टुकड़ा है और अगर इस को मिला दिया जाय तो जो लोग शहर में या शहर के आस पास रहना चाहते हैं वे जा कर नजफ़गढ़ में रहने लगेंगे और रोजाना यहां नौकरी पर आयेंगे और शाम को वापस चले जायेंगे । मुझे आशा है कि आप इस सुझाव की ओर ध्यान देंगे क्योंकि इस पर बहुत पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है ।

इस देश के अन्दर एक ऐसा गैंग है जोकि फर्स्ट क्लास के टिकट आधे दामों पर बेचा करता है । इस से हम बहुत ज्यादा पैसे से वंचित रह जाते हैं और हमारी रेलवे की हानि होती है । उस में इस तरह से होता है कि मान लीजिये कोई व्यक्ति बम्बई से दिल्ली के लिये चलता है तो उसे दिल्ली का टिकट नहीं दिया जायेगा । उसे या तो रोहतक का टिकट देंगे या कहीं और का दे देंगे । वह टिकट पहले से बना हुआ नहीं होता है, उसे बना कर देते हैं और कहते हैं कि उस को तुम वापस कर देना । वह उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है । आगे चल कर वह काउंटरफाइल में लगा कर कैंसेल कर दिया जाता है और इस तरह से आधा पैसा रेलवे वाले खा जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस की चेकिंग आप की तरफ से होनी चाहिये क्योंकि इस तरह की गड़बड़ी से आप का लाखों रुपयों का नुक्सान होता है हर साल में । इस बात की ओर भी मैं समझता हूं आप ध्यान देंगे । अगर आप जरूरत समझें तो जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दी है उस के बारे में मैं आप को बता सकता हूं । हो सकता है कि वह व्यक्ति आप को इस तरह से टिकट ले कर भेज दे ।

एक माननीय सदस्य : कलकत्ता एजेन्सी मशहूर है ।

श्री नवल प्रभाकर : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन के लिये निवास स्थान की बड़ी कठिनाई है । रेलवे मंत्रालय के पास यहां पर काफी जमीन है इसलिये चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उन के लिये मकान बनाये जायें ताकि जो भाई सफाई करने वाले हैं या दूसरे लोग हैं उन को रहने के लिये जगह मिल सके ।

आप की ओर से जो व्यवस्था सम्बन्धी सूचना निकाली गई है उस के अन्दर कुछ आंकड़े सर्विसेज के बारे में दिये गये हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में । कुल सीटें जो उन के लिये रिजर्व की गई थीं वे इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं । उन के लिये जो सीटें निश्चित की गई हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये, उन की संख्या ५९४ थी और शेड्यूल्ड आदिम जातियों के लिये ४० थीं । लेकिन यह सीटें भी पूरी तरह से भरी नहीं गई हैं । इसी तरह से तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी थे उन के लिये भी यह सीट्स निश्चित की गई, लेकिन उन में भी जितनी भरती होनी चाहिये उतनी नहीं हुई । जहां तक रिजर्वेशन का मामला है उस के अन्दर आप जरा कड़ाई से काम लें तो इस में काफी काम हो सकेगा । रेलवे का जो सुरक्षा दल है उस के अन्दर भी रिजर्वेशन के हिसाब से जितने हरिजन लिये जाने चाहियें उतने नहीं लिये गये हैं मैं चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय ।

आप यह तो जानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली का जनसंख्या बढ़ती जाती है, उसी तरह से मकानों की मांग भी बढ़ती जाती है । बहुत दिनों से दिल्ली में यह आम शिकायत है कि दिल्ली के लिये जो कोयला होता है वह प्राप्त नहीं होता । इसलिये खास तौर से ईंटों के लिये जो कोयला होता है वह पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है । पिछले साल जो ईंटें यहां पर २९ या ३० रु० हजार थीं, अब की वे यहां पर ४५ रु० हजार मिल रही हैं । वह आज ड्योढ़े दाम पर बिक रही हैं । फरवरी का महीना आते ही लोगों को काफी कोयले की तकलीफ रही । घर में जलाने का जो साफ्ट कोक है वह भी उपलब्ध नहीं है । दिल्ली की मांग बहुत थोड़ी है । वह इस देश की राजधानी है, इसलिये आप को इस का खास खयाल रखना चाहिये और कोयले के मामले में प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि अगर कोयला नहीं होगा तो ईंटें नहीं बन पायेंगी, अगर ईंटें नहीं बन पायेंगी तो मकान नहीं बन पायेंगे और मकान नहीं बनेंगे तो लोगों को रहने की जगह की कमी रहेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि आप इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : ज्ञात हुआ है कि रेलवे मंत्रालय पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम पाकिस्तान तक एक रेल सम्पर्क बनाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है । इस सम्बन्ध में सभा की यह सर्वसम्मत राय है कि ऐसा कोई रेल सम्पर्क कायम न किया जाय क्योंकि इस से भारत की प्रादेशिक अखंडता और उस की सुरक्षा को धक्का पहुंचेगा ।

रेलवे की सस्ते खाद्यान्नों की दुकानों के कर्मचारियो की पहिले छंटनी कर दी गई थी, उन को सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें खपा लिया जायेगा और उन की सेवाओं में उन की पहिली सेवायें भी शामिल की जायेंगी, बाद में रेलवे प्रशासन द्वारा जो आदेश जारी किया गया, उस में उन की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने यह मांग रखी है कि १-४-१९४७ और ३१-३-१९५७ के बीच में सेवा निवृत्त हुए सभी कर्मचारियों को पेंशन दी जाये । इस में से बहुत थोड़े ही लोग अब जीवित हों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नलदुर्गकर]

और जो होंगे भी उन की संख्या भी अब घटती जायेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र मराठावाड़ा एक पिछड़ा इलाका है। वहां दक्षिण रेलवे की मीटर गेज लाइन शोलापुर में समाप्त होती है। मेरा सुझाव है कि इलाकों के विकास के लिये शोलापुर-जालना लाइन बनाई जाये और यह लाइन नलदुर्ग, तुलजापुर और उसमानाबाद से हो कर गुजरे। इस से इन सभी इलाकों का विकास होने में सहायता मिलेगी।

रेलों को कोयला परिवहन की ओर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि कोयले का उचित संभरण नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश की कई कारखाने बन्द हो गये हैं, अन्त में मैं रेलवे प्रशासन को उन की कार्यकुशलता और ऊंचे स्तर की सेवाओं के लिये धन्यवाद देता हूं।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** (एलुरू) : निस्सन्देह रेलवे प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है इस से सारी सभा उन को बधाई दे रही है। प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि १९५६-५७ में कार्य संचलान व्यय में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आय में २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तथापि जब हम और आगे बढ़ कर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि रेलवे द्वारा अर्जित किये जाने वाले लाभ में कोई वृद्धि नहीं हुई है यह अच्छे प्रशासन का चिन्ह नहीं है वस्तुतः एकाधिकार वाले क्षेत्रों की प्रगति देश की आर्थिक अवस्था का मापदंड है।

कोयले के लदान के सम्बन्ध में एक विवाद खड़ा हो गया है। किसी ने इस को इस्पात मंत्रालय का दोष कहा है किसी ने इस को रेलवे मंत्रालय का दोष कहा है, कुछ भी हो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपने प्रतिवेदन (१९५९-६०) के पृष्ठ ७ में कहा है कि नये कोयला क्षेत्रों में अभी रेलवे साईडिंग नहीं बनी है और वहां माल डिब्बों की भी कमी है। इस के पूर्व सभा में यह आरोप लगाये गये थे कि कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा नही हो रहा है और अब जब कोयले का उत्पादन बढ़ गया है तो कोयले का लदान नहीं हो पा रहा है। यह कहा गया है कि रेलवे ने प्रतिदिन ४७८२ माल-डिब्बों का संभरण किया है तथापि इस से भी अधिक डिब्बों की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि इतवार के रोज भी ढुलान होना चाहिये, तथापि इतवार के रोज मजदूर पहिले तो काम नहीं करना चाहते हैं और जो काम करते हैं वे अतिरिक्त मजदूरी मांगते हैं, इस का यह फल होता है कि उत्पादन व्यय में वृद्धि हो जाती है।

कई अन्य कठिनाइयां भी हैं। आंध्र प्रदेश को आम और चावल के परिवहन के लिये उचित संख्या में मालडिब्बे उपलब्ध नहीं होते हैं, आम सड़ने वाली वस्तु है तथा चावल अनिवार्य भोजन है। अतः मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हम कई दिनों से यह मांग कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का एक अलग खंड बनाया जाये। हमारी मांग को प्रादेशिक कह कर टाला जाता है तथापि यह देखते हुए कि दक्षिण खंड बहुत बड़ा हो गया है और इस से प्रतिवर्ष ९० प्रतिशत का घाटा हो रहा है, यदि इस का विभाजन कर दिया जायेगा तो इस से रेलवे की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

हम डी० बी० परियोजना आरम्भ कर रहे हैं, इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि तटीय लाइन को वाल्टेयर और सुलुरपेटा तक विस्तृत कर दिया जाय। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में कठिनाई यह है कि लाइनें कम हैं और उन में सदैव मालगाड़ियां चलती रहती हैं इस से यात्रियों को ठहरना पड़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे आंध्र प्रदेश के तटीय भागों की आवश्यकता का विचार करते हुए वहां एक अतिरिक्त डाकगाड़ी की व्यवस्था करें। मेरे विचार से रेलों के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश की उपेक्षा करना ठीक नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा कल जारी रहेगी।

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : जिन सदस्यों को रेलवे बजट पर बोलने का अवसर नहीं मिला क्या उन्हें रेलवे की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर मिलेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन का नाम पुकारा जाने वाला था तथापि वे अपने स्थान पर नहीं थे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

सतहत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री बाला साहेब पाटिल** (मिराज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सतहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो १ मार्च, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सतहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो १ मार्च, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

धार्मिक पूजा के स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग करने पर प्रतिबंध के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब १७ फरवरी १९६१ को श्री परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी :

"इस सभा की यह राय है कि धार्मिक पूजा और तीर्थ यात्रा के स्थानों का राजनैतिक प्रचार और आंदोलन के लिये प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार को उचित विधान प्रस्तुत करना चाहिये।"

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : मैं ने यह संकल्प ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथापि मुझे इस का आशय समझने में कठिनाई हुई है। यह समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार का संकल्प किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अमजद अली]

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

प्रस्तावक ने धर्म शब्द का प्रयोग किया है मेरे विचार से धर्म का राजनीति से अभिन्न संबंध है। जहां तक धार्मिक स्थानों का सम्बन्ध है धार्मिक स्थान सदैव सार्वजनिक होते हैं ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थान भी सार्वजनिक होते हैं अतः इन स्थानों पर व्यक्तियों के आने जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जहां तक राजनैतिक प्रचार या आन्दोलन का सम्बन्ध है जब तक इस का आशय स्पष्ट नहीं किया जायेगा तब तक हम इस विषय पर अग्रेतर विचार नहीं कर सकते हैं।

इस्लाम के अनुसार एक व्यक्ति को पांच बार नमाज पढ़नी चाहिये। वह नमाज पढ़ने के लिये मसजिद जायेगा तो वहां वह दूसरे व्यक्तियों से मिलेगा, उन की आपस में बातें होंगी और ये बातें राजनीति का रूप ले सकती हैं। ठीक यही बात गिर्जाघरों के बारे में भी लागू होती है।

निस्सन्देह पूजा के स्थानों का समाज विरोधी या राज्य विरोधी कार्यों के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति हत्या करके किसी धार्मिक स्थान में छिपने का प्रयास करता है तो मेरे विचार से सामान्य विधि के अधीन भी हम उसे पकड़ सकते हैं। उसे ऐसे स्थानों का संरक्षण कभी नहीं मिलना चाहिये।

प्रस्तावक ने यह आशंका प्रगट की है कि मुस्लिम लीग भारत में पुनः सर उठा रही है अतः पुनः मसजिदों का दलगत प्रचार के लिये प्रयोग कर रहे हैं, हमें चाहिये कि इस प्रकार धार्मिक स्थानों का राजनतिक कार्यो के लिये उपयोग करने पर पाबन्दी लगाई जाये।

अतः जब तक संकल्प के शब्दों की सही व्याख्या नहीं की जायेगी तब तक इस प्रकार के संकल्प का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : वस्तुतः मानवता का यह अभिशाप रहा है कि हम ने सदैव धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का प्रयास किया है, इसी का परिणाम है कि यूरोप में इस्लाम और इसाई धर्म के बीच कई युद्ध हुए।

अपने देश में भी इस बात के उदाहरण मौजूद हैं कि धार्मिक स्थानों में स्त्री पुरुषों को यह शपथ दिलाई जाती है कि वे अमुक अमुक व्यक्ति को ही मत देंगे। कुछ लोग धार्मिक स्थानों से ही सरकार के विरुद्ध आन्दोलनों का सूत्रपात करते हैं, कुछ लोग हत्या इत्यादि जघन्य कार्य करने के पश्चात् धार्मिक स्थानों में छिप जाते हैं।

मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि मन्दिर मसजिद गिर्जों या गुरुद्वारों सभी का राजनैतिक कार्यों के लिये उपयोग किया गया है।

मेरे एक माननीय मित्र ने पूछा है कि राजनीति क्या है? राजनीति किसी व्यक्ति की भावनाओं या घृना को उभका कर उसे दूसरे के विरुद्ध करना है। इसी प्रकार राजनैतिक आन्दोलन वह आन्दोलन है जब हम एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध उभाड़ते हैं और इस प्रकार आपस में वैमनस्य पैदा करते हैं। आश्चर्य का विषय है कि लोक सभा का एक सदस्य पूछता है कि राजनैतिक आन्दोलन क्या चीज है। राजनतिक आन्दोलन हमारे चारों ओर हो रहे हैं, इस के द्वारा हम आन्दोलनों या दूसरे प्रकार से वांछनीय या अवांछनीय ध्येय की प्राप्ति करना चाहते हैं। अतः यहां राजनैतिक आन्दोलन का अर्थ उन कार्यों से है जिन्हें लोग अवांछनीय समझते हैं, बुरा समझते हैं या अवैधानिक समझते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे देश में धर्म का पालन करना जन्मजात अधिकार माना गया है। तथापि इसके साथ साथ कुछ परित्राण भी हैं। आन्दोलनों तथा आवेश के समय हम इन परित्राणों को भूल जाते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि राजनैतिक प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों को ही क्यों चुना जाता है। जबकि अन्य स्थानों से धार्मिक प्रचार अच्छी तरह किया जा सकता है। एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने राजनीति को गन्दा कहा है तब भला क्यों हम अपने धार्मिक स्थानों को इससे गंदा करते हैं।

अतः श्री परुलेकर ने जो मांग रखी है वह उचित और समयानुकूल है। इस संबंध में उलझन की कोई बात ही नहीं है, निस्संदेह प्रत्येक विधान सरल नहीं होता है उसके कई परिणाम होते हैं तथापि सरकार को उन परिणामों का सामना करने के लिए सनद्ध रहना चाहिये।

अतः मेरा अनुरोध है कि यदि हमने देश में धर्म निरपेक्षता कायम रखनी है, अपने संविधान को अक्षुण्ण बनाये रखा है तथा जबलपुर में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो हमें चाहिये कि हम धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाये रखें तथा धर्म को राजनीति को राजनीति से पृथक रखें।

†**श्री त्यागी :** मैं संकल्प का विरोध करता हूं। मैं नहीं समझ सका कि धार्मिक स्थानों पर राजनीतिक चर्चा क्यों बन्द की जाये। हमारे यहां की परम्पराओं के अनुसार तो राजनीति भी धर्म से निकलती है। इस उद्देश्य के लिए कोई कानून बनाना मैं बिलकुल निरर्थक समझता हूं। मेरा मत तो यह है कि यदि राजनीतिक दल इन बातों की अपेक्षा अपने सिद्धांतों के प्रति अधिक सावधानी बरतें और यदि राजनीति को गंदा न किया जाये, तो इस बात से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं कि किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग किसी राजनीतिक प्रचार के लिए किया जायेगा। क्या यह सत्य नहीं है कि अंग्रेजों के राज्य में भी हम इन गुरूद्वारों को राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग करते रहे हैं। खिलाफत के दिनों में हम स्वयं भी मस्जिदों को राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग करते रहे। उस समय तो मेरे माननीय मित्र को क्रोध नहीं आया जो कि आज प्रदर्शित किया जा रहा है।

मुझे इस बात का खेद है कि सरकार ने स्वयं ही अपराधियों को धार्मिक स्थानों में छिपकर बचे रहने के लिए बढ़ावा दिया है। यदि धार्मिक स्थान तथा श्रम स्थानों में कोई भेद भाव किये बिना कानून को सम्पूर्ण देश पर समान रूप से लागू करे, तो लोग इन स्थानों को इन कामों के लिए कभी भी प्रयोग करने का साहस नहीं करेंगे। कानून ऐसा होना चाहिये जो सभी जगह लागू हो और कोई अपराधी किसी धार्मिक स्थान में आश्रय न ले सके।

†**श्री पद्म देव** (चम्बा) : सभापति जी, अपने देश में बहुत से महान् व्यक्ति पैदा हुए हैं।

सभापति महोदय : मेहरबानी करके पांच मिनट ही बोलिएगा।

†**श्री पद्म देव :** उन व्यक्तियों का जो विचार था वह सदा मानवता परक रहा और इसी लिए इस देश के अन्दर संसार के जितने महान विचारक हुए हैं उन सब के विचारों

†मूल अंग्रेजी में]

[श्री पद्म देव]

के लिए स्थान मिला । उन्होंने अपने अपने विचारों का प्रचार इस देश के अन्दर किया । लेकिन आज परिस्थिति बदल गयी है और आज का जो धर्म है वह हो गया है रोटी धर्म ।

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत : ।।

जब तक जियो सुख से जियो, डाका मार कर घी पियो, फिर यह जिस्म मिलने वाला नहीं है। जब ये बातें आ गयीं देश के अन्दर और नाना प्रकार के राजनीतिक दल पैदा हो गये, तो ये राजनीतिक हमारे इन धर्म स्थानों को, पूजा के स्थानों को जो हमारा जीवन उत्कृष्ट बनाने के स्थान थे उनको सारे के सारों को इस दिशा में बढ़ाते जा रहे हैं, कभी कास्टीज्म के नाम से बिरादरी के नाम से या किसी और नाम से। इस देश के अन्दर सारी दुनिया के मजहबों को स्थान मिला और सब के धर्म स्थान यहां हैं और उनके पृथक पृथक मन्दिर आदि यहां बने हैं। लेकिन इस विचार धारा का परिणाम यह हो रहा है कि इस देश में राष्टीयता को कमजोर किया जा रहा है क्योंकि भिन्न भिन्न विचार के लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में लोगों को ले जाना चाहते हैं। इसी का परिणाम आपने देखा जबलपुर में और पीछे पंजाब में। आज वे धार्मिक स्थान जो कि मानवता को ऊंचा उठाने के लिए थे लड़ाई झगड़ों का स्थान बने हुए हैं और कातिल और बुरे लोगों को छिपाने के स्थान बने हुए हैं ।

यहां पर कहा गया है कि धर्म में राजनीति का भी स्थान है। मैं मानता हूं कि है, लेकिन कहां तक जहां तक कि संसार में मानवता को फैलाया जाए । आप ईसाई धर्म को ले लीजिए । महात्मा ईसा ने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो। उनका मतलब था कि संसार में शान्ति और एकता बढ़े । मुहम्मद साहब ने कहा कि संसार में एक ही खुदा है और हम उसके बच्चे हैं । वह चाहते थे कि संसार में भ्रातृभाव पैदा हो। हिन्दुस्तान में और भी जितने धर्म हैं उन्होंने भगवान को एक माना है और यह माना है कि हम सब उसके पुत्र हैं। तो जहां तक धर्म का सम्बन्ध है उसका उद्देश्य तो संसार में एकता लाना है, संसार में भ्रातृभाव पैदा करना और लोगों में समानता लाना था। लेकिन आज का धर्म तो रोटी धर्म हो गया है, रोटी मिले, आज मानवता का कोई प्रश्न नहीं है। चाहे किसी का गला काट कर मिले, किसी तरह रोटी मिले । जब इस किस्म की विचार धारा देश में है तभी धर्म का नाम ले कर लोगों को उकसाया जाता है और भड़काया जाता है। और देश की एकता को कमजोर किया जाता है । मैं समझता हूं कि यह बड़ी भयावह स्थिति है। अगर इसके सम्बन्ध में देश के अन्दर कोई विशेष पग नहीं उठाया गया तो इस देश के अन्दर जो राष्ट्री एकता है वह समाप्त हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि इस समय किसी किस्म का विधान बनाया जा सकता है या कानून बनाया जा सकता है लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि अगर इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो इस देश की राष्ट्रीय एकता समाप्त हो जाएगी ।

हिन्दुस्तान में पहले भी जहां तक धर्म का प्रश्न है, पूरी स्वतंत्रता थी अपने धर्म का प्रचार करने की और अपना अपना धर्म मानने की । लेकिन जहां तक राष्ट्रीयता का सम्बन्ध है उसमें धर्म किसी भी रूप में दखल नहीं दे सकता । अगर किसी धर्म स्थान का राष्ट्रीयता को भंग करने के लिए उपयोग किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में कड़ा कदम

उठाना चाहिये और इसकी रोकथाम करने के लिए जितना भी प्रयत्न हो सके करना चाहिये ।

प्रस्ताविक महोदय जो प्रस्ताव लाए हैं उनका विचार बहुत शुभ है। मैं नहीं जानता कि उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है क्योंकि अगर आज इसके लिए कानून बन गया तो लोग प्रोपेगंडा करेंगे कि सरकार धर्म में दखल देती है क्योंकि आज लोग इस प्रकार का प्रोपेगंडा करना अपना धर्म समझते हैं । इसलिए दोनों बातों को सोचना होगा । लेकिन राष्ट्रीय एकता के हित में इन धर्म स्थानों का दुरुपयोग रोका जाना बहुत जरूरी है ।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : जनाब चयरमैन साहब, यह प्रस्ताव जो श्री परू लेकर ने उस में रखा है निहायत ही जरूरी प्रस्ताव है । मेरी ख्वाहिश तो यह थी कि गवर्नमेंट खुद इस के बारे में कोई इनीशिएटिव लेती । लेकिन यह रिजोल्यूशन निहायत ही जरूरी है, जो पहले राज्य सभा में भी पेश हुआ और अब इस हाउस में पेश हुआ है । अगर इस रिजोल्यूशन की तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान न दिया और इस हाउस ने ध्यान न दिलाया, तो मेरी वार्निंग है, जोकि एक साल पहले भी मैं ने अपनी स्पीच में दी थी, कि आपकी डिमाक्रेसी और आपकी जम्हूरियत फेल हो जाएगी ।

जब केरल में मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजों को सयासी मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया उस वक्त वह एजीटेशन एक कानून से बनी हुई सरकार को हटान के लिए चलाया गया था । उसके लिए हाउस में कहा गया था कि वह मास अपसर्ज है । मैं ने उस वक्त भी वार्निंग दी थी और कहा था कि आप चाहे पोलिटिकल रीजन्स की वजह से इसको मास अपसर्ज कह दें लेकिन मंदिरों, मस्जिदों और गिरजो के इस तरह के इस्तैमाल को इजाजत दे कर आप तमाम कांस्टीट्यूशन और डिमाक्रेसी को खत्म कर रहे हैं । मैं ने एक साल पहले कहा था कि मेरी स्टेट पंजाब जो हिन्दुस्तान के दूसरे कौने पर है उसको केरल की गलतियों की कीमत देनी है पड़ेगी । आपने देखा कि रूलिंग पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट रिछपाल सिह को गिरफ्तार नहीं कर सकती । क्यूं कि उसने केरल में हिमाकत और गलतियां कीं और एक खास पालिसी अख्तियार की । दो तरह की पालिसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला सकती । ला ला है, वह केरल और पंजाब के लिए एक है । अगर केरल में मन्दिरों, मस्जिदों को और गिरजाघरों को एजीटेशन चलाने के लिए और लोगों को लड़ाने के लिए इस्तैमाल किया जा सकता है तो वही चीज पंजाब में भी चलेगी और आप गुरुद्वारों में घुस नहीं सकते । चाहे मन्दिर हो, या मस्जिद हो, या कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या हिन्दू महा सभा हो, सब के लिए कांस्टीट्यूशन फंडामेंटल है । सब के लिए एक कानून है । ,गर आप यहां बैठ कर एक कनवैशन बनाते हैं तो वह आप को पंजाब में भी फोलो करना होगा ।

वक्त कम है इसलिए मैं ज्यादा चीजों में जाना नहीं चाहता । पालिटिक्स को सब समझते हैं और रिलीजन को भी सब जानते हैं । रिलीजन वह चीज है जो इन्सान के लिए है । साइकालाजिस्ट कहते हैं कि बहुत से इंस्टिंक्ट हैं । हर इंस्टिंक्ट एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाता है, सैक्स लड़ाता है, हंगर लड़ाता है, हुकूमत में एम्बीशन फार पावर लड़ाता है । रिलीजन का ही तो ऐसा इंस्टिंक्ट है जो इन्सान को मुहब्बत करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है । लेकिन जब इबादतगाहों को भी लोग लड़ाने के लिए इस्तैमाल करने लगें तो समझना चाहिये कि पालिटिक्स मजहब पर सवार हुई चली जा रही है । इसमें कोई

[श्री प्रो० सिं० दौलता]

लम्बा चौड़ा फिलासाफिकल डिसकशन करने की जरूरत नहीं है । वे लोग जो आज पालिटिक्स को इबादतगाहों में ले जाते हैं वे मेरे फंडामेंटल राइट पर छापा मारते हैं । जो लोग परमात्मा का नाम लेने के बजाए इबादतगाहों में मेरा या किसी पोलिटिकल लीडर का स्लोगन बोलते हैं, वे लोग मजहबी फंडामेंटल राइट पर छापा मारते हैं । गवर्नमेंट को कानून लाना चाहिए और इस चीज को बचाना चाहिए । जो लोग मन्दिरों में और इबादतगाहों में जायें वे परमात्मा की जै बोलें इन लोगों की नहीं ।

एक सवाल और है । इसको मेरे लायक दोस्त ने उठाया था । पिछल ६ महीने से सेक्शन १४४ आबसोलीट हो कर रह गया है । यह सेक्शन १४४ केरल से बेकार किया जाना शुरू किया गया था जहां पर कि गवर्नमेंट ने दफा १४४ को मजहबी दस्तगाहों में तोड़ने पर कोई कदम नहीं उठाया । मेरा तो कहना है कि ऐसी हालत में और जब गवर्नमेंट ला एन्ड आर्डर नहीं कर सकती तो उसे रिजाइन कर देना चाहिये ।

अब पंजाब की बाबत मैं आपको बतलाऊं और चेयरमैन साहब यह बड़ी सीरियस चीज है। वहां पंजाब में दफा १४४ लगाई गई कि मर्दमशुमारी के ईश्यु पर कोई जल्सा और प्रोपेगेंडा नहीं कर सकेगा तो लोगों ने मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जल्से करने शुरू कर दिये और उसके खिलाफ पुलिस अफसरान ने जो कदम उठाया और औफैंडस को गिरफ्तार किया तो बाद में जाकर उसके लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ी कि उनसे गलती हो गई कि मन्दिरों में पुलिस गयी । अब अगर यही हालत रहती है तो इससे तो यह बेहतर होगा कि दातार साहब इस्तीफा देकर रास्ता पकड़ें । अगर हुकूमत में रहते हैं तो फिर यह उनका फरज होता है कि उन लोगों को जो कि मजहबी इबादतगाहों का इस तोर से बेजा इस्तेमाल करें उन्हें पकड़ें और सजा दिलायें । अब केरल में तो सियासी गरज थीं लेकिन अब तो आप की अपनी गरज है कि आप लोगों को गिरफ्तार करें और सजा दिलायें जोकि मजहबी इबादतगाहों का सियासी मकसदों और दूसरी बेजा कार्य-वाहियों के वास्ते इस्तेमाल करें वरना इस दफा १४४ के सिविल प्रोसीज्योर कोड में रखने से कोई फायदा नहीं है और उसे निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री हेमराज (कांगड़ा): सभापति महोदय, यह रेजोलूशन हमारे एक विरोधी दल के सदस्य ने पेश किया है लेकिन उसूली तौर पर अगर यह दुरुस्त हो जैसा कि मैं समझता हूं कि यह ठीक है तो हमें सब को इसको सपोर्ट करना चाहिए ।

मैं भी इस प्रस्ताव को कई मर्त्तबे पेश कर चुका हूं लेकिन भाग्यवश मेरा नम्बर बलेट में नहीं आया लेकिन अब चूंकि यह प्रस्ताव गागया है और सदन में इस पर बहस शुरू हो गई है इस लिए मैं इसको सपोर्ट करता हूं ।

पहला सवाल श्री अमजद अली ने इसके मुतालिक यह किया कि मजहब और पोलिटिक्स का दखल तो आपस में हमेशा से चला आता है । इसके बाद माननीय त्यागी जी ने भी कहा कि हम भी इस चीज के जिम्मेदार थे और उन्होंने उस समय की याद दिलाई जब कि हम अंग्रेज सारामजयशाही से लड़ा करते थे । मेरा इसके बारे में उनसे कहना यह है कि उस वक्त अंग्रेजों ने कानून बनाये थे और उस समय आपने अपना कांस्टीटयुशन नहीं बनाया था । उस

वक्त सैकुलरिज्म को आपने नहीं रक्खा था। लेकिन आगे चल कर जब हमारी अपनी कांस्टीटुएट असेम्बली बनी और उसने आजाद हिन्दुस्तान का आईन बनाया तो उसमें खास तौर से इस चीज को रखा गया कि यहां जो भी डेमोक्रेसी होगी वह सैकुलर किस्म की होगी और उसमें मजहब का कोई दखल नहीं होगा। उस वक्त आप अगर चाहते तो आप अपनी उसी पुरानी परम्परा जिस पर कि चले आ रहे थे अपने आईन में रख सकते थे। आप भी तो कांस्टीटुएंटी असेम्बली में थे और आप उस वक्त यह रख तेले कि हमारे यहां मजहब और पालिटिक्स का सीधा सम्बन्ध है और हमारे देश में सैकुलरिज्म और डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। आप अपने सविधान में सैकुलरिज्म और डिमाक्रेसी के उसूल को मान चुके हैं फिर यह एतराज कि पालिटिक्स और रिलीजन जुदा नहीं हो सकते कुछ समझ में नहीं आता। आपका यह कहना हमारी समझ में नहीं आता कि रिलीजन और पालिटिक्स की जुदा डेफनीशन नहीं है।

हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुए हैं, महर्षि हुए हैं उन सब ने यही कहा है कि हमारा इबादतगा में जाने का मकसद यह है कि वहां पर जा कर हम अपने खुदा का, परमात्मा का नाम लें, सिक्ख गुरुद्वारों में जाकर वाहगुरू जी का नाम लें। इबादतगाहों में इंसान को इंसानियत सिखाई जाती थी। वहां पर शांति और एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सिखाया जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में पालिटिक्स धुस गई है जो कि नहीं आनी चाहिए। अब चूंकि जब हम साम्राज्यशाही से लड़ रहे थे तो इन इबादत-गाहों से पालिटिक्स भी चलती थी इस लिए आज आप इस चीज को जायज करार देते हैं तो मेरा कहना है कि आज के बदले हुए हालात में जबकि हमने सैकुलरिज्म और डैमोक्रसी को माना है, यह दुरुस्त और जायज नहीं होगी और मैं नहीं समझता कि आप जो इस चीज को जायज करार देने की दलील दे रहेहैं वह किसी हद तक जायज हो सकती है। जैसा मेरे भाई दौलता जी ने कहा कि आज वह इबादतगाहें मुनासिब ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं और वह हमारी कलप्रिटस की आरामगाहें बन रहीं हैं। अंग्रेजी टाइम्स में भी अंग्रेज लोग जबकि हम लोग रावल-पिंडी जेल में बंद थे तो वह हमारे खिलाफ इन मस्जिदों में साजिशें करते थे और वहां पर दंगे करवाये गये और वह दंगे मस्जिदों से शूरू होते थे। हम लोग उन दिनों रावलपिंडी जेल में कैद थे और अंग्रेज लोग इन्हीं मस्जिदों से दंगे करवाते थे और उसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा भी देती थी। उस वक्त कुछ हमारे नौजवान आगे बढ़ते थे और उन फसादात को रुकवाते थे। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो रेजोलशन आज हाउस के सामने पेश है यह निहायत जरूरी है और इसको मैं उन्हीं के लफ्जों में पेश करूंगा जोकि उन्होंने ब्रह्मण को खिताब करते हुए लिखा है : —

"आपस में बैर रखना तूने बतों से सीखा, जंगोजदल सिखाया वाज को भी खुदा ने।
तंग आके मैंने आखिर देरों हरम को छोड़ा, वाहज का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फिसाने ।।
सोई पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, एक नया शिवाला इस देश में बना लें।
शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीति में है।।"

मजहब प्रीति करना सिखाता है लेकिन पालिटिक्स लड़ना सिखाता है। इसलिए त्यागी जी को ज्यादा डेफनीशन की जरूरत नहीं है। पालिटिक्स हमेशा लड़ना सिखायेगी। अब अगर इबादतगाह में जाकर कोई पालिटिक्स करता है और लड़ाई करता है तो उसको रोकना चाहिए और उसको कानून बना कर उसको कानून की गिरफ्त में लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोलूशन को सपोर्ट करता हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : मेरा निवेदन है कि धार्मिक अथवा पूजा के स्थानों का राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने के मामलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। चुनावों के काम में ऐसे स्थानों का उपयोग करने का प्रभाव यह होता है कि निर्वाचकों पर कुछ न कुछ धार्मिक प्रभाव अवश्य हो जाता है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर चुनावों के कामों में धार्मिक अथवा पूजा के स्थानों के उपयोग पर रोक लगा देनी चाहिए।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर): जनाब चेयरमैन साहब मैं इस प्रस्ताव की हिमायत करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि हमारे मुल्क में मस्जित, मन्दिर, गुरुद्वारा, गिरजा, इन सब की इज्ज़त होनी चाहिए, उन का एहतराम होना चाहिए सिर्फ़ उस हद तक, जिस हद तक कि कानून, शराफत और खुद मज़हब इजाजत देता हो। हमारे सामने ऐसी कई मिसालें हैं कि जब इस्लाम की हुकूमतें खुद इस्लामी मुमालिक में बरसरे-इक्तदार थीं और चन्द ताकतें इस्लामी हुकूमतों के ख़िलाफ़ बग़ावत फैलाने की कोशिश करती थीं, या ख़लीफ़ों के खिलाफ़ तहरीक चलाती थीं, उस वक्त भी उनका मुकाबला करते हुए हुकूमत ने यह बात मद्दे-नज़र नहीं रखी कि मह मस्जिद है और इबादतगाह है, बल्कि यह एलान किया कि मस्जिद को कानून और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न किया जाये।

यहां दो रायें हैं। श्री त्यागी ने फ़रमाया है कि लोगों को, अगर वे चाहें, इस बात की इज़ाजत देनी चाहिए कि वे वहां तक़रीरें करें, लेकिन अगर वे किसी तरीके से कानून की ख़लाफ़-वर्ज़ी करते हैं, बम चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लोगों पर बोतल फेंकते हैं, तो हम को यकीनन उन लोगों को गिरफ्तार करने का हक होना चाहिए। हमारे पास एक मिसाल है पंजाब की, जब सर सिकन्दर हयात खां यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर थे और वहां के वज़ीरे-आज़म थे और शहीदगंज का मसला हमारे सामना आया।

श्री प्र० सिं० दौलता : मैं उस वक्त यूनियनिस्ट पार्टी का सैक्रेटरी था।

श्री अ० मु० तारिक : उस वक्त शहीदगंज का मसला निहायत भयानक सूरत अख़्तयार कर गया, जिस से पाकितान बनने में काफ़ी मदद मिली। उस वक्त मुसलमानों ने शहीदगंज के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई कि यह गरुद्वारा नहीं, बल्कि मस्जिद है। जैसा कि आप जानते होंगें, मुस्लिम लीग अपने पालिटिक्स की वजह से उस में दख़ल नहीं दे सकी और उस वक्त ख़ाकसार आगे आये। ख़ाकसारों की जमाअत एक बाकायदा फ़ाशिस्ट किस्म की जमाअत थी। उन के पास तलवारें, बेलचे और बन्दूकें होती थीं, जिन का इस्तेमाल वे जायज़ समझते थे। उन लोगों ने तहरीक के दौरान में मस्जिद में पनाह ली और मस्जिद के अन्दर से उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस वक्त सर सिकन्दर हयात खां ने यह हुक्म दिया कि पुलिस मस्जिद के अन्दर जाये और उन लोगों को ज़िन्दा या मुर्दा पकड़ कर लाये। इस का नतीजा यह हुआ कि पुलिस और फौज वहां गई और तकरीबन मुझे पूरी तरह याद नहीं है--सत्तर या अस्सी ख़ाकसार बैंकवक्त अन्दर मारे गये और इस के नतीजे के तौर पर सारे मुल्क में अमनो-अमान हो गया, कोई हिन्दू-मुस्लिम फ़साद नहीं हुआ, किसी को शरारत करने की जुर्रत नहीं हुई।

उस ज़माने में सर सिकन्दर हयात खां वाहिद आदमी थे, जिन्होंने उस वक्त मुहमद अली जिन्नाह को टेलीफ़ोन पर वार्न किया कि अगर आप पंजाब में आकर पाकिस्तान, मुस्लिम लीग या

†मूल अंग्रेजी में

मज़हब के नाम पर कोई तहरीक चलायेंगे, तो मैं, जो आप का साथी हूं, यकीनन आप को गिरफ्तार करने से दरेग़ नहीं करूंगा, इस लिये बराये मेहरबानी आप पंजाब में न आइये। यह ठीक है कि यूनियनिस्ट पार्टी से हमारा इख़्तलाफ़ था, लेकिन उस की हुकूमत ने जिस शिद्दत और जिस सख्ती से पंजाब के अमनो-अमन को क़ायम रखा, हम यकीनन उस से कुछ सीख सकते हैं।

हमारे सामने दिल्ली के गरुद्वारे की मिसाल मौजूद है। रछपाल सिंह को मैं जानता नहीं हूं। मैंने सुना है कि वह इतना मज़बूत और सख्त आदमी भी नहीं है। पुलिस आठ महीने तक उस को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अन्दर से बोतलें फेंकी जाती रहीं, पत्थर फेंके जाते रहे। अक्सर हम देखते हैं कि जामा मस्जिद के सामने बम पड़ रहे हैं--मालूम नहीं मस्जिद से पड़ रहे हैं, या गली से आ रहे हैं, या कहां से आ रहे हैं—लेकिन पुलिस किसी को पकड़ नहीं सकी। वह पिछले तीन साल से यह साबित नहीं कर सकी कि वहां पर जो दस बहार बम फेंके गये, वे किस ने फेंके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : (हिसार) : कोई कानूनी रुकावट तो नहीं है।

श्री अ० मु० तारिक : उन को मस्जिद में परस्यू किया जाये, अगर वे वहां छिपे हों।

श्री त्यागी (देहरादून) : लेकिन जब मस्जिद को सैंक्टुअरी बना देंगे, तो क्या होगा?

श्री अ० मु० तारिक : कौन? हुकूमत? वही मैं कह रहा हूं।

अक्सर गुंडों, लफ़ंगों, चरसियों, शराबियों, बदमाशों और जेबकतरों की पनाहगाह खुदा का घर है। जब पुलिस उन को कन्टेक्ट करती है, तो मस्जिद, मन्दिर और गुरुद्वारे में ही। वहीं कमीशन का हिसाब होता है और वहीं कमीशन वसूल होता है। मस्जिद, मन्दिर और गिरजा का एहतराम लाज़िमी है, लेकिन जहां तक कानून का ताल्लुक है, उन पर गिरफ्त रखनी चाहिए।

इन अलफ़ाज़ के साथ मैं इस तहरीक की हिमायत करता हूं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय यह तो सत्य है कि मन्दिर, मस्जिद और गिरजा आदि पूजा के स्थान है, जिनमें पूजा होनी चाहिय, आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध कायम रखने के लिये विभिन्न धर्मों में जो रीतियां निर्धारित हैं, उनका पालन होना चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उनमें राजनीति चल पड़ी है। जो लोग मैदान में आकर अपनी राजनीति चलाने के लिये अपने को कमजोर समझते हैं, जो मैदान में खड़े होकर अपनी बात को नहीं कहना चाहते हैं, वे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये मन्दिरों को प्रयोग कर के लोगों को बरग़लाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। किन्तु मैं यह भी समझता हूं कि जो हमारे कानून हैं, हमें उनका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिये और देखना चाहिये कि अगर उनमें कोई कमी या खामी है, तो हमें उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि किस तरह एक आदमी पूजा के स्थल को अपवित्र करता है। अपवित्र करने की बात दूसरी तरफ से कही जाती है, किन्तु मैं तो समझता हूं कि वह आदमी पूजा के स्थल को अपवित्र करता है, जो वहां बैठ कर पूजा करने के बजाय उसमें राजनीति चलाता है। राजनीति चलाने का मतलब यह है कि पूजा के स्थान का जो उद्देश्य है, उसके बजाये दूसरे अवांछनीय कार्य करके उस को अपवित्र किया जाये। लेकिन आज यह हो रहा है कि जो उसको पवित्र करते हैं, उसको उसी धर्म की पूजा करने वाले, उसी धर्म के, उसी सम्प्रदाय के लोग ऐसा करने देते हैं। दूसरी तरफ हालत यह है कि अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो नारा

[श्री नवल प्रभाकर]

लगाया जाता है कि इस मन्दिर को, इस मस्जिद को, इस गुरुद्वारे को, इस गिरजाघर को अपवित्र कर दिया गया . . .

श्री त्यागी : नारे क्यों सरकार डरती है, कानून को वह पूरा करे ।

श्री नवल प्रभाकर : सवाल यह पैदा होता है कि इस समय जो कानून है उसमें हम क्या कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि जैसा कहा गया है, हम कार्रवाई कर सकते हैं । क्या आपने किसी पुलिसमैन को, जो मन्दिर में पूजा करने के लिये जा रहा होता है, उसको रोकते हुए कभी देखा है ? मैं समझता हूं कि आपने कभी नहीं देखा हो । मैंने तो कभी नहीं देखा है कि उसको किसी पुलिसमैन ने रोका हो, न मन्दिर में जाने से, न गुरुद्वारे में जाने से और न ही मस्जिद में जाने से

मैं चाहता हूं कि जो मौजूदा कानून है, उसके द्वारा हमें देखना चाहिये और साथ ही साथ समाज को भी देखना चाहिये कि जिस उद्देश्य के लिए गुरुद्वारे, मन्दिर मस्जिद या गिरजाघर बनाये गये हैं वे उसी उद्देश्य के लिये रहें और अगर उनमें किसी प्रकार की राजनीतिकता आ जाती है तो समझ लेना चाहिये कि उस मन्दिर की या उस मस्जिद की या उस गुरुद्वारे की पवित्रता कायम नहीं रह गई है ।

†**डा० मा० श्री अणे** : यह संकल्प बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे बहुत ही उचित समय में प्रस्तुत किया गया है । इस दिशा में मेरा मत यह है कि राज्य तथा धार्मिक संस्थाओं की अपनी अपनी भूमिका की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये । इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिये कि पूजा स्थानों का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिये नहीं होगा । साथ ही यह व्यवस्था भी कर देनी चाहिये ताकि यह कार्य वास्तविक रूप में भी न हो सके । आने वाले आम चुनावों के समय इन बातों का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिये ।

मैं संकल्प के प्रस्ताव का आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत कर बड़े महत्वपूर्ण विषय पर देश का ध्यान आकृष्ट करवाया है । मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री भी इस बात की ओर समुचित ध्यान देंगे ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने काफी अच्छी बहस की है । इस बात को जान कर मुझे खुशी हुई है कि सभी सदस्य एकमत से यह कामना करते हैं कि धर्म स्थानों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । संकल्प का उद्देश्य भी यही है । अतः जहां तक इसके सिद्धान्त का प्रश्न है, हम इसे पसन्द करते हैं ।

इसके बाद मैं श्री त्यागी जी के इस विचार से भी सहमत हूं कि क्या इस संसद् को इस विषय में कार्यवाही करनी चाहिये या इस विषय को विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की सद्वृत्ति पर ही छोड़ दिया जायें । समाज स्वयंमेव वातावरण को पवित्र करे । माननीय मित्र का यह सुझाव पढ़ कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि ऐसे मामलों में हमें आत्म निरीक्षणकी भावना से काम करना चाहिये और राजनीति का काम केवल उन्हीं लोगों को चलाना चाहिये जो देश के हित को निजी हितों से नितान्त सर्वोपरि समझ कर काम करते हों ।

यद्यपि हमें संकल्प का सिद्धान्त मान्य है तथापि इसे स्वीकार करने में हमारे समक्ष कठिनाइयां हैं । आप जानते हैं कि धार्मिक संस्थाओं आदि का विषय समवर्ती सूची में अटेठाइसवें नम्बर पर आता

---

†मूल अंग्रेजी में

है। यद्यपि समवर्ती सूची में दरज मामलों के बारे में संसद् कानून बना सकती है तथापि सिद्धान्तों और प्रथाओं के अनुसार, जिन पर हम चलते रहे हैं, हमने यही आचरण ठीक समझा हुआ है कि जहां तक सम्भव हो इन बातों को राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाय और विधान-मण्डलों के सदस्य ही इनके बारे में अपने क्षेत्रों में कार्यवाही करायें। हम कार्यवाही तभी करते हैं जब कोई राज्य ऐसी प्रार्थना करे लेकिन उसमें भी सांवैधानिक सीमायें हैं। इसलिये दण्ड विधि तथा समवर्ती सूत्री के विषयों का काम हम राज्य सरकारों पर ही छोड़ना श्रेयस्कर समझते हैं और यह नीति है भी स्वस्थ। राज्य सरकारें केन्द्र से प्रार्थना कर सकती हैं और अपनी सभा में कानून पेश कर सकती हैं। पिछले दिनों जब हमने दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कराया उस समय हर अवस्था में हमने राज्य-सरकारों से परामर्श लिया है। अतः यह प्रश्न केवल टैक्नीकल ही नहीं अपितु एक स्वस्थ परम्परा के पालन का भी प्रश्न है। अतः इस सम्बन्ध में मैं इतना करूंगा कि यहां माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनका सारांश परिचालित करा दूंगा ताकि सम्बद्ध राज्यों की विधान-सभाएं उन पर विचार करें और यथेष्ट काम हो। इस तरह से उनके सामने सबकी राय होगी।

जहां तक संघीय क्षेत्रों का सवाल है, सिवाय दिल्ली के यह चीज़ कहीं नहीं उठी और उसके बारे में श्री त्यागी काफी जोर से बोले हैं जिसका आधार समझ में आता है। किन्तु अन्य क्षेत्रों में यह चीज़ इतनी जोर से नहीं उठी अतः इस सम्बन्ध में कानून बनाना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। पंजाब में अवश्य ऐसा विवाद हुआ। केरल राज्य में भी ऐसा विवाद उठा था। देश में कभी कभी दंगे फिसाद जरूर होते हैं परन्तु प्रश्न तो यह पैदा होता है कि क्या हमें ऐसा निषेधात्मक कानून बनाना चाहिये।

इन आरम्भिक बातों के साथ क्या मैं इस संकल्प का हवाला दे सकता हूं जिसकी भाषा अस्पष्ट है। कहा गया है कि "इस सभा की यह राय है कि सरकार को ऐसा उपयुक्त कानून पेश करना चाहिये जिससे धार्मिक पूजा के स्थान और यात्रा स्थलों को राजनैतिक प्रचार या प्रदर्शन के लिये इस्तैमाल न किया जा सके।"

इससे पहले भी हम कैथोलिक पादरियों की गतिविधियों आदि की समस्या पर चर्चा कर चुके हैं। किन्तु यहां केवल धार्मिक स्थानों को ही शामिल नहीं किया जा रहा वरन् यात्रा स्थल भी साथ ही मिलाये जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इससे समस्या कितना विराट रूप धारण कर लेगी।

हरिद्वार या प्रयाग में कुम्भ मेला होता है जिसमें लाखों यात्री जाते हैं। इनके बारे में कानून बनाने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। इन मेलों में जो लोग जाते हैं वे सामान्यतया धार्मिक कारणों से जाते हैं। वहां भी अनेक कार्यक्रम भी होते हैं। सभाएं होती हैं। सामान्यतः धार्मिक सभाएं ही अधिक होती हैं। अतः उनके बारे में कानून बनाना उचित नहीं है।

दूसरी कठिनाई वह है जिसका उल्लेख श्री अमजद अली और अजित सिंह सरहदी ने किया है। "राजनीतिक प्रचार और प्रदर्शन" की परिभाषा भी विवादास्पद होगी। खैर सामान्य प्रचार की बात तो ठीक है किन्तु प्रदर्शन की बात के बारे में क्या कहा जाय। यहां आपको "राजनीति" शब्द का अर्थ भी स्पष्ट रूप से समझना होगा। किन्तु राजनीति का सम्बन्ध अधिकतर समाज से ही है। अतः समाज ही इस को ठीक से आंक सकता है। अभी अभी श्री त्यागी बता रहे थे कि समूचे समाज को कैसे भीतर से ही सुधार करने चाहियें। मुझे श्री गोपाल कृष्ण गोखले के कहे हुए वाक्यों की स्मृति हो आयी है। जब उन्होंने सर्वेंट्स आफ इण्डिया सोसाइटी शुरू की उनका एक उद्देश्य यह था कि सार्वजनिक जीवन में अध्यात्म तत्व का समावेश किया जाय। हमें भी ऐसा ही करना होगा। हम दुनियावी कामों को इस तरह निरपेक्ष हो करें कि उनसे अधिक आसक्ति हमें न हो। निस्पृहता का तत्व इसमें

सम्मिलित होना चाहिये । इस लिये मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे तो कुरान में भी राज्य नीति का अंश है किन्तु वह राजनीति उच्चकोटि की है---ऐसी नहीं जिसके पीछे हम लोग यादा कदा बहुत ही नीचे उतर आते हैं । इन सब चीजों के अलावा राजनीति का दर्शन भी तो है । अतः धार्मिक संस्थाओं को इसी प्रकार का आचरण करना चाहिये क्योंकि संविधान के आधार पर शिक्षण संस्थायें भी वे चला सकते हैं ।

अतः जहां तक राजनीतिक दर्शन का सम्बन्ध है उस के साथ उस का अवांछनीय पहलू भी संयुक्त रहता है । अतः उस बात पर विचार कर के स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना ही युक्तियुक्त है ।

मैं माननीय प्रस्तावक पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता । केवल इतना ही कहूंगा कि उन्हों ने चर्चा के दौरान केवल कैथोलिक वर्ग का ही उल्लेख किया है । उन्हों ने अपने भाषण में कुछ धार्मिक व्यक्तियों की बातें कही हैं । ऐसे लोगों को बड़े ध्यान से कदम रखने चाहियें ।

मैं चुनाव की बात का भी उत्तर दूंगा । धर्मों में भी तो आखिर विचारधारा की ही विभिन्नता है । माननीय मित्र के दल के प्रचार केवल राजनैतिक बातों तक ही सीमित नहीं ; उन का जीवन सम्बन्धी दर्शन भी तो है । जो लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं उन्हें वह चीज स्वीकार भी नहीं हो सकती ।

उदाहरणार्थ यदि वे यह समझते हैं कि साम्यवादी सिद्धान्त उन के धर्म के विपरीत हैं तो उन सिद्धान्तों के विरुद्ध संघर्ष करना उन का धार्मिक कृत्य है । साम्यवाद का उल्लेख मैं उदाहरण मात्र के लिये कर रहा हूं ।

अतः जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे मार्ग में कठिनाई है । परन्तु यदि कोई राज्य ऐसा समझता है कि वहां पर निस्सन्देह धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन की अवगणना हो रही है तो वह ऐसा कानून बना सकता है । यह ज्यादा सारवान मामला नहीं है । राज्य सरकारें ही प्रशासन का संचालन कर रही हैं । जहां उन्हें कठिनाइयां होती हैं वहां हम उन की सहायता करते हैं । इस कारण यदि कोई राज्य ऐसा समझे कि एक विशेष धर्म के लोग अपने धर्म स्थानों को गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन की रोकथाम का समय आ गया है तो वह समवर्ती सूची की अट्ठाइसवीं मद के अनुसार कार्यवाही कर सकता है ।

हमें यह सिद्धान्त मान्य हैं किन्तु मैं संकल्प को मानने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख कर रहा हूं ।

हमारे रास्ते में सांवैधानिक कठिनाइयां हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता । हम प्रथाओं का पूरा पालन करते हैं और राज्यों का उल्लंघन नहीं कर सकते । राज्यों को इस सम्बन्ध में कानून बनाने की छट है । हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह चीज संविधान के मूलभूत अधिकारों के विपरीत न होगी ।

†**श्री दातार** : मूलभूत अधिकारों के साथ ही हमें नैतिकता और व्यवस्था का भी तो ध्यान रखना है । माननीय मित्र को यह चीजें ज्ञात हैं कि क्योंकि वह संविधान-सभा में भी तो थे ही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये स्थिति की वास्तविकता को जानने वाली राज्य सरकारें ही इन मामलों के लिये ठीक कानून बना सकती हैं ।

†**श्री नलदुर्गकर** : क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि संसद इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सक्षम नहीं है ।

†**श्री दातार** : मैं ने बताया है कि यह विषय समवर्ती सूची का है । हम भी और राज्य भी इस सम्बन्ध में कानून बना सकते हैं । हमें प्रथाओं के कारण काफी कठिनाइयां हैं और राज्य कानून बना ही सकते हैं । हम राज्यों की स्वायत्तता का काफी सम्मान करते हैं ।

माननीय मित्र ने चुनावों का प्रश्न उठाया किन्तु मैं उस विशेष मामले का उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि फैसले की तहरीर मेरे पास नहीं है । मैं ने लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा २४ या २५ का उल्लेख भी किया था । उस में "अनुचित प्रभाव" शब्द की व्याख्या की गई है । उस में यह बताया गया है कि यदि किसी विशेष उम्मीदवार का चुनाव अनुचित प्रभाव से हो तो वह अमान्य समझा जायगा । उस की परिभाषा करते समय उन लोगों में विभिन्न प्रकार के प्रभावों का उल्लेख किया है । एक प्रभाव शायद जात बिरादरी से बाहर निकालने की धमकी देने का भी है ।

उदाहरणार्थ यदि मैं किसी धर्म विशेष का संत या कार्यकर्ता होने की हैसियत से यह कहूं कि यदि हमारे धर्मावलम्बियों ने विरोधी-धर्म के सदस्य का समर्थन किया तो उसे नर्क मिलेगा और वहां उसे अनेक यातनायें भुगतनी पड़ेंगी, तो मेरा ऐसा कहना अनुचित प्रभाव डालने के बराबर होगा ।

अतः चुनावों के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम काफी संतोषजनक है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : ऐसे अनेक मामले केरल में हुए हैं ।

†**श्री दातार** : माननीय मित्र ने एक मामला ही बताया और उस में भी निर्णय सफल उम्मीदवार डा० बी० सी० राय ही के पक्ष में हुआ । फैसले में लिखा है कि गैर-कानूनी प्रभाव नहीं डाला गया ।

†**श्री इंद्रजीत गुप्ता** : मैं अनेक मामले बता सकता हूं ।

†**श्री दातार** : जब वह बतायेंगे हम विचार करेंगे । इस आश्वासन की दृष्टि से आशा है, कि माननीय सदस्य संकल्प पर आग्रह नहीं करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने सभी धर्म स्थानों को ऐसा घोषित करने का फैसला किया है कि जहां से किसी को बन्दी नहीं बनाया जायगा या यह बात केवल इसी गुरुद्वारे के लिये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : दंड विधि काफी ठोस है और व्यापक कार्यवाही इसी के अन्तर्गत की जा सकती है । कानूनी आदेशों का पालन आवश्यक ह और कानून से कहीं भी जा कर कोई नहीं बच सकता । अपराध करने वाला वहां जा कर भी बच नहीं सकेगा ।

†**श्री प्र० सिंह० दौलता** : मूलभूत अधिकारों को कौन लागू करता ह ?

†**श्री दातार** : क्या काल्पनिक बातों का उत्तर भी देना होगा ?

†**श्री प्र० सिं० दौलता** : यह स्पष्ट चीज है । गुरुद्वारे हिन्दुओं और सिक्खों दोनों के लिये थे परन्तु अब उन में हिन्दू नहीं जा सकते ।

†**श्री दातार** : मूलभूत अधिकारों की रक्षा केन्द्र को और राज्यों को करनी पड़ती है । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इस पर संविधान लागू होगा या स्थानीय रिवाज़ । यदि माननीय सदस्य हमें कोई चीज बतायेंगे तो हम राज्य सरकार का ध्यान उस पर दिला देंगे ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की यह राय है कि धार्मिक पूजा और तीर्थ-यात्रा का स्थानों का राजनैतिक प्रचार और आंदोलन के लिये प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार को उचित विधान पेश करना चाहिये ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

सरकारी कर्मचारियों को कार्मिक संघ संबंधी कार्यवाहियों के बारे में संकल्प

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"इस सभा की यह राय है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्मिक संघ की कार्यवाहियों के लिये दण्ड न दिया जाये और जब कभी कार्मिक संघ का काम करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने का विचार हो, तो ऐसे मामले संविधान में बताये गये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए जांच और सलाह के लिये लोक सेवा आयोग को सौंपे जायें ।"

हम में से कई सदस्य जिन का कार्मिक संघों से सम्पर्क रहा है, उन का अनुभव है कि केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, उन के मामलों की उचित सुनवाई होनी चाहिये ; अन्यथा बहुत से कमचारियों के वि रुद्ध केवल इस कारण से कार्यवाही कर दी जाती है कि कोई विशेष अधिकारी उन से अप्रसन्न । यहां पर मैं प्रत्येक व्यक्तिगत मामले का निर्देश नहीं कर सकती हूं क्योंकि उस पर मंत्री महोदय आपत्ति कर सकते हैं, तथापि मैं यह बता देना चाहती हूं कि गृह मंत्री के कार्यालय में ऐसे कई मामले होंगे जो कि वर्षों से निलम्बित पड़े हों ।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने से मेरा आशय यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रतिशोध या अत्याचार से मुक्ति मिल सके । तथा वह भी अपने मामल में लोक सेवा आयोग की सलाह ले सकें, जो उस पर निष्पक्षता से निर्णय करे । मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री इस

†मूल अंग्रेज़ी में

संकल्प की भावना के प्रति अपना मत देवें केवल यह कह कर न टाल देवें कि इस संकल्प की शब्दावलि उचित नहीं है ।

अभी हाल इस प्रकार के कई मामले हमारे समक्ष आये हैं । विशेषतः जुलाई मास की केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के पश्चात् से ऐसे कई मामले हुए हैं जिन से यह प्रगट होता है कि अधिकारी लोग कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने कार्मिक संघों में भाग लिया प्रतिशोधात्मक व्यवहार कर रहे हैं । यद्यपि गृह मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने यह आश्वासन दिया था कि हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के साथ नर्मी का व्यवहार किया जायेगा, तथापि इस आश्वासन का सभी कर्मचारी संघों ने स्वागत किया, तथापि ऐसे अनेक मामले हैं जहां पर कि अधिकारियों ने कर्मचारियों की अपीलें ऊपर तक भेजी भी नहीं हैं, यह कर्मचारियों को परेशान करने का एक तरीका है जिस के द्वारा एक अधिकारी एक अवांछनीय कर्मचारी को संकट में डाल सकता है । इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण दे सकती हूं । डाक विभाग का एक खंड मंत्री जब एक उच्च अधिकारी के पास क्षमा याचना करने गया तो उस ने कहा कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है क्योंकि उस ने मेरे पास आने में इतना विलम्ब लगाया है यदि वह सीधा उस के पास पहुंचता तो वह अधिकारी यह कहता कि तुम सीधे मेरे पास क्यों चले आये ।

एक अधिकारी ने अपने अधीन कर्मचारियों से यह कहा था कि वे भोले भाले दक्षिण भारतीय हैं, उन्हें फुसलाया गया है, वे पिछड़े हैं, तथा उत्तर भारतीय कहीं अधिक अच्छे होते हैं, इत्यादि । इस प्रकार इन अधिकारियों के द्वारा आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया जाता है । जबकि सरकार के सभी मंत्री लोग देश की एकता की बातें करते हैं तो एक अधिकारी द्वारा इस प्रकार की बातें कहना अनुचित हैं जिस से उन की भावनाओं को ठेस लगे ।

जब उक्त अधिकारी के समक्ष कार्मिक संघ के अधिकारियों ने क्षमा याचना फार्म पर हस्ताक्षर किये तो उस ने कहा था "तुम कायर हो यदि तुम कहते कि तुम्हें हड़ताल में भाग लेने पर गर्व है तो मैं तुम्हारा अधिक आदर करता, तुम मेरे सामने से हट जाओ ।"

राजस्थान में महालेखापाल के कार्यालय में कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादतियां की की गयी हैं । सितम्बर १९६० में वहां के तीन कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया था और उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे असैनिक लेखा परीक्षा और लेखापाल कर्मचारियों क संघ के पदाधिकारी हैं । मेरे विचार से यह आरोप लगाना अनुचित है, क्योंकि संविधान के अधीन सभी कर्मचारियों को अपने संघ बनाने का अधिकार है । उक्त अधिकारी ने एक सूची बनाई है जिसका प्रत्येक कर्मचारी को पालन करना होगा । जैसे जिस मार्ग से उसकी कार जाती हो वहां से कोई कर्मचारी न जाये । या जहां से वह गुजरता हो वहां कम से कम बारह कर्मचारी हाथ बांधे खड़े रहें इत्यादि । इन मुअत्तिल कर्मचारियों ने सभी मंत्रियों से अपील की लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला है ।

गृह मंत्री ने ६ सितम्बर १९६० में सभा में यह आश्वासन दिया था कि विभागीय कार्यवाही केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध की जायेगी जिनपर ध्वंसात्मक कार्यवाहियां करने या दुराचारण का आरोप सिद्ध होगा । २१ जुलाई १९६० को जारी किये गये एक परिपत्र में दुराचरण की व्यवस्था की गयी थी उसके अनुसार पटरियों पर लेटना, पुतला जलाना, गंदे नारे लगाना और बलपूर्वक धरना देने को दुराचरण कहा गया था । इस आश्वासन तथा इस परिपत्र से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली थी । तथापि अब मामले चलाने में भेदभाव से काम लिया जा रहा है ।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

दुराचरण के संबंध में रेलवे बोर्ड ने भी एक परिपत्र में व्याख्या की है इस सम्बन्ध में श्री स० म० बनर्जी भी कह चुके हैं। अतः मैं चाहती हूं कि इन सारी बातों का सुखद अंत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो मामले निलंबित है उन पर तत्काल विचार किया जाय और जिनपर अनुचित तरीके से विचार किया गया है उन पर पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय ।

भविष्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस संकल्प के आधार पर सुरक्षा दी जा सकती है कि उनके मामले को भी विचार के लिए उच्चाधिकारियों की तरह लोक सेवा आयोग में भेजा जायेगा ।

वस्तुतः प्रश्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के इस अधिकार के संबंध में है कि क्या वे अपना संघ बना सकते हैं। सरकार के कार्यों से प्रतीत होता है कि वे इस कार्य को पसन्द नहीं करते हैं ।

इस संबंध में मैं सभा का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठमन के अभिसमय संख्या ४८७ की ओर दिलाना चाहती हूं, इस पर भारत सरकार ने १९४८ में ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। मैं चाहती हूं कि न केवल उसका अनुमोदन किया जाय अपितु उसे क्रियान्वित किया जाय ।

दुख की बात है कि भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक सदस्य होने के बावजूद भी उक्त अभिसमय का न केवल अनुमोदन किया है और न उसकी भावना का समर्थन किया है ।

संघ बनाने का अधिकार हमारे संविधान में भी दिया हुआ है। अतः सरकार को चाहिये कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह अधिकार प्रदान किया जाय, जब उन पर मामले चलाये जांय तो उन्हें संघ लोक सेवा अयोग में भेजा जाय। इस संबंध में उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों को समान अधिकार दिये जायें ।

†**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस संकल्प पर संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं उक्त संकल्प का समर्थन करता हूं। तथापि मेरे संशोधन का आशय यह है कि इसमें उन लोगों के भी मामले शामिल किये जायें जिन्हें जुलाई १९६० की हड़ताल में भाग लेने पर कार्यवाही की गयी थी ।

गृह मंत्री द्वारा दी गयी एक सूचना के अनुसार इस हड़ताल में भाग लेने के कारण ३२७ कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया। १८३ अस्थायी कर्मचारियों को सेवाओं से मुक्त कर दिया गया। ८० व्यक्तियों को बलात् पद निवृत्त कर दिया गया। ३६४ व्यक्तियों को मुअत्तिल कर दिया गया और ३८९ व्यक्तियों पर अभी विभागीय कार्यवाही की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा में यह भावना पैदा की गयी है कि सरकार ने हड़तालियों पर काफी नरमी बरती है यह इस कारण हुआ है कि यद्यपि हड़ताल के प्रारम्भ में १७७३७ व्यक्तियों पर कार्यवाही की गयी थी, तथापि अब उनकी संख्या घट कर केवल ६०० या १००० रह गयी है। तथापि मेरा विचार है कि हड़ताल के पश्चात् समय समय पर जारी किये गये आदेशों पर उचित कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस संबंध में मैं दो आदेशों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहिला आदेश १० जुलाई को निकाला गया था। उसमें कह गया था कि सभी गिरफ्तार कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया जायेगा। तथापि दूसरा आदेश १७ जुलाई १९६० को जारी किया गया उसमें कहा गया कि केवल उन अधिकारियों को छोड़ कर जिनके संबंध में विभागीय अधिकारियों की राय हो कि उन्होंने दुराचरण किया है या ध्वंसात्मक कार्यों में भाग लिया है या हस्तक्षेप किया है उनको छोड़ कर सभी कर्मचारियों को वापस ले लिया जाय। यदि इस आदेश को क्रियान्वित किया गया होता तो उक्त सभी कर्मचारियों को भी वापस ले लिया गया होता तथापि विभागीय अधिकारियों के प्रतिशोध और रोष के कारण उन अधिकरियों को वापस नहीं लिया गया है।

यह कहा गया है कि हड़ताल के फलस्वरूप सरकार को ४०००० रु० की क्षति हुई है सरकार को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इस हड़ताल में दोहट गोली कांड में पांच व्यक्तियों की जानें भी गयी हैं। वस्तुतः इस संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हड़ताल के संबंध में अन्तिम परिपत्र अभी हाल ७ फरवरी को जारी किया गया है। उसमें दुराचारण की जो परिभाषा दी गयी है उसके अनुसार उन सभी व्यक्तियों को वापस ले लिया जाना चाहिये जो कि इस समय गलियों में धक्का खा कर रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया जाय।

हड़तालियों के संबंध में जो कार्यवाही की गई है उस संबंध में मैं राजस्थान के महालेखापाल का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को २८ या ३२ वर्ष की आयु में जबरदस्ती पद निवृत्त कर दिया है। वस्तुतः ऐसा अंग्रेजी राज्य के जमाने में भी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा तथा लेखापालन विभाग के १७ व्यक्तियों को नौकरी से हटा दिया गया है और १६ व्यक्ति अभी भी मुअत्तिल हैं। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

युद्धास्त्र कारखाना खमरिया के दो कर्मचारियों को १९ जनवरी १९६१ को कारण बताओ आदेश दिया गया और कहा गया कि क्यों न उनकी पदावनति न कर दी जाय, जब तक कि वे जवाब देवें ९ फरवरी १९६१ को उन्हें दूसरा नोटिस दिया गया कि क्यों न उनको नौकरी से हटा दिया जाय।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस संबंध में मैं आपको ३ जनवरी १९६१ का नार्दन इंडिया पत्रिका में प्रकाशित एक निर्णय का हवाला देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि कार्मिक संघों की कार्यवाहियों को कुचलने का अयोजित प्रयत्न करना श्रमिकों के प्रति अन्याय करना है। सरकार को ऐसी बातों की निन्दा करनी चाहिये। इस निर्णय का उल्लेख करने से मेरा आशय यह कदापि

[श्री स० मो० बैनर्जी]

नहीं है कि कार्मिक संघों को पूर्ण निरंकुशता प्रदान की जाय अपितु हम चाहते हैं कि कार्मिक संघ कार्यकर्त्ताओं का उत्पीड़न न किया जाय ।

अब मैं सरकार का ध्यान सरकारी कर्मचारी आचार नियम संख्या ४(ख) की ओर दिलाना चाहता हूं । इस नियम के विरुद्ध बम्बई का उच्च न्यायालय अपना आदेश पारित कर चुका है । अतः यह शून्यघोषित हो गया है तब इसके अधीन किस प्रकार जयपुर, ग्वालियर तथा अन्य स्थानों के महालेखा परीक्षक के कार्यालयों के कर्मचारियों तथा मद्रास के कार्मिक संघ के महा सचिव को दंड दिया जा रहा है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया जाय और या इन सभी मामलों पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाय। सभा को ज्ञात होना चाहिये कि इस संबंध में तीन व्यक्ति आत्म हत्या भी कर चुके हैं । यदि इतने पर भी सभा इस संबंध में कोई जांच समिति नहीं नियुक्त करती है तो इसका यह तात्पर्य है कि सरकार को मृतक कर्मचारियों से भी कोई सहानुभूति नहीं है ।

नयी दिल्ली में अभी हाल होने वाले उप चुनावों के लिये निम्नलिखित चार नारे चुने हैं :

(१) चढ़ती हुई कीमतों को रोकने में सरकार की असमर्थता ।

(२) श्रम विरोधी नीति और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का उत्पीड़न ।

(३) सरकार की गलत करारोपण नीति ।

(४) विस्थापित व्यक्तियों को बसाने में सरकार की असमर्थता ।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह संकल्प संशोधित रूप में अवश्य पारित किया जाय ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । इस संबंध में मैं ने एक संशोधन संख्या २ प्रस्तुत किया है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। मेरे संशोधन का आशय यह है कि जुलाई १९६० की हड़ताल में भाग लेने पर जो मामले चलाये गये हैं, उनके मामले वापस ले लिये जायें और जिन पर अन्य किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है उन पर न्यायिक संस्था द्वारा विचार किया जाये ।

संकल्प के पहले भाग में कहा गया है कि कार्मिक संघ संबंधी कार्यों के लिये किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की जाय । माननीय मंत्री निसंदेह इसका यह उत्तर देंगे कि हम कार्मिक संघों के प्रति कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । तब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या जुलाई १९६० की हड़ताल न्यायोचित थी ? तथा वह कार्मिक संघीय कार्यवाही थी या नहीं ।

हमें स्मरण रखना चाहिये कि हड़ताल के रूप में चढ़ती हुई कीमतोंतथा सरकार के प्रति कर देने में असमर्थता के प्रति, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों को जीवन निर्वाह संबंधी कठिनाइयां हो रही थीं, विरोध प्रदर्शित किया गया था । आज के बजट से भी यह बात सिद्ध

हो जाती है कि सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल में भाग लेना उचित था। क्योंकि वे सरकार की इस प्रकार की नीति के विरोधी हैं। अतः यदि हम इन आठ महीनों बाद यह सोचें कि क्या सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल कार्मिक संघीय कार्यवाही थी तो हम निसंदेह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उनका विरोध प्रदर्शन उचित था, तब भला उन्हें क्यों दंड दिया जा रहा है।

जहां तक दुराचारण का संबंध है, रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ७ फरवरी के परिपत्र में उसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है : धरना देना या बलात् किसी को किसी कार्य के लिए प्रवृत्त करना। दूसरे गंदे नारे लगाना और तीसरे इस प्रकार के पर्चे इत्यादि बांटना जिनमें आपत्तिजनक बातें हों। परिपत्र में इसके अतिरिक्त और किसी बात का उल्लेख नहीं है। अतः उन उन लोगों के संबंध में जो इस परिपत्र के जारी होने के बहुत पहिले नौकरी से हटा दिये गये थे या मुअत्तिल कर दिये गये थे, एक निष्पक्ष समिति को विचार करना चाहिये कि क्या वे उक्त तीन बातों में से किसी एक बात के दोषी हैं या नहीं।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ६ मार्च १९६१/१५ फाल्गुन १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, ४ मार्च, १९६१
१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१४४१—६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
५१६	भारतीय फिल्मों में अश्लील दृश्य और गीत	१४४१—४३
५१७	भारत-श्रीलंका वार्ता	१४४३—४५
५१८	चाय का निर्यात	१४४६—५१
५१९	नेहरू-नून करार	१४५१—५४
५२१	अणु शक्ति उत्पादन केन्द्र	१४५४—५७
५२२	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	१४५७—५९
५२४	संयुक्त राज्य अमरीका से रूई का आयात	१४५९—६१
५४३	लाओस	१४६१—६२
५२५	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में दास	१४६२—६४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३	राष्ट्र मण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन	१४६४—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५२०	चाय सम्बन्धी कार्यकारी दल	१४६६
५२३	ब्रिटेन को निर्यात	१४६७
५२६	मूंगफली का तेल	१४६७
५२७	औषधियों की कीमतें	१४६७–६८
५२८	पाकिस्तान को क्षेत्रों का हस्तान्तरण	१४६८
५२९	सरकारी क्वार्टरों का निर्माण	१४६८–६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

५३० नागा १४६९

५३१ छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता . . . १४६९

५३२ राजस्थान में दर्मियाने मशीनी औजारों का कारखाना . १४७०

५३३ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मकारों की छंटीनी . १४७०–७१

५३४ कोयलाखान में कार्मिक शिशुगृह १४७१

५३५ आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने की सुविधा . . १४७१

५३६ दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र . . . १४७२

५३७ तारापुर अणुशक्ति स्टेशन . १४७२

५३८ कनाडा-भारत रिएक्टर १४७३

५३९ कच्चे रेशम का आयात . . १४७३–७४

५४० पत्र संवाददाता सम्मेलन . . १४७४

५४१ सूत के दाम १४७४–७५

५४२ कांगो . . १४७५

५४४ दिल्ली में भूमिगत पानी १४७५

५४५ रेडियो आदि का काला बाजार . . १४७६

५४६ जनता के आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटाया जाना १४७६

५४७ दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में छत के पंखे . . १४७७

५४८ अशोक होटल में परोसा जाने वाला गोमांस १४७७–७८

५४९ मशीनी औजारों के कारखाने १४७८

५५० मोटरकारों की कीमतें . . . १४७९–८०

५५१ दिल्ली में भूमिगत जल की सतह का ऊंचा होना . १४८०

५५२ वस्तु-विनिमय समझौते के अन्तर्गत मेंगनीज अयस्क का संभरण . १४८०

५५३ बांकुरा, वीरभूम और मिदनापुर के शिविरों के शरणार्थी १४८०–८१

५५४ सरकारी कर्मचारियों को निवास स्थान का आवंटन . . १४८१

५५५ लांगजू के निकट चीनी गढी १४८१

५५६ कपड़े का उत्पादन १४८२

५५७ ऊन के गोलों का उत्पादन १४८२–८३

५५८ सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा क्षति के दावे . १४८३

५५९ कोरबा कोयला क्षेत्र में श्रमिकों के लिये सुविधायें . . १४८३–८४

५६० आकाशवाणी की पुर्तगाली यूनिट . . . १४८४

५६१ बाल और रोलर बीयरिंग परियोजना . . १४८४–८५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८९२	पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्र	१४८५
८९३	पंजाब में शिक्षित रोजगार	१४८५
८९४	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनायें	१४८५-८६
८९५	अखबारी कागज	१४८६
८९६	पंजाब में अल्प आय वर्ग आवास योजना	१४८६-८७
८९७	पंजाब को मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण	१४८७
८९८	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में वास्तुकला विभाग	१४८७
८९९	व्यापार प्रतिनिधि मंडल और करार	१४८७-८८
९००	महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग	१४८८
९०१	आसाम में चाय का उत्पादन	१४८८-८९
९०२	आन्ध्र प्रदेश का प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण	१४८९
९०३	आन्ध्र प्रदेश में मिट्टी के बर्तन आदि तैयार करने वाला सरकारी कारखाना	१४८९-९०
९०४	दूध के पाउडर की चोर बाजारी	१४९०
९०५	उत्तर प्रदेश में अम्बर चरखा	१४९१
९०६	संघ प्रशासनों को आवास योजनाओं के लिये ऋण	१४९१
९०७	लखीमपुर-खेरी, उत्तर प्रदेश का 'विप्लव' अखबार	१४९१-९२
९०८	पंजाब में नये उद्योग	१४९२
९०९	औद्योगिक शिक्षण केन्द्र	१४९२-९३
९१०	कच्चे लोहे का निर्यात	१४९३
९११	चम्बा में बम बिस्फोट	१४९३-९४
९१२	आसाम में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण	१४९४
९१३	विदेशों के साथ राजनयिक संबंध	१४९४
९१४	नंगल उर्वरक कारखाना	१४९४-९५
९१५	सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन-गाथा	१४९५
९१६	ऊन विकास परिषद्	१४९५-९६
९१७	टीन के डिब्बे	१४९६-९७
९१८	सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के कर्मचारियों की आय	१४९७
९१९	फिरोजाबाद कांच उद्योग	१४९७-९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

९२० कर्मकार शिक्षा योजना . . १४९८
९२१ कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह और अवकाश गृह . . १४९९
९२२ सड़क कूटने के इंजनों का निर्माण . . . १४९९–१५००
९२३ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारियों का स्थायीकरण १५००
९२४ एस्टर्स और पोलीएस्टर्स का उत्पादन . १५०१
९२५ गांधी जी की रचनाओं का संकलन . १५०१
९२६ चाय उद्योग . . १५०१–०२
९२७ कृषि उपऋणों का निर्माण १५०२
९२८ इंगलिस्तान से टेलीविजन दल १५०२–०३
९२९ महाराष्ट्र में कागज का कारखाना १५०३
९३० पश्चिमी बंगाल में पटसन उद्योग. . . . १५०३
९३१ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का सर्वेक्षण . १५०३–०४
९३२ कपड़े का निर्यात . . . १५०४
९३३ राष्ट्रीय आय सम्बन्धी सांख्यिकी का अध्ययन १५०५
९३४ ब्रेल छपाई मशीनें . . . १५०५
९३५ पश्चिमी बंगाल सरकार को मंजूर अनुदानों का हटाया जाना . १५०५–०६
९३६ दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड १५०६
९३७ मशीनी औजार १५०७
९३९ प्रीमीयर औटोमोबाइलस, बम्बई . . १५०७–०८
९४० विद्रोही नागा . १५०८
९४१ ऐक्सरे-संयंत्र १५०८
९४२ पहाड़ी प्रदेशों में नये उद्योगों के लिये लाइसेंस. . . १५०८
९४३ क्वार्टरों के आवंटन के लिये कर्मभारित कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूची १५०९
९४४ क्वार्टरों के आवंटन के लिये कर्मभारित कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूची १५०९–१०
९४५ नेता जी की अस्थियां १५१०
९४६ पंजाब के पुनर्वास अधिकारियों के साथ सम्मेलन . १५१०–११

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
९४७	पश्चिमी बंगाल में रह रहे आसाम के शरणार्थी . .	१५११–१२
९४८	"कामनवैल्थ इन ब्रीफ" . . .	१५१२
९४९	पाकिस्तान द्वारा सीमा स्तम्भों का हटाया जाना .	१५१२
९५०	आयोजित दौरों पर मनोरंजन व्यय .	१५१२
९५१	इन्दौर की कपड़ा मिलें	१५१३
९५२	विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों में लोक-सभा के सदस्यों का चुनाव . .	१५१३
९५३	अखबारों में सरकारी विज्ञापन . . .	१५१३–१४
९५४	चतुर्थ श्रेणी के छंटनी किये गये कर्मचारी . .	१५१४
९५५	पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी . .	१५१४–१५
९५६	ट्रैक्टरों की खरीद	१५१५
९५७	पश्चिमी बंगाल में सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि .	१५१५
९५८	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी . . .	१५१५–१६
९५९	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा बिजली के हीटरों की खरीद	१५१६
९६०	अधिकृत प्रैस सम्वाददाता . .	१५१६
९६१	प्रेस सम्वाददाता	१५१७
९६२	राजस्थान में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना . .	१५१७–१८
९६४	पंजाब में अम्बर चरखा	१५१८–१९
९६५	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के हिन्दी में प्रकाशन . .	१५१९
९६६	मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी टाइपिस्ट . .	१५१९
९६७	पत्रों के हिन्दी में उत्तर . .	१५१९
९६८	टायरों का तस्कर व्यापार	१५२०
९६९	नागाओं द्वारा मारे गये सर्किल अफसर के आश्रितों को क्षतिपूर्ति	१५२०
९७०	विदेशी महानुभावों के स्वागत सम्बन्धी नियम . .	१५२१
९७१	दिल्ली में खादी का उत्पादन . .	१५२१
९७२	मध्य प्रदेश में विकास कार्य . . .	१५२१–२२
९७३	दिल्ली में स्वदेशी वस्तु भण्डार . . .	१५२२
स्थगन प्रस्ताव	. . . . .	१५२२—२४

अध्यक्ष महोदय ने उड़ीसा के राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी किये गये एक अध्यादेश के बारे में, जिस में वर्ष १९६०–६१ के अनुपूरक व्यय की पूर्ति के

विषय पृष्ठ

लिये राज्य की संचित निधि में से धनों के विनियोग की व्यवस्था की गई है, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिस की सूचना सर्वश्री चिन्तामणि पाणिग्रही और एस० एम० बनर्जी ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १५२४–२५

(१) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०१ की एक प्रति ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) वर्ष १९५७–५८ के लिये काफी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट खण्ड (४—भारत संबंधी काफी के आंकड़े) ।

(दो) वर्ष १९५८–५९ के लिये काफी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट (खण्ड १ और २) ।

(तीन) वर्ष १९५९–६० के लिये (काफी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट) ।

(३) अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति —

(एक) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(दो) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९८ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(तीन) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(चार) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(पांच) दिनांक २१ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०४ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(छै) दिनांक २३ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४४ में प्रकाशित चावल (रेलवे बुकिंग पर रोक) संशोधन आदेश, १९६१ ।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	१५२५

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पटसन के मूल्यों में वृद्धि की ओर, जिस के फलस्वरूप पटसन का उत्पादन घट गया है और समुद्रपार का बाजार हाथ से निकल गया है, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने इस बारे में एक वक्तव्य टेबल पर रखा ।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . .	१५२७–४१

वर्ष १९६१–६२ के रेलवे आय व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	१५४१

सत्तरहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प अस्वीकृत हुआ . .	१५४१–५४

१७ फरवरी, १९६१ को श्री परूलेकर द्वारा प्रस्तुत धार्मिक पूजा स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन .	१५५४–५९

श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने सरकारी कर्मचारियों की मजदूर संघ की कार्यवाहियों सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, ६ मार्च, १९६१ / १५ फाल्गुन , १८८२(शक) के लिये कार्यावलि

रेलवे आय-व्ययक १९६१–६२ पर अग्रेतर सामान्य चर्चा, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यता दान) विधेयक तथा बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा पारित किया जाना । १९६१–६२ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा ।

GMGIP ND—L.S. III—2148 (Ai) L.S.D.—3-4-61—125.